पंचम माला, खंड 56, अंक 14 मंगलवार, 27 जनवरी, 1976/7 माघ, 1897 (शक)
Fifth Series, Vol. LVI, No. 14, Tuesday, January 27, 1976/Magha 7, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fift eenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक है / VolLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी/ में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है] ।

This istranslated versionin a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 14, मंगलवार, 27 जनवरी, 1976/7 माघ, 1897 (शक)

No. 14. Tuesday, January 27, 1976/Magha 7, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 266, 268, 269, 272, 273, 278, 279, 282, 283, 276 और 280	Starred Questions Nos. 266, 268, 269, 272, 273, 278, 279, 282, 283, 276 and 280 .	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 267, 270, 271, 274, 275, 277, 281, 284 और 285	Starred Questions Nos. 267, 270, 271, 274, 275, 277, 281, 284 and 285 . .	21—26
अतारांकित प्रश्न संख्या 1185 से 1299	Unstarred Questions Nos. 1185 to 1299 .	26—83
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege. . . .	83
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	84—87
सदस्य की रिहाई (श्रीमती वी० आर० सिन्धिया)	Release of Member . . . (Shrimati V. R. Scindia)	87
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
17वां प्रतिवेदन	Seventeenth Report	87
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	
23वां प्रतिवेदन	Twenty-third Report . . .	87
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
190वां प्रतिवेदन	Hundred and ninetieth Report . .	88

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report	88
विदेशी मंत्री द्वारा हाल की नेपाल यात्रा के बारे में वक्तव्य— श्री यशवन्त राव चव्हाण	Statement re. Minister of External Affairs Recent visit to Nepal— Shri Yeshwantrao Chavan . . .	88—89
संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन विधेयक—	Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Repeal Bill—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—	Motion to introduce—	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	90—91
श्री एच० एन० मुखर्जी	Shri H. N. Mukherjee . . .	90
संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण—	Statement re. Parliamentary Proceedings (Protection of Publication) Repeal Ordinance, 1975—	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	91
अपेक्षणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक—	Prevention of Publication of Objectionable Matter Bill—	
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव—	Motion to introduce—	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	91,92
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	91
अपेक्षनीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण—	Statement re. Prevention of Publication of Objectionable Matter Ordinance, 1975—	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . . .	92
उद्ग्रहण चीनी समान कीमत निधि विधेयक—पुरःस्थापित	Levy Sugar Price Equalisation Fund Bill— Introduced	93
बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक	Bonded Labour System (Abolition) Bill	232—259
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . .	93—95
खण्ड 2 से 27 और 1	Clauses 2 to 27 and 1 . . .	95—105
विचार करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में—	Motion to pass, as amended—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	105
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	105
श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli . .	106
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequiera . . .	106
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प; और	Statutory Resolution re. Disapproval of Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Second Amendment) Ordinance; and	
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक—	Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequiera . .	106—107, 111
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	107, 109—11
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishan Chandra Halder . .	108
श्री वी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . . .	108—09
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan . .	109
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	109
खण्ड 2 से 5 और 1	Clauses 2 to 5 and 1 . . .	112
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . .	112
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (नागालैंड) 1975-76	Supplementary Demands for Grants (Nagaland). 1975—76 . . .	113—14
नागालैंड विनियोग विधेयक, 1976—	Nagaland Appropriation Bill, 1976—	
विचार किया गया और पारित किया गया	Considered and passed . . .	114

विषय	SUBJECT	PAGES
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी) 1975-76	Supplementary Demands for Grants(Pondicherry). 1975-76—	
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम	Shri S. A. Muruganantham . .	115—16
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	116
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	116
पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1976—	Pondicherry Appropriation Bill, 1976—	
विचार किया गया और पारित किया गया	Considered and Passed	118—19
आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड (रिफैक्टरी संयंत्र का अर्जन और अन्तरण) विधेयक	Assam Sillimanite Limited (Acqusition and Transfer of Refractory Plant) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav . 119—120, 123—24	
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya . . . 120—121	
श्री आर० एन० शर्मा	Shri R. N. Sharma . . .	121
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyya .	121
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . . .	122
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	122
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey . . . 122—123	
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri . . .	123
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy . .	123
खण्ड 2 से 30 और 1	Clauses 2 to 30 and 1 . . . 124—127	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . .	127
दिल्ली भाटक नियंत्रण संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प; और दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक—	Statutory Resolution re.Disapproval of Delhi Rent Control (Amendment) Ordinance; and Delhi Rent Control (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में—	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . 127—29, 135	

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री एच० के० एल० भगत	Shri H. K. L. Bhagat . . .	129-30, 134-35
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	130-31
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan . . .	131
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaque Sambhali . . .	131
श्री एन० के० सांघी	Shri N. K. Sanghi . . .	131-32
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve . . .	132-33
श्री शिव नाथ सिंह	Shri Shiv Nath Singh . . .	133
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga . . .	133
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey . . .	133-34
खण्ड 2 से 8 और 1	Clauses 2 to 8 and 1 . . .	135-36
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . .	136

लोक सभा

LOK SAHBA

मंगलवार, 27 जनवरी, 1976/7 माघ, 1897 (शक)

Tuesday, January 27, 1976 /Magha 7, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करने के लिए उपाय

*266. **श्री एस० एम० सिद्दय्या** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी एक से श्रेणी चार तक के पदों में अनुसूचित जातियोंऔर अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं; और

(ख) क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबन्धकों को दी गई विशेष शक्तियों को गत तीनवर्षों में उस कमी को दूर करने के लिये कहां तक प्रयोग में लाया गया है ?

रेल मंत्रालयमें उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

रेलोंमें श्रेणी I सेवा में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है।

2. सामान्यतःश्रेणी II की सेवा में सीधी भर्ती नहीं की जाती और श्रेणी II के खाली पद श्रेणी III के उपयुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। लेकिन चिकित्सा विभाग और गौण संवर्गों में जैसे (i) सहायक रसायन और धातुविद (ii) सहायक रोकड़िया और वेतन पाल और (iii) सहायक अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन-सामग्री के श्रेणी II के पदोंमें भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है; कुछ अनुपात में रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के श्रेणी II के पद भी सीधी भर्ती द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाते हैं।

3. जहां तक श्रेणी III के पदों का सम्बन्ध है, इनके लिए भर्ती आमतौर पर रेल सेवा आयोग करते हैं। जब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती में कमी रहती है तो महाप्रबन्धक को यह प्राधिकार है कि वे सीधी भर्ती कर लें।

4. श्रेणी IV के पदों पर भर्ती रेल प्रशासन करते है।

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती में परिहार्य कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिये रेलों में निम्नलिखित उपाय किये जाते है:—

(क) श्रेणी III में उपबन्ध आरक्षित रिक्तियों का यथासम्भव अधिकाधिक प्रचार किया जाता है।

(ख) भर्ती के सिलसिले में साक्षात्कार के लिए आने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित नहीं किये जाते।

(ग) जब रेल सेवा आयोग पर्याप्त संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार सप्लाई करने की स्थिति में नहीं होते तो महाप्रबन्धको को इस बात की अनुमति दी जाती है कि वे बाहर से अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवारों को भर्ती कर लें।

(घ) श्रेणी IV के पदों पर भर्ती आम तौर पर रेलों पर पहले से कार्य-रत नैमित्तिक श्रमिकों/एवजी कर्मचारियों की जांच करके की जाती है। जब आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इस प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते तो बाहर से भर्ती की जाती है।

(ङ) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार श्रेणी III और IV के उनगैर-तकनीकी और अर्धतकनीकी संवर्गों का कोटा भरने के लिये उपलब्ध नहीं होते, जिनके लिए लिखित-परीक्षा के माध्यम से भिन्न अन्यथा रूप से भर्ती की जाती है, तो अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों में से सर्वोत्तम को नियुक्त कर लिया जाता है बशर्ते उनके पास न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी अर्हताएं हों।

(च) जहां सुरक्षा सम्बन्धी पहलू सन्निहित हो तो पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रतिशत की छूट की जाती है।

(छ) उपर्युक्तरियायतों के बावजूद, यदि प्रवरण पदों को भरने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं होती, तो उनमें से सर्वोत्तम को, अर्थात जो अधिकतम अंक प्राप्त करते है, उनके लिए आरक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार, प्रवरण-पेनल पर रखे जाने के लिए अनन्तिम रूप से अंकित कर दिये जाते हैं। इस प्रकार अंकित उम्मीदवारों को तदर्थ आधार पर 6 महीने के लिए पदोन्नति कर दिया जाता है और इस अवधि के दौरान उन्हें अपनी योग्यता बढ़ाने और अपेक्षित स्तर तक आने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती है। छः महीने की अवधि की समाप्ति पर, इन उम्मीदवारों के काम के सम्बन्ध में महा प्रबन्धक द्वारा एक विशेष रिपोर्ट प्राप्त की जाती है और

उनके नाम प्रवरण-पेनल पर अन्तिम रूप से सम्मिलित कर लिये जाते है बशर्ते वह उनके काम से सन्तुष्ट हों।

(ज) पदोन्नति परीक्षाओं में असफल उम्मीदवारों की संख्या कम करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए चयन-पूर्व शिक्षण कक्षाएं खोलने के लिए भी रेलों को हिदायतें दी गयी हैं।

(झ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारो की भर्ती में कमी को पूरा करने की दिशा में प्रगति पर निगाह रखने के लिए रेलों पर मुख्यालय और मण्डल स्तरों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड स्तर पर भी विशेष कक्ष खोले गये हैं। रेलवे बोर्ड में यह कक्ष एक वरिष्ठ अधिकारी के मातहत खोला गया है जिसकी सहायता के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का एक-एक सलाहकार है। रेलों के मुख्यालय स्तरों पर ये कक्ष एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी की अध्यक्षता में खोले गये हैं जिसकी सहायता के लिए आवश्यक संख्या में तीसरे दर्जे के कर्मचारी रखे गये हैं।

(ञ) रेल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर रेल मंत्रालय द्वारा यथा अपनाये एवअंगीकृत किये गये हैं। गृह मंत्रालय/कार्मिक विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की एक पुस्तिका सर्वसम्बन्धित के मार्ग दर्शन के लिए जारी की गयी है।

6. श्रेणी II श्रेणी III और श्रेणी IV के वर्गों में वर्तमान कमी को पूरा करनेके लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है और रेल प्रशासनों को निदेश दिया गया है कि सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा दोनों वर्गों की कमी को 31-3-1976 तक पूरा करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जाय।

7. गत तीन वर्षों के दौरान महाप्रबन्धकों द्वारा उनको दिये गये अधिकारों के अधीन 384 अनुसूचित जाति के और 587 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को श्रेणी III केपदोंपर भर्ती किया गया है।

श्री एस० एम० सिद्दय्या: विवरण से पता चलता है कि अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में कमी को पूरा करनेके लिये कई उपाय किये गयेहैंऔर मैं मंत्रालय को ये उपाय करने के लिये बधाई देता हूं। इससे अन्य मंत्रालयों को भी प्रेरणा मिलेगी।

एक उपाय यह किया गया है कि इन जातियों के लोगों को उच्च पदों पर पदोन्नति के योग्य बनाने के लिये चयन-पूर्व प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि तीन वर्षों में ऐसी कितनी कक्षाओं की व्यवस्था की गई तथा कितने व्यक्तियों को उच्च पदों पर पदोन्नति मिली ?

श्री बूटा सिंह : विशेष कक्षाओं की संख्या बताना कठिन है, क्योंकि कि यह पद्धति अभी हाल में आरम्भ की गई है और सब रेलवे को इन कक्षाओं की व्यवस्था करने के निदेश किये गये हैं।

अप्रैल, 1974 से मार्च, 1975 तक सीधी भर्तीमें 7,696 अनुसूचित जातियों के तथा 7,430 अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति भर्ती किये गये।

श्री एस० एम० सिद्धय्या: मैं जानना चाहता हूं कि 31-3-1975 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व में वस्तुत: कितनी कमी थी और यह कमी अब कहां तक पूरी कर दी गई है। इस बात को देखते हुए कि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों में कमी अधिक है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों के आरक्षण को 15 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 7½ प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है, ताकि यह कमी मार्च, 1976 तक पूरी की जा सके और यदि कोई प्रस्ताव नहीं है, तो इस कमी को दूर करने के लिये मंत्री क्या कदम उठाना चाहते हैं।

श्री बूटा सिंह : अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता बढ़ाना अखिल भारतीय प्रश्न है और इस पर निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाना है। वर्तमान प्रतिशतता के अनुसार हम गत तीन वर्षों में विशेष उपाय करने के बाद जो भारतीय रेल में आरम्भ किये गये थे, गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के क्रमश: 384 और 587 व्यक्ति भर्ती कर पाये हैं। 1 दिसम्बर, 1975 को तृतीय श्रेणी में अनुसूचित जातियों में 1138 और अनुसूचित जनजातियों में 1,564 तथा चतुर्थ श्रेणी में 1947 अनुसूचित जातियों में तथा 5334 अनुसूचित जनजातियों में, की कमी थी।

श्री राम सहाय पाँडे : इस सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि अनुसूचित जातियों को जीवन के हर व्यवसाय में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपात की घोषणा के बाद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री बूटा सिंह : आपात के तुरन्त बाद रेलवे के सब मुख्य कार्मिक अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया गया था तथा विशेष उपाय किये गये थे, जैसा कि प्रथम श्रेणी के वरिष्ठ वेतन मान में, जिन पर द्वितीय श्रेणी से पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां की जाती है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण किया गया था, जो कि पहले उपलब्ध नहीं था। साक्षात्कार के लिये कोई न्यूनतम अंक नहीं है। इसभांतिलोकप्रियश्रेणियोमें भर्ती के लिये कोईन्यूनतमअंक नहींहै। जहां तकतकनीकी श्रेणियों का सम्बन्ध है, उत्तर पुस्तकायें सहानुभूतिपूर्वक देखी जाती हैं। पहले वर्ष में जब कोई पद खाली होताहै,तोउस पदको गैर आरक्षित समझा जाता है तथा उसे कोटे के लिये हिसाब में लिया जाता है। यदि अगले वर्ष भी केवलएकही पदखाली होताहै,तोउसे आरक्षितपद समझा जाता है। हम ने यहभी निदेश दे रखे हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लाभ के लिये चयन पूर्व प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में उत्तर दे सकते हैं। सब बातों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं।

श्री बूटा सिंह: गृह मंत्रालय द्वारा किये गये उपायों के अतिरिक्त ये विशेष कदम उठाये गये हैं। रेल वे बोर्ड ने विशेष अभियान आरम्भ किया है।

Shri Ramavatar Shastri : The sons and daughters of the loyal railway employees were offered employment during the strike of 1974. I would like to know the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes so appointed during that period separately and their percentage as compared to the total number of persons given employment ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohmd. Shafi Qureshi): I am surprised that the hon. member considers our railway employees as traitors. They are not. They allare nationalists. Actionis being taken against some persons, who were misled byleaders. All others are loyaland the Railway Boardis committed to help them and their children.

Shri Ramavtar Shastri : My question was about the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Shri Buta Singh: The quota of 20% of the Scheduled Castes has been adhered to in the matter of employment offered toloyalemployees.

Shrimati SahodrabaiRai: Iwouldlike toknowthenumber of girls given promotion.

Shri Buta Singh : Promotion is given to those persons, already in Service. I admit that the number of girlsis less and we are trying to give more chances to the girls in the matter of employment.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि मितव्ययता के नाम पर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में कमी की जा रही है और क्या यह भी सच है कि 1974 की हड़ताल में जो हजारों चतुर्थ श्रेणी के रेलवे कर्मचारी हटाये गये थे, इनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति ही अधिक थे? क्या नैमित्तिक कर्मचारियों की भर्ती बन्द करने का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन में अधिकांश अनुसूचित जातियों द्वारा तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति ही होते हैं?

श्री बूटा सिंह : सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं किया है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, विशेषतया नैमित्तिक श्रमिकों, की भर्ती में कमी की जाये। नई परियोजनाओं में जितने नैमित्तिक श्रमिकों की आवश्यकता होगी, उन की भर्ती की जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कल रेलवे मंत्री ने बताया था कि मितव्ययता के आधार पर नई परियोजनाओं, नई लाइनों तथा नये निर्माण कार्यों में कमी की जा रही है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे रोजगार के विशेषतया अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों के रोजगार के अवसर कम हो जायेंगे और जिन लोगोंकी हड़ताल के दौरान छटनी की गई है उन्हें पुनः नहीं लिया जायेगा?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : 40,000 नैमित्तिक श्रमिकों ने हड़ताल की थी, जिनमें से 24,000 को काम पर ले लिया गया है। अन्य कार्यों के आरम्भ होने पर अन्यों को भी ले लिया जायेगा।

मोटरगाड़ियों के व्यापारियों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के निर्देश

*268. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने मोटरगाड़ियों के व्यापारियों को दिल्ली तथा अन्य स्थानों में पुनः बिक्री मूल्यों तथा रख रखरखाव के बारे में उनके द्वारा किये गये करारों को समाप्त करने का निदेश दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य में उपमंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) :(क) तथा (ख)**हां** श्रीमान् जी। पुनः बिक्री मूल्यों तथा रखरखाव से सम्बन्धित करारों के विषय में प्रश्न के भाग (क) में सम्भवतः "पुनः बिक्री रखरखाव" को संदर्भित किया गया है। एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने अपने दिनांक 29अगस्त, 1975 को जारी किये गये आदेश में मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता के नई दिल्ली स्थित पांच व्यापारियों की अपनी एम्बेसेडर कारों की बिक्री के लिए उनके मध्य करार व्यवस्था / समझौते के अन्तर्गत तथा उसके आधार पर एवं उसके अनुसरण में चेष्टाओं को समाप्त करने जिनमें वे पुनः बिक्री मूल्य रखरखाव की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथाओं में ग्रस्थ थे, का निर्देश दिया है। आयोग के आदेश से सम्बन्धित उद्धरण सदन के पटल पर प्रस्तुत किये जाते हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 1034/76]

श्री स्वर्ण सिंह सोखी: मैं नई दिल्ली के पांच व्यापारियों के नाम जानना चाहता हूं और क्या यह निदेश पुरानी कारों के दोबारा बेचे जाने पर भी लागू होंगे?

श्री वेदव्रत बरुआ: ये निदेश पुरानी कारों के दोबारा बेचे जाने पर लागू नहीं होंगे।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी: उनके नाम क्या हैं?

श्री वेदव्रत बरुआ: नाम ये हैं:—दिल्ली आटोमोबाइलस्, दिल्ली मोटरस् एण्ड साइकल कम्पनी, राजीव मोटरस् प्राइवेट लिमिटेड, सिंडीकेट मोटरस् प्राइवेट लिमिटेड और विकास मोटरस्।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी: मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये निदेश फियेट और स्टैंडर्ड के व्यापारियों को भी दिये गये हैं और यदि नहीं तो, इस के कारण क्या हैं?

श्री वेदव्रत बरुआ: जी, नहीं। यह प्रश्न केवल दिल्ली के पांच व्यापारियों तक सीमित है। वह भी हिन्दुस्तान मोटरस् लिमिटेड तक सीमित है। अन्य व्यापारियों को कोई निदेश नहीं दिये गये हैं।

चितौनी रेलवे पुल के दोनों ओर गाइड बाँध

***269. श्री नरसिंह नारायण पाँडे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सरकार चितौनी रेलवे पुल के दोनों ओर गाइड बांध बनाने पर सहमत हो गई हैं।

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इस बांध का काम सुगम बनानेके लिये भूमि अर्जित की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो अबतक कितना क्षेत्र अर्जित किया गया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार 6.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गंडक पुल के सम्बन्ध में नदी के बहाव के नियंत्रण कार्यों पर बाढ़ की रोकथाम के लिये रखी गयी धन–राशिसेखर्च करने को सहमत हो गयी है और इसकेलिये अतिरिक्त निधि आवंटित करने के लिये योजना आयोगसे कहा गया हैं।

(ग) और (घ) बंध-निर्माण के सम्बन्ध में अभी तक लगभग 104 एकड भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है ।

Shri Narsingh Narain Pandey : Will the hon. Minister be pleased to state whether the compensation for the area of about 104 acres acquired in this connection has been paid to the villagers and if the compensation has not so far been paid, whether U.P. Government have requested for any amount from the Centre andifso, the action taken in this regard ?

Shri Buta Singh: We need an area of about 490 acres, out of which about 104 acres of land has been acquired. The Compensation for that to the villagers is to be paid by the State Government. The bill submitted by the State Government is reimbursed by us. No such billis pending with us for payment.

Shri Narsingh Narain Pandey: May I know whether the amount of Rs. 6 crores asked for by the State Government is includedin the State plan or whether the amount is out of the purview of the State Plan and the action taken by the Ministry of Railways in his regard ?

Shri Buta Singh: The amount asked for the Guide Bundh is a separate project of U.P. Government. It has been supported by the Ministry of Railway, but no decision has so far been taken in this regard.

Shri D. N. Tiwary : The question relates to U.P. as well as Bihar. But the reply given by the hon. Minister covers U.P. only. I would like to know the reaction of Bihar Governmentin this regard ?

Shri Buta Singh : Only a small portion of this Bundh comes under the jurisdiction of Bihar Governme ntand the Government of Bihar hasnot so far agreed to meet the expenditure therefor.

Shri Hari Kishore Singh : The difficulty being experienced in the matter of acquisition of land is resulting in very slow progress in the construction work, whether the Government willgive a clear assurance that the bridge will be consrtucted within a particularperiod ?

Shri Buta Singh : The main obstaclein the way of constructing of the bridge is that guide bundhs have not so far been completed and unless the guide bundhs are not constructed the bridge can not be completed, because the rivers changed its course off ard on. So uness the guide bundhs are completed the construc tion work ofthe bridge can not be undertaken.

बम्बई में तेल के लिए सर्वेक्षण

*272. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में बम्बई में तेल केलिये एक समेकित भूभौतिक सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) : हाल ही में बम्बई हाई क्षेत्रों के साथ साथ पश्चिम क्षेत्र के निकट बम्बई हाई के दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पश्चिम में भूकम्पीय सर्वेक्षण जारी किया गया है । भूकम्पीय सर्वेक्षण की जाँच पड़ताल की जा रही है ।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया: हम इस प्रकार का उत्तर काफी समय से सुनते आ रहे हैं, चाहे प्रश्न तेल की खोज से सम्बन्धित हो अथवा भूभौतिक सर्वेक्षण से । मैं मंत्री

महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों से, जहां हमारा पोत अन्वेषक काफी समय से सर्वेक्षण कार्य कर रहा है, आशातीत परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): तेल की खोज की प्रक्रिया लम्बी होती है । पहली कार्य भूभौतिक होता है, जो कि सौराष्ट्र तथा कच्छ में लगभग पूरा हो गया है । हम सौराष्ट्र में उन स्थानों को निश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां वर्षा के मौसम से पूर्व अथवा वर्षा के मौसम के तुरन्त बाद खुदाई का कार्य आरम्भ कर सकें ।

जहां तक कच्छ के क्षेत्र का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि इस का एक भाग दीर्घकालिक आधार पर एक विदेशी फर्म को ठेके पर दे दिया गया है । वहां पहला कुआं लगभग तैयार है और ज्योंहि अगले 600 अथवा 700 फुट का कार्य पूरा हो जाता है, कुएं के उत्पादन का परीक्षण किया जायेगा तथा उत्पादन के परीक्षण के पूरा होने पर हमें परिणामों की जानकारी होगी ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश में तेल तथा गैस वाले क्षेत्रों में सफलता का अनुपात क्या है तथा विश्व की औसत की तुलना में यह कितना है ?

श्री के० डी० मालवीय: भारत में तेल के कुओं तथा गैस के कुओं की खोज और उनके उत्पादन का अनुपात काफी सन्तोषजनक है, परन्तु यहां खोज कार्य इतना अधिक नहीं है, जितना अमरीका में है । उदाहरण के तौर पर अमरीका में एक कुएं से प्रति व्यक्ति तेल का उत्पादन भारत की तुलना में बहुत कम है और दक्षिण अरब की तुलना में और भी कम है । दक्षिण अरब में एक कूएं से अमरीका की तुलना में सौ गुणा अथवा दो सौ गुणा तथा भारत से तीस गुणा, अथवा चालीस गुणा अथवा पचास गुणा तेल प्राप्त होता है । इसलिये यह कहा जा सकता है कि भारत का अनुपात सौभाग्य से संतोषजनक है ।

श्री राम० एम गोपालरेड्डी: इस बात को देखते हुए कि हम तेल के आयात पर भारी राशि खर्च करते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि सर्वेक्षण तथा खोज पर अधिक राशि खर्च क्यों नहीं की जाती ? हम कितनी राशि खर्च करते हैं तथा गत दो वर्षों में इस में वर्षवार कितनी वृद्धि की गई है ?

ShriK.D. Malaviya: We have been spending huge amount on surveys and exploration and the amount has been further increased this year. In view of the overall position, my Ministry is of the opinion that sufficient amount is being spent on surveys and exploration at present.

रेल पटरियों का आधुनिकीकरण

+

*273. **श्री एम० कतामुतु**:
श्री चन्द्रशेखर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा तीव्रगामी गाड़ियों के लिए रेल पटरियों को आधुनिक बनाया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्य आरम्भ किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) माल एवं यात्री यातायात के बढ़ते हुए घनत्वों की मांगों को पूरा करने अनुरक्षण एवं परिचालन लागतों में किफायत लाने और इनके साथ-साथ इन रेल पथों को भविष्य की तेज रफ्तार के योग्य बनाने के लिए भारतीय रेलें बड़ी लाईन के कुछ चुने हुए मार्गों पर उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर रेल पथ का आधुनिकीकरण कर रही हैं ।

(ख) रेलपथ आधुनिकीकरण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन और आसिलोग्राफ कारों द्वारा रेलपथ के आवधिक अनुरक्षण के माध्यम से उच्चतर अनुरक्षण मानक और मैजर्ड शावल पैकिंग, निदेशित रेलपथ अनुरक्षण और यांत्रिक ठुकाई जैसे अनुरक्षण के सुधरे हुए तरीके अपनाना ।

(2) 52 कि० ग्रा० और 60 कि० ग्रा० की पटरियों के भारी खण्ड के साथ सुधरी हुई रेलपथ संरचना, स्लीपरों का और अधिक घनत्व, कंकरीट स्लीपरों पर लम्बी झली हुई पटरियों की व्यवस्था और लचीले जुडनार ।

(ग) सभी क्षेत्रीय रेलों के भारी धनत्व वाले और ट्रंक मार्गों पर रेलपथ अभिलेखन कारों को 3/4 महीने में एक बार और आसिलोग्राफ कारों को 6 महीने में एक बार नियमित रूप से चलाया जाता है । ऐसे अभिलेखनों के परिणामों से रेलों को, जहां भी आवश्यक हो रेलपथ में सुधार लाने के लिए अवगत कराया जाता है ।

प्रत्येक क्षेत्रीय रेलवे की बड़ी लाइन के 500 कि० मी० लम्बे मुख्य मार्गों पर निश्चित रेलपथ अनुरक्षण प्रारम्भ किया गया है ।

विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 200 और 400 कि०मी० की विभिन्न लम्बाइयों पर मैजर्ड शावल पैकिंग चलाया गया है ।

विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 41 टाई-टैम्पिंग मशीनें चल रही हैं । इनका विवरण निम्न प्रकार है :—

मध्य	7	दक्षिणमध्य	3
पूर्व	10	दक्षिण पूर्व	4 और
उत्तर	10	पश्चिम	4
दक्षिण	3		

अभी तक 12500 मि०मी० रेलपथ पर 52 कि०ग्रा० की पटरियां बिछायी गयी हैं । इनका ब्योरा इस प्रकार है :—

मध्य	3510	दक्षिण मध्य	1415
पूर्व	1666	दक्षिण पूर्व	2786 और
उत्तर	1527	पश्चिम	1274
दक्षिण	322		

कुल 1814 कि०मी० लम्बाई में बड़ी लाइन पर लम्बी झली हुई पटरियां बना दी गयी हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

मध्य रेलवे	659	दक्षिण-मध्य रेलवे	123
पूर्व रेलवे	98	दक्षिण पूर्व रेलवे	141
उत्तर रेलवे	690	पश्चिम रेलवे	98
दक्षिण रेलवे	5		

1974 से उत्तर मध्य, दक्षिण और पूर्व रेलों पर पूर्व प्रबलित कंकरीट स्लीपर बिछाना प्रारम्भ किया गया है । अभी तक 80 कि० मी० रेलपथ पर कंकरीट स्लीपर बिछा दिये गये हैं ।

विभिन्न रेलों पर लगभग 800 कि०मी० इस्पात के नालीदार स्लीपरों पर लचीले जुडनार की व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री एम० कतामुतु: मंत्री महोदय ने विवरण में बताया है कि रेलवे उपलब्ध सीमित साधनों के भीतर रेलपथ का आधुनिकीकरण कर रही है । इस तरह तो रेल पथों को तेज रफ्तार के योग्य बनाने में बहुत अधिक समय लगेगा । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस के लिये कोई समय बद्ध योजना बनाई गई है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: 15 वर्षीय समय बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है । इस के लिये लगभग 79 करोड़ रुपये की प्रतिवर्ष आवश्यकता है । इस की तुलना में हमें बहुत कम राशि मिल रही है । जब भी वित्तीय स्थिति सुधर जायेगी और हमें पर्याप्त राशि उपलब्ध हो जायेगी, हम पन्द्रह वर्षों की अवधि में इस परियोजना को पूरी कर सकेंगे ।

श्री एम० कतामुतु: अब तक 52 किलोग्राम पटरी का लगभग 12500 किलोमीटर पथ बिछाया गया है । इसमें से दक्षिण रेलवे में केवल 322 किलोमीटर पथ बिछाया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि दक्षिण रेलवे में इन कम पथ बिछाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: यह कार्य चरणबद्ध आधार पर आरम्भ किया गया है । अब हमने दक्षिण क्षेत्र में कार्य आरम्भ किया है तथा वहां और अधिक रेल पथ को तेज रफ्तार योग्य बनाया जायेगा ।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन: रेल पथ के आधुनिकीकरण में छोटी लाईन को बड़ी लाइन में बदलना भी शामिल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण के लिये भी कोई योजना है?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: इस का अर्थ केवल बड़ी लाइन का आधुनिकीकरण है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यदि रेलपथों का रखरखाव परम्परागत पद्धति की बजाय आधुनिक पद्धति से किया जाये, तो कितने व्यक्ति फालतू हो जायेंगे तथा कितनों की छंटनी की जायेगी तथा उन के बारे में आप का क्या प्रस्ताव है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: हम ने इस का हिसाब लगा लिया है। कोई व्यक्ति फालतू नहीं होगा।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर: चूंकि आधुनिकीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या दुमंजिले डिब्बे लगाने की भी सरकार की कोई योजना है और दुमंजिली रेल गाड़ियां कब से आरम्भ की जायेंगी ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: इस समय भी परीक्षण के तौर पर एक दुमंजिला डिब्बा चलाया जा रहा है तथा मुझे आशा है कि एक वर्ष के अन्दर कुछ सीमित मार्गों पर हम दुमंजिले डिब्बे आरम्भ कर सकेंगे।

उद्योगों को सोडा ऐश का वितरण

+

*278. **श्री शंकर नारायण सिंह देव:**
श्री ुना उ राँव:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग को सोडा ऐश सप्लाई करने में कोई कठिनाइयां हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की ; और

(ग) क्या सोडा ऐश के मूल्यों और वितरण पर कोई नियंत्रण है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माँझी): (क) और (ख) आज कल सोडा ऐश सुगमता से उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

श्री शंकर नारायण सिंह देव: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्योगों को जो सोडा ऐश की सप्लाई पर निर्भर है, सोडा ऐश पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता और यदि मिलता है तो समय पर नहीं मिलता ? यदि यह सच है तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कि छोटे उद्योगों को जो सोडा

ऐश की सप्लाई पर निर्भर है, समय पर सोडा ऐश मिले, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सी० पी० मॉझं ी: इस समय सोडा ऐश की सप्लाई बहुत अच्छी है और हमने लगभग हर वर्ष पूरी मांग को पूरा करनेमें सफल रहे हैं ? हम सोडा ऐश की कमी की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

न्यायालयों का रिट संबंधी क्षेत्राधिकार कम करने का प्रस्ताव

*279. **श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक कल्याण कानूनों तथा आर्थिक अपराधों संबंधी कानूनों के बारे में न्यायालयों के रिट संबंधी क्षेत्राधिकार कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि क्या संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है । संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद के संदर्भ में कोई ठोस प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी: क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में न्यायालयों ने रिट सम्बन्धी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थगन आदेश जारी करके निर्धनता के विरुद्ध भी की जा रही कार्यवाही, प्रगतिशील कानून के कार्यान्वयन तथा कार्यकारी आदेशों को निष्फल कर दिया है और कई मामलों में इस क्षेत्राधिकार का इतना अधिक उपयोग किया गया है कि न्यायालयों को क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में संविधान निर्माताओं द्वारा दी गई शक्तियों को भी लांघ लिया गया है। यदि यह सही है तो सरकार इस स्थिति के समाधान के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री एच० आर० गोखले: सरकार को इस स्थिति का पता है । सरकार को ज्ञात है कि संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए कई मामलों में स्थगन आदेश जारी किए गए हैं और कई मामलों में प्रगतिशील कानूनों तथा कार्यकारी आदेशों को भी स्थगित किया गया है ।

जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कभी-कभी न्यायालय इस बहाने पर, कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर अतिक्रमण किया जा रहा है,

अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सीमा लांघ जाते है । सरकार को इस बात का पता है और इस प्रश्न पर निर्णय लेते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखी जायेगी ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी: क्या सरकार ने इस तरह का कोई अध्ययन किया है कि भूमि कानून सम्बन्धी ऐसे कितने मामले हैं जहां न्यायालयों द्वारा विभिन्न राज्यों में स्थगन आदेश जारी किए गए है ?

श्री एच० आर० गोखले : हां श्रीमान् । यद्यपि मेरे पास इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तथापि हमने अध्ययन किया है और हमें पता है कि कई राज्यों में अधिनियम 236 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करके भूमि सुधार कानून को स्थगित किया गया है ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी: क्या मंत्री जी ऐसे मामलों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप ऐसे मामलों की संख्या बता सकते है ।

श्री एच० आर० गोखले: इस समय आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है किन्तु इस बारे में आंकड़े सभा पटल पर रखने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

Shri M. C. Daga: You have given astrange reply that still itis under Government's consideration. Government is aware of the fact that over High Courts and Supreme Court are creating hindrance in the implementation ofour progressive legislations. Government had known itlong ago but stillthey are consideringit.

Shri H.R. Gokhale: Itis fact that we were aware of itsince long, but sufficient time is required to take any decision.

Shri Bibhuti Mishra: I wantto know as to how many cases have been filedin Patna High Court before and after introducing the 20 point programme adumbrated by the Prime Minister and as a result the Land Ceilihg legislation has been stayed. When any Peon or Clerk is transferred and if they file the writ petition, they get injunction immediately. I want to know as to why the Government do not remove those impediments which comein the way ofimplementation of the 20 Point Programme. Such obstacles are affecting its implementation.

श्री एच० आर० गोखले: भू-सीमा कानून को मै सामान्य रूप में लेता हूं । मैंने भूमि सुधार सम्बन्धी कानून कहा है । हमें पता है कि न्यायालयों द्वारा ऐसे आदेश जारी किए गए हैं और इस समय मैं विशेषरूप से पटना उच्च न्यायालय के बारे में नहीं कह सकता । किन्तु मैंने यह जानकारी एकत्रित कर ली है और मैं इसे सभा पटल पर रख दूगा ।

जहां तक स्थानांतरणों का सम्बन्ध है, मुझे अधिक तो नहीं किन्तु कुछ मामलों के बारे में पता है जहां उच्च न्यायालय द्वारा स्थानान्तरण के आदेश स्थगित किए गए हे जो कि मेरी राय में सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर थे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: इस सम्बन्ध में सरकार की निर्धारित नीति तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले को कुछ प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं का नैतिक समर्थन प्राप्त है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह विलम्ब क्यों हो रहा है और विधि मंत्री द्वारा स्वयं बताई गई सरकारी नीति को व्यावहारिक रूप में लाने मेंकौन-कौन सी कठिनाइयां हैं ।

श्री एच० आर० गोखले: यह बात हमारे ध्यान में आई है और जैसा कि मैंने कहा यह सही है कि विधिवेत्ताओं सहित सबने न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को कम करने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। किन्तु कई विधि सम्बन्धी अड़चनें भी है और हम उन अड़चनों को दूर करने पर विचार कर रहे है। न्यायपालिका की शक्ति में परिवर्तन करने से क्या संविधान के मूलभूत विशेषताओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यह निर्णय अभी निलम्बित पड़ा हुआ है। किन्तु हम तब तक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भी निश्चित करने से पूर्व इन सब पहलुओं पर विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न। श्री हरी सिंह—अनुपस्थित

श्री शक्ति कुमार सरकार —वह भी यहां नहीं हैं।

श्री राम सहाय पांडेय।

पटास तथा दौंद के बीच बिना चौकीदार वाले रेल फाटक पर दुर्घटना

***282. श्री राम सहाय पाँडे :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **रेल** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना में पटास और दौंदकेबीच बिना चौकीदारवालेरेल फाटक पर 19 मई, 1975 की रेलगाड़ी तथा ट्रक के टकरा जानेके परिणामस्वरूप 60 से भी अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी;

(ख) क्या इस मामलेमें कोई जांचकराई गई है; और

(ग) यदि हां,तो उक्त जांचके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख) जी हां।

(ग) दुर्घटना का कारण यहथा किमोटर ट्रक का ड्राइवर ट्रक को तेज चलाता हुआ और बड़ी लापरवाहीसे उस समय बिनाचौकीदारवाले समपार परले आया था जब गाड़ी बिल्कुल पास आचुकी थी। ट्रक के मालिक कोजो वास्तव में उसे चला रहाथा, चेतावनी पट्टी पर ट्रक को न रोकने और बिना चौकीदार वाले समपार पर आती हुई गाड़ी को न देखने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। वह मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करके माल ढोने वाले ट्रकमेंअधिक व्यक्तियों कोभी ले जा रहा था।

ShriR.S.Pandey: Sir,thisis one of the most tragic incidents in the histcy of Railways, which hadtaken place at unmanned level crossing. About 60 persons were killedin it. They include children, women and men. It is true that the truck driver was driving the truck at fast speed and at the same time the train Was approaching there, but the fact is that the levelcrossing was unmanned. Had they deployed any man there,this tragedy could have been averted and these 60 persons would have not been killed. Therefore Iwanttoknowthe number of level crossing in the country which are unmanned and without gates and arrangements being made by Government to man those level crossings.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I visited that place. The truck was carrying a marriage party of 80 persons and six members of the marriage party were sitting with the driver on the front seat. At one place the police was conducing checking and in order to avoid that the Driver took another passage and unfortunately the accident took place.

Shri R.S. Pandey: Bridgegroom was also the victim among them. I want to know how much compensation you have paid to them.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We distributed 1½ lakhs of rupees to the families of the persons killed in this accident. Besides this we provided every assistance to them on the spot.

Shri Jagannath Mishra : Mr. Speaker, from the reply given by the Hon. Minister it seems that most level crossings are unmanned. I want to know whether arrangements would be made to man the level crossings in maximum number, so that such accident would be averted in future.

My second submission is this that when anybody is killed in train accident, he is paid rupees 50 thousands as compensation. I want to know whether compensation is paid in such incidents also and if not what are the reasons ?

Shri Buta Singh: Mr. Speaker, as the State Minister has just now stated that there are about 40,000 level crossing in the Country, therefore it is not possible to man all the level crossings.

So far as payment of Compensation is concerned, it is not actually a train accident. If anybody deliberately comes be fore the running train, in such case the payment of compensation to him is not possible.

Shri Jagannath Mishra : Whether the people deliberately go before the running train to kill themselves ?

Mr. Speaker: Order please.

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी: क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं चूंकि ऐसे फाटकों की संख्या लगभग 40,000 है, जिन पर चौकीदार नियुक्त नहीं है, अतः अगले 5 या 10 वर्षों में वहां चौकीदारों की नियुक्ति के लिए क्या कोई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: प्रति वर्ष इस मामले पर पुनर्विचार किया जाता है। मेरा ख्याल है कि 11,000 गेटों पर चौकीदार तैनात हैं। फाटकों पर चौकीदार की नियुक्तिके लिए किसी विशेष क्षेत्र के घनत्व को आधार माना जाता है।

विश्व बैंक के ऋण से रक्षित विद्युत् संयंत्रों का लगाया जाना

*283. **श्री डी० डी० देसाई :**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गोरखपुर, दुर्गापुर तथा ट्राम्बे के उर्वरक संयंत्रों में विश्व बैंक के ऋण से रक्षित विद्युत् संयंत्र लगाये जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इन रक्षित विद्युत् संयंत्रों के लगाये जाने के बारे में राज्य सरकारों को कोई आपत्ति है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० सी० मांझी) : (क) और (ख):— उर्वरक उद्योग में मुख्यतः क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिये 105 मिलियन "सक्टोरल"

ऋण के लिये विश्व बैंक के साथ समझौता हुआ। गोरखपुर, दुर्गापुर तथा ट्राम्बे के कैप्टिव विद्युत् प्रजनन की स्थापना के लिये विदेशी मुद्रा लागत भी इस ऋण से पूरी की जायेगी। इनस्थानों पर प्रस्तावित विद्युत् संयंत्रों की क्षमता तथा अनुमानित लागत नीचे बताई गई है:--

प्रायोजना	लागत	क्षमता
गोरखपुर	17 करोड़ रु०	12.5 एम डब्लयू० × 2
दुर्गापुर	15 करोड़ रु०	15 एम डब्ल्यू०
ट्राम्बे	7 करोड़ रु०	18 एम डब्ल्यू०

(ग) जहां, महाराष्ट्र तथा उ० प्र० सरकारों क्रमशः ट्राम्बे तथा गोरखपुर संयंत्रों पर कैप्टिव विद्युत् जनन सुविधाओं की स्थापना करने पर सहमत हो गये हैं। वहां दुर्गापुर पर कैप्टिव पावर संयंत्र के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से विचार विमर्श किये जा रहे हैं।

श्री डी० डी० देसाई: जिन राज्यों में उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं, उन्हें वर्षों से लगातार बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री जी ने कहा है कि दो राज्य अपने विधुत संयंत्र स्थापित करने के लिए राजी हो गए हैं और तीसरे राज्य को अभी जवाब देना है। उर्वरक संयंत्रों को नियमित ढंग से बिजली की सप्लाई करने में राज्यों की असफलता को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय स्वविवेक का प्रयोग करके स्वयं निर्णय लेंगे। इससे उर्वरक संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं और देश में उर्वरक की कमी हो रही है। मंत्री जी को ज्ञात है कि देश में बिजली की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को संयंत्र की जरूरतों तथा उसकी विशिष्ठताओं से अवगत कराने के लिए कोई कदम उठाया गया है ताकि वे अग्रिम रूप से तैयारियां कर सकें और उत्पादन करने के लिए तैयार रहे? क्या उन्होंने उन संयंत्रों की निर्धारित क्षमता की 80 प्रतिशत क्षमता को उपयोग में लाने और इस नए विद्युत संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता के बारे में श्रम संगठनों तथा प्रबन्धकों से विचार विमर्श कर लिया है?

श्री सी० पी० मांझी: राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। जब कभी उर्वरक संयंत्रों के लिए विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जानी हो तो राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए तभी हम उन विद्युत संयंत्रों की स्थापना कर सकते हैं। भारतीय उर्वरक निगम को अपनी मर्जी से राज्य सरकारों से परामर्श किए बिना अपने संयंत्र स्थापित नहीं करने चाहिएं। उर्वरक संयंत्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाये जा रहे हैं और हमें आशा है कि हम उनके कार्यकरण में सुधार कर लेंगे।

श्री डी० डी० देसाई: विश्व बैंक इस शर्त पर ऋण देता है कि उपकरण विश्व निविदाओं के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर खरीदे जाने चाहिएं और जब तक देश में उन उपकरणों का मूल्य विश्व निविदा मूल्यों के समान हो तब तक वे उन उपकरणों को देश में ही खरीदने की अनुमति दे देते हैं। बिजली सप्लाई तथा उसकी उपलब्धता की असंतोषजनक स्थिति के कारण वर्ष 1973-74, 1974-75 तथा 1975-76 में उत्पादन में स्थिरीकरण हो गया।

अब देश में इतनी क्षमता विद्यमान है कि अपेक्षित संयंत्रों के लिए उपलब्ध हो सकती है। क्या सरकार अब देश में विद्यमान क्षमता का उपयोग नहीं करेगी और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को उत्पादन आरम्भ करने तथा इस शर्त पर सप्लाई करने के लिए आदेश नहीं देगी कि जब दरें ज्ञात हो जायेंगी तो उन्हें भुगतान विश्व निविदा दरों पर किया जायेगा? क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : अपेक्षित उपकरणों पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से ऋण की आवश्यकता है किन्तु जो उपकरण देश में विद्यमान हैं, उनका पूरा उपयोग किया जायेगा। महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सरकारें सहमत हो गई हैं किन्तु दुर्भाग्य से पश्चिम बंगाल सरकार सहमत नहीं हैं। क्योंकि उनका कहना है कि विद्युत वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यद्यपि विद्युत वहां काफी मात्रा में उपलब्ध है किन्तु वहां बोल्टेज की काफी कठिनाइयां हैं जिससे गंभीर कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं।

हमने इस मामले को फिर से पश्चिम बंगाल सरकार के साथ उठाया हैं और उनके सहमत होने पर हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे।

Shri Genda Singh: I want to draw your attention towards Gorakhpur factory. The U.P. Government has given its approval for that factory. Even then the progress of that factory is unsatisfactory and no priority is fixed for that work. I want to know whether the hon. Minister is aware of this state of affairs and if so, what steps are being taken in that direction?

Shri P.C. Sethi : There had been some progress and increased production in that factory during the last few months. Extra-power capacity is being provided to meet the power difficulties. Expansion work of Gorakhpur is also going on satisfactorily. There had been better results as compared to last year.

Shri Narsingh Narain Pandey: There had been 131 power failures and 191 voltage cuts in the Gorakhpur fertilizer factory during the period of one year ending December, 1975. Similarly, there had been 17 power failures and 28 voltage cuts during 1975-76. As a result of this, urea production was less by 63,466 tons. May I know whether a Committee to enquire into the causes of power failures in the Gorakhpur plant was set up in November, 1970 and if so, what action was taken on its report? Also whether same captive power station is proposd to be set up and negotiations are being held with the World Bank? How are you going to make up this recurring loss?

Shri P.C. Sethi: Both Fertilizer Corporation and Ministry are aware of the fact that transmission source of the Gorakhpur Project is at a distance of some 300 K.M. which create some difficulties. According to the report, its expansion and improvement in the stream is necessary and action is being taken to instal 2 units of 12.5 MW there. As a result of this, total stream power availability will be 51 MW and there will be no power shortage thereafter. It was for this reason that the State Government was consulted which has agreed and we are proceeding further to instal captive power plant there.

अध्यक्ष महोदय : हमने सूची के अनुसार सारे प्रश्नों पर चर्चा कर ली है। अब हम उन प्रश्नों को लें जिनका उत्तर पहली पारी में नहीं दिया गया। प्रश्न संख्या 276—श्री बनर्जी।

वैगन उद्योग

*276. **श्री एस० एम० बनर्जी** :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगन उद्योग निकट भविष्य में अपनी निर्धारित क्षमता से कम काम करेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). यद्यपि इस उद्योग में सक्रिय दस कारखानों की कुल संस्थापित वार्षिक क्षमता लगभग 24,000 माल डिब्बे बनाने की (चौपहियोंके हिसाबसे) है तथापि हाल के वर्षोंमें वास्तविक उत्पादन 10,000 माल डिब्दे प्रति वर्ष हुआ है क्योंकि कुछ कारखाने रुग्ण हैं और कुछ अन्य कारखाने अपनी संस्थापित क्षमता के अनुसार काम नहींकर रहे हैं।

यद्यपि वित्तीय कठिनाइयोंके कारण कुछ सक्रिय कारखानों में इस वर्ष (1975–76) उत्पादन को नियमित करना पड़ा था तथापि आशा की जातीहै कि उद्योग लगभग 10,800माल डिब्बों का सामान्य उत्पादन कायम रखेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी: उन निर्धारित क्रयादेशों का क्या बनाजो हमें युगोस्लावेकिया तथा अन्य समाजवादी देशों सेप्राप्त हुये थे और क्या उनक्रयादेशों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं। यदि नहीं तोइस के क्या कारण हैं?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: मेरे पास इस समय जानकारी नहीं है। मेरे विचार में यह प्रश्न वाणिज्य मंत्रालय सेसम्बन्धित है।

श्री एस० एम० बनर्जी: बनातेतो आप है,वे नहीं।

अध्यक्ष महोदय: इनके पास इस समय जानकारी नहीं है।

श्री एस०एम० बनर्जी: धीमे अथवा कम उत्पादन के कारण कितने कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है और उन्हें अन्य रोजगार देनेके लिये सरकार नेक्या कार्यवाही की है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: खेद है कि हम वैगन नहीं बना रहे। इनका निर्माण गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र मेंहोता है। यह प्रश्न उद्योग मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए जिसके अधीनभारतीय वैगन प्राधिकरण काम कर रहा है।

श्री नवल किशोर सिंह: सरकार ने बिहार के अर्थरबटलर तथा ब्रिटेनिया इन्जीनियरिंग नामक दो वैगन बनानेके कारखानों कोअपने नियंत्रण में लिया है।

क्या येदो कारखानेपूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे क्योंकि आवश्यकतानुसार क्रयादेश प्राप्त नहींहुए और रेलवे बोर्ड द्वारा निश्चित वैगनों के मूल्य गैर-सरकारी निर्माताओं के लिये निश्चित मूल्योंसे कम हैं?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: इनदो एककों का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से बहुत कम है। रेलवे बोर्ड ने 1976–77के लिये कोई भी मूल्य निश्चित नहीं किये हैं।

Shri Onkar Lal Berwa: I want to know the number of wagons being manufactured in the private and public sectors, separately.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The installed capacity of M/s. Arthur Butler is 1000 but the present loadis450. Similarly, installed capacity of M/s. Braj andRoof is1585 and its present loadis836. These are verylengthy figures. Iwant toplace themon the table of the House.

Shri Onkar Lal Berwa: What is the numberof wagons being constructedin the public and privat esectors, separately.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: There is separate break up of the same.

मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं ।

Shri Onkar Lal Berwa: It is of no use to ask the questions because he is not giving ny reply.

Mr. Speaker : He will place it on the table of the House.

श्री इन्द्रजीत गुप्त: चालू वर्ष के लिये रेलवे बोर्ड के पास कितने क्रयादेश पड़े हैं और पश्चिम बंगाल के ब्रैथवैट्स,बर्न एण्ड कं०इंडियन स्टेन्डर्ड वैगन्स, टेक्समैको एण्ड जैसप्स जैसे वैगन निर्माताओं के पास पांचवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिये कितने क्रयादेश पड़े हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: 1 अप्रैल, 1975 को पश्चिम बंगाल के निर्माताओं के पास पिछले 14,000 क्रयादेश पड़े थे और इस वर्ष उन्हें 9,000 वैगनों के क्रयादेश दिये जायेंगे और कुल संख्या 23,000 वैगन हो जायेगी । उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुसार यह उनका तीन वर्ष का काम है ।

Shri D.N. Tiwary: Will the Minister place a statement on the table of the house indicatin grated capacity of public and private sectors, total production figures of placed orders etc.etc. Has the Government evalued a solution for utilising the rated capacity.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: I have no objection. I can place the same on the table of the house.

Shri Srikishan Modi: Some time ago we were told that our requirement of wagons is increasing day by day. May I know whether this requirement has been fulfilled and whether the same are still needed and if so, how much.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: We will require 1 lakh wagons during the next five years which means 20,000 per year but due to non-availability of funds this yasr demand will only be 10,000 wagons.

Shri Ram Kanwar: Our Committee visited Diesel Engine factory at Varanasi. Manager told us that demand has gone down very much as result of which all the workers will be rendered jobless. Its present capacity is very limited. Is the Minister taking solid s teps in this direction so that workers are not rendered jobless.

Shri Mohd. Shafi Qureshi: The question pertains to the wagons by the hon. members is asking about locomotives. Diesel Loco works Varanasi has recently exported some engines to Tanzania. We hope that saome foreign market will be found for the engines manufactured there.

श्री रणबहादुर सिंह : हमें बताया गया है कि पंजाब में विशेष प्रकार के कुछ ऐसे माल डिब्बे बन रहे हैं जिनसे भारी मशीनरी को लादने तथा उतारने में सुविधा मिलती है । क्या इस प्रकार के वैगनों को निर्यात करने के बजाय सभी भारतीय रेलों को उपलब्ध किया जायेगा, यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: इस प्रकार के इंजन पंजाब के किस कारखाने में बन रहे हैं, इस बात की हमें कोई भी जानकारी नहीं है ।

Shri R.P. Yadav: The hon. minister has stated that we require wagons and capacity of the factories is very limited. In view of this about steps are being taken to improve the situation ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : As I stated,the industries are not utilising their capacity. They have manufactured only 10,000 wagons against installed capacity of 24,000 wagons. Industries will have to strive hard with a view to complete in the foeign markets. We have been trying to keep the industries functioning and there are minimum retrenchments.

दादर स्टेशन पर उपयोग में लाई जा चुकी टिकटों का मूल्य वापस लेने की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पकड़ा जाना

*280. **श्री हरी सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1976 के प्रथम सप्ताह में रेलवे पुलिस ने मध्य रेलवे के दादर स्टेशन पर एक ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो उपयोग में लाई जा चुकी टिकटों को वापस कर के उनका मूल्य लेता रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मध्य रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर उक्त गिरोह ऐसा कर रहा था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जनवरी, 1976 के प्रथम सप्ताह में ऐसा कोई मामला नहीं पकड़ा गया। किन्तु, 23-12-75 को एक व्यक्ति जो दादर से पुणे तक के तीन उपयोग में लाये जा चुके दूसरे दर्जे के मेल/एक्सप्रैस टिकटों का किराया वापस मांगने की कोशिश कर रहा था पकड़ा गया और उसे राजकीय रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उसके एक सहयोगी को भी, जो दादर स्टेशन तक उसके साथ आया था, पुलिस अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया गया। तदन्तर 10-1-76 को दादर के एक बुकिंग क्लर्क को अपराध में उसके भी हाथ होने के सन्देह में, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। राजकीय रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहित की धारा 420, 468, 34 और 511 के अधीन मामला दर्ज कर लिया हैं और जांच-कार्य अभी जारी है।

(ख) प्रत्यक्ष रूप से यह गिरोह दादर और पूर्ण स्टेशनों पर क्रियाशील था किन्तु इसकी गतिविधियों का वास्तविक क्षेत्र जांच पूरी हो जाने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

Shri Hari Singh : Whether the Government has detected the similar cases of faked tickets in other stations also. Ifso, thenames of the employees apprehended and action taken against them

Shri Mohd. Shafi Qureshi: This case Was detected at Dadar and We made enquiries about that there. I have got the names of the apprehended persons. It should be admitted that Railway staff is very vigilant and has detected the frauds. We are trying to keep vigilence on other stations also.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या इस प्रकार के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि बिना टिकट यात्रा का पता लगाने के लिये तीन मंत्री गुप्त रूप में यात्रा करते हैं। यदि हां, तो उन्होंने कितने मामलों का पता लगाया है और इस प्रकार की गुप्त यात्रा के कारण क्या कोई कठिनाइयां पैदा हुई हैं।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: हमकभी कभीकर्मचारियोंकेप्रेरित करने के लियेबाहर जाते हैं। इसका श्रेय कर्मचारियों को जाता है जो बाद में इन अपराधियों को पकड़ भी लेते हैं।

Shri Hari Singh: Whether the Government has given a serious thought to this problem with a view to avoid its re-occurence. It is due to heavy rush of travellers coming out after handing over tickets as a result of which it is not possible to find out the genuineness of the ticket. Whether some steps are proposd to be taken to stop this evil. If so, the details thereof.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Immediately after the incidents of refund of used ticket came to our notice, we instructed all the stations to observe vigilence and take suitable action against the defrauders.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सौराष्ट्र प्रदेश में चलने वाली गाड़ियाँ

*267. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में अधिकतर गाड़ियां धीमी गति से चल रही हैं। अपर्याप्त कोयले तथा जल की सप्लाई तथा त्रुटिपूर्ण एवं पुरानी रेल परिचालन सुविधाओं व उपकरणों के साथ चल रही है जिससे सारे क्षेत्र के यात्रियों तथा व्यापारियों को अनेक कठिनाइयां होती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति सुधारने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) महोदय, सौराष्ट्र क्षेत्र में मुख्य लाइन की सवारी गाड़ियों की अधिकतम अनुमत रफ्तार मीटर लाइन पर 65 कि० मी० से 75 कि० मी० प्रति घंटा है जो कि भारतीय रेलों के दूसरे मीटर लाइन खंडों के बराबर है। फिलहाल न तो कोयले या पानी की सप्लाई की कमी है और न ही रेल परिचालन सम्बन्धी सुविधाएं तथा उपस्कर जिनके कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अपूर्ण या पुराने है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पेट्रोलियम की कीमत नियंत्रित करने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन में हुआ समझौता

*270. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तेल निर्यातक राष्ट्रो में मूल्यों पर छूट नियंत्रित करने के लिये जिससे कुछ प्रकार के पेट्रोलियम का मूल्य कुछ कम हुआ है, हाल ही में एक समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) तेल-निर्यातक देशों के संगठन की उक्त बैठक में किन-किन देशों ने भाग लिया था; और

(घ) उक्त समझौते से भारत को क्या लाभ होगा ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हमारी सूचना के अनुसार तेल के मूल्य निर्धारण में गुणों में अन्तर पर विचार विमर्श करने के लिये 20 दिसम्बर, 1975 को वियाना में तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन की एक बैठक हुई थी ।

तेल के गुणों में अन्तर पर कोई निर्णय लेने से पूर्व अपहरण तथा उसके पश्चात् तेल निर्यात करने वाले देशों के अनेक तेल मंत्रियों को छोड़ने के कारण बैठक शीघ्र समाप्त कर दी गई ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत जाँच के लम्बित मामले

*271. **श्री सोम नाथ चटर्जी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया अधिनियम की धारा10 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के समक्ष जांच के कितने मामले लम्बित है ; और

(ख) इन मामलों में किस आधार पर जांच आरम्भ की गयी और ये कितने समय से लम्बित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 31–12–75 तक एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 10 के अन्तर्गत की गई 110 जाचें, एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग के समक्ष अनिर्णीत थीं ।

(ख) ये जाचें, अधिनियम की धारा 10 के खंड (क) केउप-खंड (1) से (4) अथवा खंड (ख) में वर्णित परिस्थितियो, जिनके लिये ध्यान आकर्षित किया जाता है, में आयोग द्वारा की जाती है । अनिर्णीत जांचों में 4,1972, के वर्ष 5, 1973 के वर्ष 7, 1974 के वर्ष व 84, 1975 के वर्ष में की गई जांचों से सम्बन्धित हैं ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में कर्मचारियों की सेवा में बहाली

*274 **श्री डी० के० पंडा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में उन कर्मचारियोंकी संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध गत रेल-हड़ताल में भाग लेने के संबंध में यद्यपि पुलिस द्वारादर्ज किये गये मामले उनके पक्ष में निपट चुके हैं तथापि उन्हें अभी तक सेवा में बहाल नहीं किया गया है ; और

(ख) उन की सेवा में बहाली के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई 'हाई क्षेत्र' में तेल की खोज

*275. **श्री त्रिदिब चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) बम्बई 'हाई क्षेत्र' में तट-दूर कितने छिद्रण प्लेटफार्म कार्य कर रहे हैं तथा कितनों के कार्य करने की सम्भावना है ; और

(ख) इस समय तट-दूरकार्य कर रहेतथाभविष्य में कार्य करने वाले खोज जलयानों की संख्या तथा नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का जैक-अप प्लेट फार्म "सागर सम्राट" को व्यधन विकास के लिये बम्बई हाई में नियोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस वर्ष मार्च से व्यधन विकास को तीव्र करने के लिये एक दूसरे जैक-अप फाम प्लेट 'शेनन्दोह' को भी किराये पर लिया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने "हाकन मगन्स" एक अर्ध जलमग्न रिग और "दलमहोय" एक व्यधन पोत को किराये पर लिया है और ये दोनों रिग बम्बई हाई में भी कार्य कर रहे हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का भूकम्पीय सर्वेक्षण पोत अन्वेषक' हाल में ही सौराष्ट्र तट के अपतटीय क्षेत्र में भागों का सर्वेक्षण कर रहा है। इसके अतिरिक्त कच्छ, बंगाल-उड़ीसा और कावेरी अपतटीय शालाओं के लिये उत्पादन शेयर की संविधायों रीडिंग बेट्स ग्रुप काल्सवग इण्डिया ग्रुप और असमेरा-ग्रुप को क्रमशः प्रदान की गई है। दो व्यधन करने वाले, "ई डब्लयू थाटन" और फैड्रिक वर्ग को ठेकेदारों ने कच्छ और बंगाल उड़ीसा अपतटीय थालाओं में क्रमशः अन्वेषी व्यधन का कार्य लिये लगाया हुआ हैजो इस कार्य की कर रहे हैं। कावेरीअत ट में असमेरा ग्रुप ने एक भू-कम्पीय सर्वेक्षण पोत "शये कन्टास" को लगाया हुआ है जो भू-कम्पाय सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। इस क्षेत्र में आंय अन्वेषी व्यधन कार्य इन सर्वेक्षणों के परिणाम पर निर्भर करेंगे।

Supply of uniforms to Ticket Checking Staff(North Eastern Railway)

***277. Shri Bhola Manjhi:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether uniforms are being supplied to the ticket checking staff of the North Eastern Railwayin accordance with the recommendations made by the Committee on Uniforms;

(b) whether a further cut has been made in the provision of liveries to this staff; and

(c) if so, the reasons thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

वाकुलतला में छिद्रण कार्य

*281. **श्री शक्ति कुमार सरकार:** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बाकुलतला में छिद्रण कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी,.हां।

(ख) पश्चिम बंगाल में वाकुलतला पर पहले कुएं की खदाई 12-8-75 को आरम्भ हुई थी और अभी जारीहै। 8-1-76 कोकुएं को 3131 मीटर की गहराई तक खोदा गया था जबकि इसे 3500 मीटर तक खोदा जाना था।

मध्य रेलवे में विद्युतीकरण/डीजलीकरण

*284. **श्री धामनकर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य रेलवे में रेलों का अग्रेतर क्ष्युती करण तथा डीजलीकरण करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने कोई सुझाव दिया है ; और

(घ) इस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). मध्य रेलवे पर बिजलीकरण का कोई और प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहां तक डीजलीकरण की बात है, यदि यातायात की दृष्टि से आवश्यकता हुई और डीजल रेल इंजन उपलब्ध हुए तो जरूरत होने पर और डीजली करण किया जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठत ।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों द्वारा नाइट्रोजन का उत्पादन

285. **श्री राजदेव सिंह:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के 6 उर्वरक कारखानों में कुल कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) यदि उनमें क्षमता से कम उत्पादन होता हो तो क्या वर्तमान कारखानों को निर्धारित क्षमता के स्तर पर लाने के बजाये और अधिक कारखाने स्थापित करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख). सम्भवत: प्रश्न के भाग (क) में बताये गये 6 सरकारी क्षेत्र की उपक्रमों का संकेत उर्वरक निगम के 6 कार्य कर रहे यूनिटों से हो अर्थात् सिन्दरी, नंगल, ट्राम्बे, गोरखपुर, नामरूप तथा दुर्गापुर भारतीय उर्वरक निगम के इनयूनिटों के अतिरिक्त देश में सरकारी क्षेत्र के और यूनिट कार्य कर रहे हैं । अप्रैल-दिसम्बर, 1975 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1974 की अवधि के दौरान इस समस्त यूनिटों की स्थापित क्षमता तथा उत्पादन कार्य नीचे दिया गया है ।

(आंकड़े 1000 मी० टनों में)

यूनिट का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	अप्रैल-दिसम्बर, 1975	अप्रैल-दिसम्बर, 1974
एफ सी आई सिन्दरी . .	90	33.3	37.7
नंगल	80	55.5	30.0
ट्राम्बे	81	48.0	43.2

यूनिट का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता	अप्रैल-दिसम्बर 1975	अप्रैल-दिसम्बर 1974
गोरखपुर	80	39.1	54.1
नामरूप	45	31.8	28.8
दुर्गापुर	152	22.0	7.8
कुल भारतीय उर्वरक निगम के एकक . .	520	229.7	201.6
अन्य			
उद्योग मण्डल	82	32.4	25.8
कोचीन	152	48.7	24.5
राऊरकेला	120	53.8	42.0
नेवेली	70	13.9	11.7
मद्रास	164	106.9	48.0
कुल सरकारी क्षेत्र	1136*	497.4*	364.8*

1. इसमें सरकारी क्षेत्र में उपोत्पाद के रूप में उर्वरक उत्पादन सम्मिलित हैं ।

2. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भारतीय सर्वरक निगम के कार्य कर रहेयू निटों ने अप्रैल-दिसम्बर, 1975 की अवधि के दौरान 58.5 प्रतिशत समग्र अनुपात क्षमता का उपयोग किया जब कि विगत वर्ष के पदनुरूपी अवधि के दौरान क्षमता का उपयोग 51% था । इन एककों में सिन्दरी के पुराने तथा दुर्गापुर, जिसने अभी तक सन्तोषपूर्ण स्तर तक उत्पादन स्थिरन हीं रखा, सम्मिलित है । इ न दो यूनिटों के कार्य निष्पादन को छोड़कर वर्ष के दौरान भारतीय उर्वरक निगम के अन्य चार एककों, अर्थात् नंगल गोरखपुर, ट्राम्बे तथा नामरूप क्षमता का उपयोग लगभग 81% होगा । यह एक अच्छी उपलब्धि है तथा अन्य स्थानों के संयंत्रों के कार्य के साथ इसकी सन्तोषपूर्ण ढंग से तुलना की जा सक्ती है ।

3. उर्वरक उद्योग ने नाइट्रोजन का 1.14 मिलियन मी० टन उत्पादन प्राप्त कर लिया है तथा वर्ष में लगभग 1.5 मि० मी० टन का कुल उत्पादन होने की आशा है जब कि 1974-75 के दौरान उत्पादन 1.18 मिलियन मी० टन था । उत्पादन में इस वृद्धि का मुख्य कारण सरकारी क्षेत्र के प्लाटों के कार्य निशपादन है तथा संयंत्रों के क्षमता को अधिक्तम उपयोग करने के समस्त संयंत्रों के कार्य में और सुधार करने के लिये सबल प्रयत्न किये जा रहे हैं । इन कार्यों में नवीकरण/आधुनीकीकरण/कठिनाईयों को दूर करने तथा अन्य उपाय सम्मिलित हैं ।

4. एक निश्चित स्तर से अधिक उर्वरकों की देशीय उपलब्धता में वृद्धि करने में इन उपायों से स्वतः ही सहायता नहीं मिल जायेगी । अपितु देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को प्रर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता के विकास की आवश्यकता है । इस संदर्भ में अतिरिक्त

उर्वरक क्षमता के सृजन के लिये सरकारी और गैर-सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र में बहुत कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है ।

रेल कर्मचारियों का एक उद्योग में एक यूनियन रखने सम्बन्धी निर्णय

1185. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेल कर्मचारियों के एक उद्योग में एक यूनियन रखने सम्बन्धी निर्णय की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी संगठन प्रायः "एक उद्योग में एक यूनियन" के सिद्धान्त के समर्थन में विचार व्यक्त करते रहे हैं । सरकार भी इस सिद्धान्त के पक्ष में है और यदि विभिन्न कर्मचारी संगठन एक साथ मिलकर एक उद्योग में एक यूनियन बनायें तो सरकार इसका स्वागत करेगी ।

आन्ध्र प्रदेश में दक्षिण-मध्य रेलवे के लिए रेल सेवा आयोग

1186. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में दक्षिण-मध्य रेलवे के लिए एक पृथक रेल सेवा आयोग बनाने का निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : दक्षिण-मध्य रेलवे के लिए एक पृथक रेल सेवा आयोग की मांग को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है । वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों और परिणामस्वरूप अतिरिक्त पदों के सृजन पर लगायी गयी पाबन्दियों के कारण इस निर्णय का कार्यान्वयन स्थगित किया गया है ।

नवपाड़ा-गुनुपुर-नैरो गेज लाइन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) में सुधार

1187. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दक्षिण-पूर्व रेलवे के अधीन नवपाड़ा-गुनुपुर नैरो गेज लाइन में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सुधार करने हेतु कोई धनराशि दी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974–75 में इस लाइन के काम में कितनी प्रगति हुई और इस पर कितना धन खर्च किया गया ; और

(ग) इस लाइन के सुधार हेतु वर्ष 1975–76 के लिये क्या व्यवस्था की गई ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 1974–75 में 2.08 लाख रुपये खर्च किये गये थे । 33.8 कि० मी० पटरी के नवीकरण का कार्य समाप्त हो चुका है? अलग-अलग हिस्सों में 56 कि० मी० दूरी तक स्लीपरों के नवीकरण का काम हो रहा है ।

(ग) 3.01 लाख रुपये ।

महानगरीय परिवहन (रेलवे) परियोजनाओं की प्रगति और व्यय

1188. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिनमहानगरीयपरिवहन (रेलवे) परियोजनाओंकी मंजूरी दी गई है और जहां कार्य हो रहा है उनके नाम क्या हैं तथा प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ;

(ख) प्रत्येक परियोजना संभवतया कब तक पूरी हो जयेंगी ; और

(ग) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों ने भी इन परियोजनाओं के व्यय में हिस्सा बटाने की पेशकश की है और प्रत्येक मामले में वे कितना-कितना हिस्सा बटायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कलकत्ता की दमदम टालीगंज द्रुत परिवहन लाइन के अलावा, अभी और किसी निर्माण-कार्य की मंजूरी नहीं दी गयी है। इस लाइन की संशोधित अनुमानित लागत 250 करोड़ रुपये है। दमदम के समीप और मैदान क्षेत्र में भी निर्माण कार्य चल रहा है।

रावली जं० फोर्ट मार्केट लाइन (बम्बई की गलियारा 6 परियोजना का पहला चरण) के निर्माण का काम चालू वर्ष में शुरु करने के लिए बजट व्यवस्था कर दी गयी है और जैसे ही सरकार स्वीकृति दे देगी, काम शुरु कर दिया जायेगा।

दिल्ली और मद्रास के लिए सम्भावित द्रुत परिवहन प्रणाली के वास्ते केवल तकनीकी आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन की ही मंजूरी दी गयी थी और अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया गया था।

(ख) कलकत्ता परियोजना की लक्ष्य-तिथि शुरू में 1979 रखी गयी थी जिस पर पुनर्विचार किया जा रहा है क्योंकि साधनों की कमी और लागत के ऊंचे अनुमानों के कारण अभी तक धन का पर्याप्त आवंटन करना संभव नहीं हो सका है।

यदि निर्माण कार्य की मंजूरी नहीं दी जाती और पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं की जाती तो बम्बई परियोजना के लिए लक्ष्य-तिथि इस समय निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(ग) यदि परिचालन कार्य में कोई हानि होगी तो उसमें हिस्सा बटाने के प्रश्न पर इस समय केवल पश्चिम बंगाल सरकार के साथ बातचीत की जा रही है, जिससे कि राज्य सरकार की भूमि और उस पर मौजूद सम्पत्ति को इस परियोजना के लिए मुफ्त देने का अनुरोध किया गया है। अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया।

गत 6 मास में सेवा से बर्खास्त किए गए अथवा समय पूर्व सेवा से निवृत्त किय गये कर्मचारियों की संख्या

1189. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातस्थिति के गत 6 मास में कम्पनी कार्य विभाग के कितने कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किये गये अथवा समय-पूर्व सेवा-निवृत्त किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) . अभी तक कम्पनी कार्य विभाग के छः कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवा-निवृत्त केनोटिस जारी किये गये हैं इ नमें से दो "क" समूह (प्रथम श्रेणी) , एक "ग" समूह (तृतीय श्रेणी) और शेष तीन "घ" समूह (चतुर्थ श्रेणी) से सम्बन्धित हैं ।

Proposed new train between Ahmedabad and Faizabad

* **1190. Shri Bhagirath Bhanwar** : Willthe Minister of **Railways** be pleased to state:

(*a*) Whether the proposed new train to be operated between Ahmedabad and Faizabad will be an Express train;

(*b*) the stations at which this train will stop; and

(*c*) whether this train willhave airconditioned and first class coaches?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*) Yes.

(*b*) A statement is attached.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 10235/76]

(*c*) Ahmedabad-Faizabad/Varanasi Sabarmati Express is provided with first class accommodation and not first class Airconditioned.

Non-availability of facilities for Booking of Consignments and Wagons (Ratlam Division)

1191. Dr Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Railways** be pleasedto state ?

(*a*) whether there are complaints from businessmen of non-availability of proper facilities for booking of small consignments and wagons at various railway stations of Ratlam Division of Western Railways;

(*b*) Whether any quota for small consignments in general has been fixed for each station but the arrangements are different; and

(*c*) if so, the steps taken to remove this difficulty?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*) No.

(*b*) No.

(*c*) Does not arise.

आप्टा-मंगलौर-कोंकण रेलवे का निर्माण

1192. **श्री मधु दंडवते** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आप्टा-मंगलौर-कोंकण रेलवे के निर्माण संबंधी प्रगति क्या है ; और

(ख) इस पूरे मार्ग के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). आप्टा-मंगलूरु रेल सम्पर्क के आप्टा-दसगांव भाग का अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका हैऔर रिपोर्टों की जांच की ज रही है । रत्नागिरी और मंगलूरु के बीच स्थानिक जांच सहित दसगांव तथा रत्नगिरी

के बीच अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण हो रहा है । सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच के पश्चात् ही इस परियोजना के निर्माण के बारे में निर्णय लिया जायेगा, बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता

1193. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी, कलकत्ता के दो निदेशकों का 20 लाख रुपये से अधिक की अदायगी पर कम्पनी के 49 प्रतिशत शेयर खरीदने का विचार है; और

(ख) क्या कम्पनी कानून बोर्ड ने बर्ड एण्ड कम्पनी की न्यास निधि के सदस्यों, जो कम्पनी के वर्तमान शेयरधारी हैं, के हितों के संरक्षण के लिये कोई उपाय किये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) मैं० बर्ड एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता के दो निदेशकों, सर्वश्री ए० बसु एवं शंकर घोष ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108क के अन्तर्गत इसके कुल 45,005 साम्य हिस्सों में से उनमें से प्रत्येक द्वारा 100 रुपये की दर के 11206 हिस्सों के, 175.00 रु० प्रति हिस्से की दर से अवाप्ति के लिये, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ एक आवेदन पत्र दिया था । दोनों सम्बन्धित निदेशकों ने आवेदन-पत्र वापिस ले लिये हैं ।

(ख) कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी से यह पूछते हुये एक नोटिस प्रेषित करने का निर्णय किया है कि वह कारण बताये कि उसके उन कार्यकलापों, जो जनहित के विरुद्ध, कम्पनी के हितों के विरुद्ध, एवं कम्पनी के सदस्यों को पीड़ित करने के उद्देश्य से, संचालित किये जा रहे हैं, को रोकने के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अनुसरण में, बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में, सरकारी निदेशक क्यों नहीं नियुक्त किये जाने चाहिएं । कम्पनी विधि बोर्ड, कम्पनी से नोटिस के उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही करेगा ।

Conversion of Khandwa-Ajmer Metre Gauge line into Broad Gauge

*1194. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(*a*) whether the Government of Madhya Pradesh has agreed to extend co-operation in the work of conversion of Khandwa-Ajmer metre gauge line into a broad gauge line ; and

(*b*) the time by which this work is likely to be taken up?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*) & (*b*). There is no proposal under consideration at present for the conversion of Khandwa-Ajmer Metre Gauge rail link to Broad Gauge. The State Government of Madhya Pradesh have also not shown any interest so far in taking up this conversion project.

A proposal for laying of a parallel B.G. rail link from Ajmer to Chittorgarh, a portion of Ajmer-Khandwa M.G. rail link, was however surveyed as part of the scheme for the conversion of Delhi-Ahmedabad Metre Gauge raillink to BG. A decision on the project will be taken after detailed examination of the survey report and depending u pon the availability of funds.

कुकिंग गैस तथा पेट्रोल एजेंसियाँ समाप्त करना

1195. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंडियन आयल कारपोरेशन ने गत तीन वर्षों में कुकिंग गैस-पैट्रोल, तथा मिट्टी के तेल की कितनी ऐजेन्सियां समाप्त की तथा उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : गत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा राज्यवार फुटकर पेट्रोल पम्प मिट्टी के तेल/हल्के डीजल आयल की वितरकता और ईंधन गैस की वितरकता की कुल संख्या नीचेदी है :—

राज्य	फुटकर पेट्रोल पम्प के डीलर	मिट्टी के तेल के डीलर	ईंधन गैस के डीलर
1. महाराष्ट्र	3	7	—
2. गुजरात	5	3	1
3. मध्य प्रदेश	1	2	2
4. देहली (संघीय क्षेत्र)	2	2	—
5. यू० पी०	3	1	2
6. पंजाब	2	—	—
7. हरियाणा	—	2	—
8. राजस्थान	1	—	—
9. बिहार	1	3	—
10. उड़ीसा	1	2	—
11. प० बंगाल	1	9	—
12. तामिल नाडू	1	3	2
13. केरला	2	—	1
14. करनाटक	—	1	—
15. आन्ध्र प्रदेश	—	4	—

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन रक्षक औषधियों का वितरण

1196. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं के साथ जीवन रक्षक औषधियों के उचित दर पर वितरण के लिये इस बीच कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क), (ख) और (ग). पिछड़े हुये क्षेत्रोंमें और ऐसे क्षेत्रोंमें जहां गरीबी का वातावरण हो, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिये सरकार विद्यमान पेट्रोल पम्पों को बहु-उद्देश्यीय वितरण केन्द्रों में परिवर्तित करने के प्रश्न पर

विचार कर रही है । ऐसे बहु-उद्देश्यीय वितरण केन्द्रों द्वारा जमा किये जाने और बेचे जाने वाले प्रस्तावित मदों में कन्ट्रोल का कपड़ा, साइकिल के टायर, स्कूटर के टायर, साबुन और औषध आदि शामिल हैं, ऐसे 400 वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है, जिनमें से, 2 केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं—एक बहल गांव, सोनीपत, हरियाणा में और दूसरा जिला, जगदीशपुर, जौनपुर, उ० प्र० में और उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था भी की गई है ।

2. आवश्यक घरेलू दवाइयों को उचित मूल्यों पर ग्रामीण जनता को विशेष कर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पांचवीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा एक योजना रखी गई है । इस योजना को 1976-77 में आरम्भ करने का प्रस्ताव है। बशर्ते कि इसके लिये धन उपलब्ध हो ।

3. औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर एकीकृत विचार रखने के उद्देश्य से सरकार औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति की सिफारिशों पर जिसने 6-4-75 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ध्यानपूर्वक विचार कर रही है ।

सरकार समिति की सिफारिशों पर शीघ्र ही अपना निर्णय देगी ।

कुकिंग गैस की सप्लाई में कमी

1197. श्री सरोज मुकर्जी :
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुकिंग गैस का वर्तमान मूल्य क्या है और हाल ही में इसके मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं ;

(ख) देश भर में गृहणियों को गैस की कम सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं और गैस की सप्लाई की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) वर्ष 1976 के दौरान एल० पी० जी० की सप्लाई स्थिति में किस आधार पर सुधार करने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) चार मेट्रोपोलिटन शहरों में कुकिंग गैस की वर्तमान फुटकर विक्रय मूल्य नीचे दिया हुआ है :—

शहर	गैस की मात्रा	मूल्य रुपये
कलकत्ता	15 किलो ग्राम	33.31
मद्रास	—वही—	29.36
बम्बई	14.2 किलो ग्राम	26.75
दिल्ली	15 किलो ग्राम	32.62

1-12-1975 से प्रभावी कुकिंग गैस के मूल अधिकतम विक्रय मूल्य में हाल ही में हुई वृद्धि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा अपने कच्चे तेल की एफ० ओ० बी० लागत में लगभग

10% वृद्धि करने के निर्णय के परिणामस्वरूप आयातित कच्चे तेल की लागत में वृद्धि होने के कारण हुई ।

(ख) और (ग). एलपीजी की वर्तमान मांग शोधनशालाओं से उनके उत्पादन से अधिक है तथापि एलपी जी के लिये उत्पादन और विपणन व्यवस्थाओं में वृद्धि के लिये कई कदम उठाये जा रहे हैं। इन में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) शोधनशालाओं से एल पी जी का अधिक उत्पादन करना ।

(ii) एल पी जी के उत्पादन और मांग में विभिन्नताको पूरा करने के लिये स्पीकेड कच्चे तेल का आयात ।

(iii) गैस सिलन्डरों के निर्माण के लिये स्टील का आयातइस समय तेल कम्पनियों की विस्तार योजनाओं के लिये व्यवस्थायें करने अथवा वर्तमान मांग को पूरा करने के लिये सिलिन्डरों की कमी नहीं है ।

(iv) एल पीजी के प्रपुंज परिवहन के लिये टैंक ट्रक की फिलीट और ट्रैंक वैगनों को बढ़ाना ।

(v) कानपुर में नये वाटलिंग संयंत्र को स्थापित करने और शकूर बस्ती दिल्ली में वर्तमान वाटलिंग संयंत्र की क्षमता बढ़ाना ।

(vi) कोयाली और शकूर बस्ती में टैंक वैगनों के लिये अतिरिक्त उतारने और चढ़ाने की व्यवस्था करना ।

(vii) परिवहन और अन्य संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करना । इन उपायों के परिणामस्वरूप और विशेषकर हल्दिया शोधनशाला और कोयाली तथा अन्य शोधनशालाओंसे प्रपुंज एल पी जी के परिवहन व्यवस्थाओं में सुधार के कारण 1976 में एल पी जी की सप्लाई में और आगे वृद्धि की सम्भावना है ।

1974 से 1975 में एल पी जी सप्लाई में लगभग 24.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

"जनता औषधियों" का उत्पादन और उनकी बिक्री

1198. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इंडियन हास्पिटल्स एसोसिएशनने, स्वास्थ्य समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार बनाई जाने वाली "जनता औषधियों" का शीघ्र उत्पादन और "जनता" माध्यम से इसका वितरण करने के लिये कहा है, ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). सरकार ने विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट और मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

में 29 नवम्बर, 1975 को हुई अखिल भारतीय हस्पताल संघ की 15वें वार्षिक सम्मेलन के दौरान विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिये गये वक्तव्यों को देख लिया है । सम्मेलन में "जनता चैनल" के माध्यम से औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति द्वारा पता लगाये गये 117 औषधों को "जनता औषध" के नाम से अधिक उत्पादन और वितरण किये जाने का विचार रखा गया है।

औषध और भेषज उद्योग पर गठित समिति ने औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट 6 अप्रैल 1975 को सरकार को प्रस्तुत कर दी थी।

उत्पादन कार्यक्रम के बारे में हाथी समिति की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें निम्न प्रकार थीं:—

(i) अधिक खपत के लिये समिति द्वारा पता लगाये गये 117 आवश्यक सूत्र योगों के उत्पादन के लिये अपेक्षित प्रपुंज औषधों के उत्पादन में वृद्धि करना ; और

(ii) सरकारी क्षेत्र भारतीय क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र को संबंधित उत्पादन का काम सौंपना ।

औषधों और औषध-सूत्रयोगों के वितरण पर हाथी समिति की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें निम्न प्रकार हैं :-

"(i) सरकारी क्षेत्र में वितरण प्रणाली को घरेलू दवाइयों के वितरण के लिये अपरम्परागत एजेंसियों जैसे, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायतों, औषधालयों डाक-घरों, पैट्रोल और मिट्टी के डिपो, आदि का प्रयोग करना चाहिए । हमारी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के उपयुक्त एक विस्तृत वितरण। पद्यति का विकास करने की आवश्यकता है ।

(ii) औषधों के मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने के अतिरिक्त दूरस्थ गावों में एक अल्प-विकसित प्रकार की स्वास्थ्य सेवा चालू की जानी चाहिए जिसके अन्तर्गत खांसी, बुखार के लिये एन्टासिड दवाइयों और अन्य आम घरेलू दवाइयों को चोरी मुक्त पैकिंग में उपलब्ध कराया जाना चाहिए जो कि 3–4 दिन के इलाज के लिये पर्याप्त हो ।

(iii) इन औषधों को ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के लिये घरेलू दवाइयों और आमतौर पर प्रयोग में आने वाली दवाइयों, जिनके लिये डाक्टर के नुस्खे की आवश्यकता नहीं होती है, के बारे में वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित और विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए। डाक-तार विभाग, इंडियन आयल कम्पनी के डिपो, मिट्टी के तेल के डिपो से भी इस सम्बन्ध में सहायता ली जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में औषधों के वितरण के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

पिछड़े हुए क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां गरीबी का वातावरण हो, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए सरकार विद्यमान पेट्रोल पम्पों को बहुउद्देशीय वितरण-केन्द्रों में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। ऐसे बहु-उद्देशीय वितरण-केन्द्रों द्वारा जमा किये

जाने वाले और बेचे जानेवाले प्रस्तावित मदों में कन्ट्रोल का कपड़ा, साइकिल के टायर, स्कूटरके टायर, साबुन और औषध आदि शामिल हैं। ऐसे 400 वितरण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से 2 केन्द्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं — एक बहलगांव में और दूसरा जौनपुर में, और उपभोक्ताओं की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करनेकी व्यवस्था भी की गई है।

आवश्यक घरेलू दवाइयों को उचित मूल्यों पर ग्रामीण जनता को, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उपलब्धकरानेके उद्देश्य से पांचवीं पंचवर्षीय योजनामें स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय द्वारा एक योजना रखी गई है। इस योजना को 1976–77 में आरम्भ करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिए धन उपलब्धहो।

हाथी समिति द्वारा कीगई सिफ़ारिशों पर सरकार ध्यानपूर्वक विचार कर रही है और उसकी विभिन्न सिफ़ारिशों पर एकीकृत निर्णय शीघ्र ही करेगा।

रेलवे की खान-पान सेवा में नैमित्तिक, अस्थायी तथा ठेका श्रमिक

1199. **श्री रानेन सेन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या रेल मंत्री यहबतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की खान-पान सेवामें अभी बहुत सेनैमित्तिक, अस्थायी, तथा ठेका श्रमिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो जोनवार ऐसी प्रत्येक श्रेणी में कितने कितने श्रमिक हैं ;

(ग) क्या उन्हें स्थायी बनाने तथा उनके कार्य की इस स्थिति में सुधार करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(घ) यदिहां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही हैऔर सभा-पटलपर रख दी जायेगी।

भारतीय उर्वरक निगम

1200. **श्री एस० ए० मुहगनन्तम** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम नये उत्पादन क्षेत्रों में प्रवेश की योजना बना रहा है ; और

(ख) यदि हां,तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इण्डिया नाइट्रोजन युक्त और फ़ास्फ़ेटिक युक्त उर्वरकों की किस्मों के अतिरिक्त औद्योगिक रसायनों और गैस की व्यापक श्रेणी का निर्माण करने में पहले से ही व्यस्त हैं। फ़र्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ़ इण्डिया द्वारा निर्मित और विपणित औद्योगिक

उत्पादों में मिथिनोल, नाईट्रिक एसिड, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, एक्स्प्लोसिवग्रेड, अमनोनियम नाइट्रेट, अर्गन गैस और तरल अमोनिया शामिल हैं। कारपोरेशन हाल्दिया में सोडा ऐश का निर्माण करने के लिये भी इस समय सुविधाओं की स्थापना कर रही है।

महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्यों में वृद्धि करने का प्रस्ताव

1201. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान उनके मंत्रालय की जानकारी के बिना फ़ीजर लेडरली (साइनामिड) और पार्क डेविस की कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के मूल्यों में वृद्धि की गई है ; और

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है कि इन कम्पनियों की कुछ औषधियों की दरें लागत मूल्य से कई गुना अधिक निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख): औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अधीन औषध मूल्यों का नियंत्रण किया जाता है। तथापि जिन यूनिटों की 50 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक की कुल बिक्री नहीं है, उन यूनिटों को अपने उत्पादों के मूल्य संशोधन/नियतन के लिये सरकार की अनुमति लेने से छूट दे दी है।

कथित आदेशों में व्यवस्था है कि उनके उपबन्धों के अनुकूल, प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के एक बार नियत किये गये मूल्यों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना नहीं बढ़ाया जायेगा।

लागत ढांचे और लाभ की उचित गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा की गई लागत की जांच के आधार पर उन मूल्यों को नियत किया जाता है। आपात स्थिति की घोषणा के बाद सरकार ने जब कि मैसर्स लेडर (सिनामिड लि0) को प्रपुंज औषधों और सूत्र योगों के मूल्यों को बढ़ाने की कोई अनुमति नहीं दी है, मैसर्स पार्क डेडिस और फ़िज़र लि० को निम्नलिखित प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों को बढ़ाने की अनुमति दी है :—

प्रपुंज औषध

कम्पनी का नाम	प्रपुंज औषध का नाम	पहले मूल्य	सरकार द्वारा अब नियत किये गये मूल्य
1. पार्क डेविस-	अमोडिया क्विलन एच सी एल	रु० 282.72 प्रति कि० ग्रा०	31-12-75 से प्रभावित मूल्य रु0 358.00 प्रति कि० ग्रा०
2. फ़िज़र	पास सोडियम	रु० 53.29 प्रति कि० ग्रा०	रु० 58.00 प्रति कि० ग्रा०

सूत्रयोग

सूत्रयोग का नाम	पैक का साइज़		पहले मूल्य	संशोधित मल्य
बैनाड्राइल कैप्सूलज़	100	कैप्सूल्ज़	7.97	9.46
फ़ैराडोल	454	ग्रा0	8.15	8.31
वही	1.25	कि0	20.48	21.78
सितराल्का लिक्विड	114	मी0 लि0	3.10	3.56
वही	456	"	9.40	10.85
बेनाड्राइल एक्सपेटेण्ट	144	"	14.20	14.62
वही	456	"	5.90	6.00
पेलाडेक	114	"	5.90	6.00
लिविब्रोन	228.00	"	6.13	7.76
डिकलफ़ोस लिक्विड	170	"	नई	6.05
ड्राइकल फ़ोस गोलियां	10	टी	वही	1.31
केमोक्विन गोलियां	10	टी	नये पैक	1.68
फ़िजर लि०		शून्य		

औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के उपबन्धों के अनुकूल उक्त मूल्य का संशोधन किया जाता है ।

चेरुथुरुती रेलवे स्टेशन का दूसरा नाम रखने के प्रस्ताव का रद्द किया जाना

1202. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "चेरुथुरुती रेलवे स्टेशन" का नाम महाकवि बल्लतोल के नाम पर रखने का प्रस्ताव सरकार ने रद्द कर दिया था; और

(ख) इस प्रस्ताव के रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रलय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि "बेट्टिक्कट्टिरी" रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बल्लतोल नगर रखने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली और दक्षिणी राज्यों के बीच डकैती की घटनाएं

1203. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली और देश के दक्षिणी राज्यों के बीच चलने वाली गाड़ियों में डकैती की घटनाओं में हुई वृद्धि की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973 में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं और पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में उक्त आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उक्त घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुछ मामलों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) राज्य सरकारों से पूरी सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) इस सम्बन्ध में संरक्षा और सुरक्षा के निम्नलिखित उपाय पहले से ही किये जाते हैं :—

(1) सरकारी रेलवे पुलिस का महत्वपूर्ण मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ के मार्ग-रक्षी के रूप में जाना;

(2) प्रभावित खण्डों पर सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों का सादा कपड़ों में तैनात किया जाना;

(3) मार्ग-रक्षी ड्यूटियों के लिए आवश्यकता पड़ने पर रेलवे सुरक्षा दल की सहायता;

(4) सरकारी रेलवे पुलिस के पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक जांच;

(5) सवारी डिब्बों में, जहां जरूरत हो, संरक्षा सम्बधी उपायों को सुदृढ़ करना; और

(6) सरकारी रेलवे पुलिस, राज्य पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के बीच ताल-मेल बनाये रखने के लिए बैठकों का आयोजन।

मेरठ शटल गाड़ियों को डीजल इंजन से चलाना

1204. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे की अधिकांश शटल गाड़ियां इस बीच डीजलइंजन से चलाई जा रही है ; और

(ख) यदि हां,तो 2एम०एम० और 1एन० एम० मेरठ शटल गाड़ियोंको डीजल इंजन से न चलाने के क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय फालतू डीजल इंजन उपलब्ध न होने के कारण 1 एडएस/ 2 एन०एम० नयी दिल्ली मेरठ सिटी शटल गाड़ियों को डीजल इंजनों से चलाना व्यवहारिक नहीं है।

कलकत्ता और जोगवनी के बीच 'जूट स्पेशल' चलाना

1205. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तरसीमान्त रेलवे ने कलकत्ता और जोगवनी के बीच 'जूट स्पेशल' चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जूट परेषणों के लदान के लिये जोगबनी में मीटर लाइन के माल डिब्बे दिये जाते हैं और वहां से उन्हें ब्लाक रेक के रूप में कटिहार भेजा जाता है जहां बड़ी लाइन के माल डिब्बों में माल का यानान्तरण किया जाता है। यानान्तरण के बाद, बड़ी लाइन के माल डिब्बों को लाक रेक के रूप में किदरपुर डाक्स भेजा जाता है। जोगबनीमें लदान से लेकर किदरपुर डाक्स पहुंचने तक का औसत परिवहन समय लगभग पांच दिन है।

मुख्यतः कलकत्ता पत्तन के रास्ते जूट के निर्यात के लिये तेज रेल परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गयी है।

पश्चिम बंगाल से सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई के बारे में अभ्यावेदन

1206. श्री ए० के० किस्कू : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त करने में कठिनाइयां होने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के लघुएककों सेकोईअभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदिहां,तोइस बारे में अब तक क्याकार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) (क) जी हां। मंत्रालय द्वारा इस विषय में पश्चिम बंगाल के लघु पैमाने वाली एककों से एक अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था।

(ख) निर्माताओं तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की हुई संयुक्त बैठक में इस अवस्था की समीक्षा की गई। निर्माताओं को लघुपैमाने वाली एककों की सल्फ्यूरिक एसिड की आवश्यकताओं को पूरा करनेकेलिये विशेष प्रयत्न करने की सलाहदी। तब भी सल्फ्यूरिक एसिड का मूल्य कानून रूप से नियंत्रण में नहीं रखा गया। उन्हें दोनों पार्टियों की ओर से उचित मूल्य माने जाने में सहमत होने को कहा।

Railway Bridge at Digha near Patna

†**1207. Shri Ramavatar Shastri** : Will the minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the survey work in respect of construction of a railway bridge over the Ganga river had been completed long ago;

(b) whether the experts have considered Digha near Patna to be the best site for the bridge ? and

(c) ifso,the factors responsible for delayin commencing the construction work ofthe bridge

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to(c) A Preliminary survey of the probable sites has been carried out and modelstudies to determine the technicalfeasibilities of constructing the bridge at the most promising site are in progress and the site near Digha is one of the alternative sites under consideration. The model studies for the various sites have not been completed so far.

आप्टा-दासगाँव रेलवे की रोहा-अगरडण्डा शाखा का इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण

1208. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने आप्टा-दासगांव रेलवे (कोंकण रेलवे) की रोहा-अगरडण्डा शाखा का प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). आप्टा-दसगांव लाइन पर स्थित रोहा से अगरडण्डा तक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा इसके शीघ्र ही पूरा हो जाने की संभावना है। रिपोर्ट मिल जाने तथा उसकी जांच कर लिये जाने के बाद इसके निर्माण के सम्बन्ध विनिश्चय किया जायेगा।

भारत स्थित पेट्रोलियम उद्योग में विदेशी अंश पूंजी

1209. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में स्थित से सम्बन्धित उद्योगों, फर्मों और कम्पनियोंमें विदेशी अंश पूंजीके बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी): सरकार तेल उद्योगों पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखना चाहती है। भारत में एस्सो की परिसंपत्तियों और इसके प्रचालनों का 1974 में अधि ग्रहण किया गया है। बर्माशैल का अधिग्रहण पहले ही 24 जनवरी, 1976 को किया गया है। कालटेक्स, असाम आयल कम्पनी और इण्डिया आयल लि० की परिसंपत्तियों और संचालनों के अधिग्रहण के लिये कार्रवाई जारी है। अन्य फर्मों के बारे में, जिनका कारबार छोटा है, सूचना एकत्र करनी पड़ेगी।

रेल मार्गों के लिये इलैक्ट्रोनिक सहायक-साधनों की व्यवस्था करना

1210. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रेल मार्गों के रख-रखाव के लिये इलैक्ट्रोनिक सहायक-साधनों की व्यवस्था की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी हां, रेलें पटरियोंमें खराबियों का पता लगाने के लिये इलैक्ट्रोनिक उपस्कर युक्त अल्ट्रासोनिक पटरी टेस्टर का और रेलपथ पैरामीटरके माप के लिए इलेक्ट्रोनिक उपस्कर युक्त रेलपथ अभिलेखन में कारों और आसिलोग्राफ कारों का उपयोग कर रहे हैं।

Posts of Chairmen, Railway Service Commissions lying Vacant

†1211. **Shri Pannalal Barupal** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the number of posts of Chairmen lying vacant in the Railway Service Commissions; and

(b) the time by which these vacancies are proposed to be filled up?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a)and(b). No post is lying vacant. However, the incumbent of the post of Chairman of the Railway Service Commission at Allahabad is continuing temporarily after the expiry of his term on 15th October, 1975. Action has been initiatedtoselect a candidate for appointment as Chairman of the Allahabad Service Commission.

लोको रनिंग स्टाफ ग्रीवेंसेज कमेटी का प्रतिवेदन

1212. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोको रनिंग स्टाफ ग्रीवेंसेज कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री थे, अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया था ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने लोको कर्मचारियों की सभी मांगे स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन मांगों को स्वीकार किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). रेल मंत्री द्वारा 3-8-73 को संसद् में दिये गये बयान के अनुसार रेलवे राज्य मंत्री की अध्यक्षता में लोको रनिंग कर्मचारी शिकायत समिति के नाम की एक समिति गठित की गयी थी जिसने कर्मचारियों की इस कोटि के लिये 10 घंटे की ड्यूटी के क्रियान्वयन के ब्यौरे और तरीके तथा ढंग के साथ-साथ लोको रनिंग कर्मचारियों की कुछ शिकायतों पर विचार-विमर्श करना था। विचार-विमर्श पूरा हो जाने पर समिति 7-8-75 को भंग कर दी गयी। सरकार को कोई रिपोर्ट देना जरूरी नहीं था।

(ग) और (घ). लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा की गयी विविध मांगों पर सविस्तार विचार किया गया था। 10 घंटे की ड्यूटी के बारे में यह विनिश्चय किया गया कि 31 दिसम्बर, 1976 तक उसका क्रियान्वयन पूरा हो जाना चाहिए। 'बी' ग्रेड के शंटरों का वेतनमान बढ़ाकर 'ए' ग्रेड के शंटरों के समकक्ष बना दिया गया और 'बी' ग्रेड के फायरमैनों के वेतनमान में काफी सुधार किया गया। जहां तक डाक्टरी आधार पर विकोटिकरण का सम्बन्ध है, लोको रनिंग कर्मचारियों के सम्बन्ध में व्यवहार्य स्वास्थ्य स्तरों में ठोस आशोधन किये गये हैं और इसके परिणाम स्वरूप डाक्टरी आधार पर विकोटिकरण की घटनाओं में कमी आने की संभावना है। इसके अलावा, यदि डाक्टरी आधार पर विकोटिकृत कर्मचारियों को वैकल्पिक नौकरी न मिल सकेगी तो उन्हें पेंशन के उद्देश्य से 5 वर्ष का अधिमान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया गया है कि डाक्टरी आधार पर विकोटिकृत कर्मचारियों को वैकल्पिक कामों पर लगाने का क्षेत्र बढ़ाया जाये और उन्हें यथा-अपेक्षित प्रशिक्षण भी दिया जाये।

इटारसी में रेल डिब्बे धोने के प्लेटफार्म

1213. **श्री एम० जी० उइके** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी में रेल डिब्बे धोने के प्लेटफार्मों का प्रयोग नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं। डिब्बा धुलाई साइडिंग का उपयोग जनवरी, 1971 से किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इटारसी में ऊपरी पुलों का निर्माण

1214. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी में नागपुर रोड के सड़क क्रासिंग पर और इटारसी कस्बे में सड़क क्रासिंग पर ऊपरि पुलों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक शुरू होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अभी नहीं, लेकिन नागपुर सड़क समपार और इटारसी नगर समपार पर ऊपरी सड़क पुल बनाने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रस्ताव को अंतिम रूप दे देने और इस काम को रेलवे बजट में शामिल कर लिये जाने के बाद ही यह बताया जा सकता है।

फुलपुर संयंत्र में ईंधन तेल के स्थान पर नेप्था का उपयोग

1215. **श्री पी० गंगा देव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 6 महीनों में बम्बई हाई से नेप्था की उपलब्धि में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषक उर्वरक निगम के फुलपुर संयंत्र के लिये पोषक-स्टाक के रूप में ईंधन तेल के स्थान पर नेप्था का उपयोग करने के बारे में सरकार का क्या प्रस्ताव है;

(ग) मूलत: ईंधन तेल पर आधारित उपयुक्त परियोजनों के लिये विश्व बैंक में ऋण सम्बंधी क्या प्रस्ताव किया ; और

(घ) इस परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). बाम्बे हाई से प्राप्त अशोधित तेल को अभी तक साफ नहीं किया गया है। किन्तु प्राप्त अशोधित तेल के लक्षणों तथा विश्लेषण से पता चला कि यह अशोधित तेल आयातित अशोधित तेल से हल्का है जो हमारे शोधनशालाओं में साफ किया जाता है। इस प्रकार बाम्बेहाई अशोधित तेल में नेप्था का अनुपात आयातित अशोधित तेल से अधिक है। समें तथा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नेप्था की प्रत्याशित अतिरिक्त उपलब्धता के सन्दर्भ में ईंधन तेल के बदले में सम्भरण सामग्री के रूप में नेप्था का प्रयोग करने की अनुमति फुलपुर उर्वरक प्रयोजना को दी गई है।

(ग) और (घ). फुलपुर प्रायोजना के लिये विश्व बैंक के साथ 109 मिलियन डालर के एक ऋण पर समझौता किया गया है। विश्व बैंक ने भी प्रायोजना के लिये ईंधन तेल के बदले नेप्था का प्रयोग करने की स्वीकृति दे दी है।

बंगलौर गुंटाकल मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

1216. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर से गुन्टाकल सेक्शन पर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). गुन्तकल्लु से धर्मावरम तक समानान्तर बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण तथा धर्मावरम से बेंगलूर सिटी तक मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम हो रहा है। इस परियोजना के 1980 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है, बशर्ते पर्याप्त धन समय पर उपलब्ध हो।

मुगलसराय से लापता हुए कोयले के वैगन

1217. **श्री दिलीप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1975 के दौरान पूर्व रेलवे में उत्तर रेलवे को मुगलसराय में हस्तांतरित होने वाले कोयले के 75 वैगन लापता हैं ;

(ख) क्या इससे पूर्व भी कोयले के 50 वैगन मुगलसराय स्टेशन से गायब हो गये थे और अभी तक लापता हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उत्तर रेलवे की लोको शेडों के लिये पूर्व रेलवे द्वारा नवम्बर, 75 के दौरान बुक किये गये लोको कोयले के 74 माल डिब्बे अभी भी गन्तव्य स्टेशनों पर नहीं पहुंचे हैं।

(ख) उत्तर रेलवे की लोको शेडों में लोको कोयले के 50 माल डिब्बों में से 43 माल डिब्बे पहुंच चुके हैं।

(ग) शेष 81 माल डिब्बों की खोज करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण

1218. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक आवश्यक वस्तुओं के वितरण में एकमात्र एजेंसी अथवा मध्यवर्ती व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं के नाम क्या हैं और इसका वितरण व्यवस्था और उपभोक्ता बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 294 क(1) के अनुसरण में, निम्नांकित सामानों के पदार्थों की बाबत, एकमात्र विक्रेता अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति का निषेध करते हुये अधिसूचनायें प्रेषित की हैं —

(1) चीनी
(2) बनस्पति
(3) सीमेन्ट
(4) कागज

चूंकि उपरोक्त पदार्थों के बारे में एकमात्र विक्रेता अभिकरण केवल हाल ही में समाप्त किये गये हैं, अतः अभी तक कम्पनी विधि बोर्ड ने वितरण प्रणाली तथा उपभोग विपणि पर, बिक्री अभिकरण के समाप्ति के अभिघट्टनके बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है ।

Work done in English in Railway Divisions in Hindi-Speaking States

1219. Laxmi Narayan Pandeya : Willthe Minister of **Railways** be pleased to state

(a) Whether most of the work in Railway divisions in Hindi-speaking States is carried out in English;

(b) Whether forms of reservation, complaints and reservation information are in English at various Railway stations; and

(c) if so, the steps taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) :

(*a*) All divisions in the Hindi speaking States are progressively switching over to Hindi in their working.

(*b*) No.

(*c*) Does not arise.

Factories Producing Chemical Fertilizer

1220. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Chemical amd Fertilizer** be pleased to state:

(a) the names of fertilizer units in India which produce chemical fertilizers;and

(b) the steps taken by Government to increase their capacity in order tostop import from abroad?

The Minister of Chemical and Fertilizers (Shri P.C. Sethi) :

(a) Astatement is attached.
[Placed in Liberary *See* No L.T. 10236/76]

(b) A series of measures such as renovation, debottlenecking and modernisation etc. are under implementation to maximise the utilisation of existing capacity. In addition, a large scale programme is under implementation in the public, private and cooperative sectors for creatingadditional capacity for production of chemcial fertilizers. The increased production arising from better capacity utilisation and substantial addition to capacity should help narrow appreciably the gap between demand and the indigenous availability of fertilizers.

रायगडा नगर में रेलवे भूमि का उपयोग किया जाना

1221. **श्री गिरिधर गोमांगो:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालयइस बात से अवगत है कि रायगडा नगर के मध्य मे तथा रेलवे स्टेशन से लगती हुई रेलवे द्वारा अर्जित 300 एकड़ से अधिक भूमि एक लम्बी अवधि से अप्रयुक्त पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस भूमि को रेलवे कालोनी, मकानों अथवा कार्यालयों के लिये प्रयोग करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार केविचाराधीन है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). रायगडा में लगभग 200 एकड़ रेलवे भूमि खाली पड़ी है। यह भूमि इस क्षेत्र में रेल यातायात की भविष्य

में प्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे यार्ड, लोको शेड और रेलवे कालोनी के विकास के लिये रखी गयी है।

कुकिंग गैस की कमी

1222. **श्री शक्ति कुमार सरकार:** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कुकिंग गैस की मांग कितनी है ;

(ख) इस मांग को पूरा करने हेतु कितने गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता है ; और

(ग) कुकिंग गैस की कमी को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) :(क) और (ख). कोयला, साफ्ट कोक, तारकोल, लकड़ी तथा मिट्टी का तेल, जिसका घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे अन्य वैकल्पिक ईंधन के कारण खाने पकाने की गैस के लिये मांग का सही मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है। तथापि शोधनशाला में एल० पी० जी० के वर्तमान उत्पादन से कहीं अधिक नये कनेक्शनों की इस समय मांग है ।

(ग) एल० पी० जी० के उत्पादन तथा सप्लाई में वृद्धि करने के लिये अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:--

(i) शोधनशालाओं से एल० पी० जी० का अधिकतम उत्पादन करना ।

(ii) एल० पी० जी० के उत्पादन तथा मांग में अपरिहार्य अंतर को पूरा करने के लिए स्पाइक्ड कच्चे तेल का आयात ।

(iii) गैस सिलेण्डरों के निर्माण हेतु स्टील का आयात । इस समय वर्तमान मांग अथवा तेल कम्पनियों के विस्तार योजनाओं हेतु व्यवस्था करने के लिये कोई कमी नहीं है।

(iV) एल० पी० जी० के अधिक परिवहनहेतु टैंक ट्रक तथा टैंक वैगन में वृद्धि की व्यवस्था ।

(V) कानपुर में एक नये बाटलिंग संयंत्र की स्थापना तथा शकूरबस्ती दिल्ली पर वर्तमान बाटलिंग प्लांट की क्षमता को बढ़ाना ।

(Vi) कोयली तथा शकूरबस्ती पर टैंक वैगन के लिये अतिरिक्त लदान तथा अलदान सुविधाओं की व्यवस्था ।

(Vii) परिवहन तथा संरचनात्मक कठिनाइयों को दूर करना ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

1223. **श्री नारायण चन्द पाराशर:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय तथा भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय में पिछले (क) 7

वर्षों से (ख) 6 वर्षों से, (ग) 5 वर्षों से, (घ) 4 वर्षों से और (ङ) 3 वर्षों से अधिक समय से 31 दिसम्बर, 1975 तक अन्तिम निपटारे के लिये कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : 31-12-1975 तक की जानकारी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी 30-6-1975 तक की है। वांछित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(30-6-1975 को)

क्रम सं०	उच्च न्यायालय का नाम	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
1.	इलाहाबाद	16141	9227	5118	4422	10796
2.	आंध्र प्रदेश	751	93	8	1	1
3.	मुम्बई	5408	4430	3139	2781	4202
4.	कलकत्ता	5810	3898	3793	5083	14047
5.	गोहाटी	759	294	128	*245	..
6.	गुजरात	1509	1272	681	160	203
7.	हिमाचल प्रदेश	308	245	*319	..	..
8.	जम्मू-कश्मीर	172	73	43	24	53
9.	कर्नाटक	983	208	56	5	9
10.	केरल	1205	55	4	..	1
11.	मध्य प्रदेश	4183	2055	1481	1033	1764
12.	मद्रास	4862	1635	709	343	222
13.	उड़ीसा	513	181	*520	..	..
14.	पटना	3962	2492	1727	791	1977
15.	पंजाब और हरियाणा	2716	2156	*7778	..	..
16.	राजस्थान	2000	1244	*1551	..	..
17.	दिल्ली	2388	2209	1826	1343	1713
	**उच्चतम न्यायालय	5378	3456	2141	1202	405

*इसमें 6 और 7 वर्षों से अधिक समय से लम्बित मामले भी सम्मिलित हैं। उनके बारे में पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

**जानकारी 1-1-1976 तक की है।

जालंधर-जैजोन दोआबा रेल सेक्शन पर यात्री गाड़ी का चलना

1224. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे में जालंधर-जैजोन दोआबा रेल सैक्शन पर यात्री गाड़ियों के असन्तोषपूर्ण ढंग से चलने के बारे में रेल बोर्ड को शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का स्वरूप क्या है और उनके समाधान के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन जालंधर सिटी-जैजोन दोआबा मार्ग पर चलने वाली 1 जे० जे० और 1 जे० आर० जे० गाड़ियों को छोड़कर सवारी गाड़ियों के समय पालन की स्थिति संतोषजनक है। इन गाड़ियों के संचालन में सुधार करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है।

प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की सेवा-अवधि बढ़ाया जाना

1225. **श्री नारायण चन्द पराशर:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जोनल रेलवेज तथा रेलवे बोर्ड के प्रथम श्रेणी के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनकी चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीनवर्षों के दौरान सेवा-अवधि बढ़ाई गई है तथा प्रत्येक मामले में कितनी अवधि के लिए बढ़ाई गई है और कितनी बार बढ़ाई गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार बूटा सिंह) : एक विवरण संलग्न है।[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10237/76]

औद्योगिक एककों के विविधीकरण के नाम पर कम्पनियों का विस्तार

1226. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों में एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बहुत सी कम्पनियों ने औद्योगिक एककों के विविधीकरण के नाम पर विस्तार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) नहीं, श्रीमान् जी। सरकार द्वारा यथा सम्यत: स्वीकृत एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों द्वारा उत्पादों के विविधीकरण से, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं होता।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप का प्रबन्ध

1227. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप के प्रबंध में कोई परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अभी भी इण्डियन एक्सप्रेस ग्रुप के श्री आर० पी० गोयनका का इस पर वित्तीय नियंत्रण है; और

(ग) क्या इस ग्रुप विशेष के पहले मामले और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच अभी चल रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) जी हां, श्रीमान जी ।

(ख) इन कम्पनियों में श्री आर० पी० गोयनका नहीं, श्री राम नाथ गोयनका, निदेशक हैं । ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन कम्पनियों के निदेशक मंडल की संरचना में हाल ही में हुए परिवर्तनों के पश्चात् भी, श्री आर० पी० गोयनका, इन पर वित्तीय नियंत्रण कर रहे है ।

(ग) हां, श्रीमान जी ।

डंकन ग्रुप के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के प्रबन्धों में कदाचार

1228. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) डंकन ग्रुप और इनके प्रबन्धाधीन कलकत्ता में कौन-कौन सी कम्पनियां हैं ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उन कम्पनियों के प्रबन्ध में कोई कदाचार पाये गए हैं, और

(ग) क्या उन मामलों की अब तक कोई जांच की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) यह प्रकल्पित किया जाता है कि माननीय सदस्य डंकन ब्रोस एण्ड कम्पनी लिमिटेड और के० पी० गोयन्का एण्ड संस लिमिटेड से सम्बन्धित कम्पनियों को संदर्भित कर रहे हैं । इस समय इस समूह से सम्बन्धित कम्पनियों की कुल संख्या 27 समझी जाती है ।

(ख) तथा (ग) कथित समूह से सम्बन्धित समझी जाने वाली कम्पनियों में किसी के कार्य में कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई जांच आदेश नहीं दिया गया है । तथापि, कथित अधिनियम की धारा 209 (4)/209क के अन्तर्गत इन कम्पनियों की लेखा बहियों के निरीक्षण का निर्णय किया गया है । कथित अधिनियम के उपबन्धों के

उल्लंघन और निरीक्षणों के दौरान सूचना में आई अन्य अनियमितताओं को कम्पनियों के सम्मुख रखा गया है तथा ये मामले प्रगति के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

Import of Oil from U. A. E.

1229. Dr. Laxminarayan Pandeya :Willthe **Minister of Petroleum** be pleasedto state:

(a) the quantity of crude oil supplied to India by the United Arab Emirates in 1975-76;

(b) the terms and the conditions on which the crude oil will be supplied by the United Arab Emirates in 1976-77 and the mode of its payment; and

(c) the names of other countries from which India propose to import crude oilin 1976-77?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari): (a) A quantity ofapproximately 1 million tonnes of crude oil was supplied to India by the United Arab Emirates during 1975.

(b) A contract has been signed between the Indian Oil Corporation and Abu Dhabi National Oil Company for supply of 1 million tonnes of crude oil from UAE during 1976. It would not be in the commercial interest of Indian Oil Corporation to disclose further details.

(c) Requirements of import of crude oil during 1976-77in the case of Madras Refineries Limited are coveredin terms of their long-term agreement for crude supplies from Iran. Supplies of Arabian crude to Hindustan Petroleum Corporation are covered under their crude supply agreement with Exxon.

Under the Trade Agreement for 1976,signed between India and Egypt, crude oil has been identified as one of the items that could be considered for import by India.

Arrangements for supply of crude oil during 1976from other sources are in different stages of negotiation.

Survey for Ratlam- Banswada Railway Line

***1230. Dr. Laxminarayan Pandeya:**
Shri Bhagirath Bhanwar: Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether the survey work of the proposed Ratlam- Banswada railway line in Ratlam Division on Western Railway has been completed;

(b) when the work on this proposed railway line is likely to commence ; and

(c) the present position of the plan for this railwayline?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a), (b) and (c). Preliminary Engineering-cum-Traffic surveys for the proposed Broad gauge raillink from Ratlam to Banswada are in progress. A decision regarding taking up of this project for construction will be taken after the surveys are completed and reports examined.

लोको रनिंग स्टाफ ग्रिवेन्सेज कमेटी (लोको संगचल कर्मचारी शिकायत समिति)

1231. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोको रनिंग स्टाफ ग्रिवेन्सेज कमेटी की लोकोमेन एसोसियेशन के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सहमत हो गई है और जिसके लिए विभिन्न स्तरों पर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) प्रत्येक रेलवे के लोकोमेन एसोसियेशन ने अब तक कितनी समस्याएं भेजी हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क) और (ख) गैर मान्यता प्राप्त यूनियन/एसोशिएशन के साथ कोईपत्र व्यवहार नहीं किया जाता अतः आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोशिएशन के साथ पत्र व्यवहार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

किन्तु रेलों पर लोको रनिंग कर्मचारियों की शिकायतों पर अविलम्ब कार्यवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मण्डल पर एक सहायक कार्मिक अधिकारी और एक वरिष्ठ कल्याण निरीक्षक तथा क्षेत्रीय मुख्यालयों पर एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी को लोको रनिंग कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए नामित करने के लिए रेलोंको हिदायत जारी की गयी हैं ।

लोको रनिंग कर्मचारियों द्वारा समय समय पर की मयी शिकायतों पर विचार किया जाता है और जैसा व्यावहारिक समझा जाय, उपचारात्मक कार्यवाई की जातीहै । विभिन्न स्तरों पर प्रशासन के पास जो शिकायतें की गयी हैं, उनकी सूची देना संभव नहीं है ।

Amenities for psssengars at Stations in Jodhpur Division

1232. Shri M.C. Daga: Willthe **Minister of Railways** be pleased tostate:

(a) whether Barmer and Balotra bound passengers who travel by trains operating between Jodhpur and Marwar junction and between Pali and Jodhpur have to wait at platforms for 5 to 6 hours where there are no arrangements of bathroom, shed and drinking water;

(b) if so, the time by which these facilities are proposed to be provided there;

(c) whether the second class waiting room at Luni junction is crowded by animals because no boundary wallhas been constructed there and therefore passengers cannot make use of it; and

(d) if so,the action proposed to be taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) (a) (b) (c) & (d) Presumably the question is regardingavailability of amenities like bath rooms, shed and drinking water at Luni junction for passengers At this station, adequate bath room facilities and drinking water supply arrangement are provided.

A second class waiting hallis provided at this station. A gate is being fixed to the entrance to prevent the entry ofstray animals into the waiting hall. This work likely to be completed by end of March 1976.

Covered verandahs measuring 140 ft. × 10 ft. on both sides of the station building situated between the two platforms are also available which are used by the waiting passengers.

Provision of covered shed over the platform will be considered for inclusion in the future years works Programme subject to availability of funds.

Employment opportunities in Burmah-Shell After Take-Over

1233. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the **Minister of Petroleum** be pleased to state :

(a) the number of persons likely to be provided with employment in the Burmah- Shell company after its take- over; and

(b) the number of persons employed on this Company at present?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum(Shri Z. R. Ansari) : (a) Every whole-time officer or other employee of Burmah- Shell who was immediately before the promulgation of the Burmah- Shell (Acquisition of Undertakings in India) Act,

1976,employed by Burmah- shellin connection with its undertakings in India and every whole time officer or other employee of Burmah-shell wo was, immediately before the Act,temporarily holding any assignment outside India, has become an officer or other employee, as the case may be of the Government company. It is premature to say at this stage the number of persons to be provided with employment in future by the Company.

(b) The total strength of staff as at 1-1-1976 covering both Burmah- Shell Marketir gar d Burmah- Shell Refineries is 4,968.

Scheme for a Fertilizer Factory of Rock Phosphate in Madhya Pradesh

1234. Shri Bhagirath Bhanwar: : Willthe **Minister of Chemicals and Fertilizers** be pleased to state whether the Central Government and the State Government of Madhya Pradesh have formulated any scheme to set up a fertilizer factory by utilizing the rock phosphate available in Jhabua District of Madhya Pradesh?

The Minister of Chimicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi) . While no scheme has been formulated in this regard,every offort is made to ensure that indigenous rock phosphate is used to the maximum extent possible in the production of phosphatic fertilezers in India.

Entreprenuers ship Development Scheme

1235. Shri M.C. Daga: Will the **Minister of Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether an Entreprenureship Development Scheme was introduced in 1970-71 by the Fertilizer Corpn. of India;

(b) if so, the objects of the scheme;

(c) the number of persons given permits there urder for the sale of fertilizer; ar d

(d) the criteria followed in granting such permits?

The Minister of Chimicals and Fertilizers (Shri P.C. Sethi) (*a*) Yes, Sir.

(b), (c) & (d) The objective of the Scheme is to promote entrepreneurship among the educated un-employed. As on 31-9-1975. 1, 386 dealers belonging to the educated un-employed category have been appointed under the Scheme. The seclection of candidates under the Scheme is made on the following considerations:—

(*i*) The applicant should be a graduate, preferably in agricluturalsciences with rural back ground.

(*ii*) He should be below 30 years of age.

(*iii*) He must be un- employed.

(*iv*) He should belong to the area for which the dealership is applied for.

मई, 1974 की हड़ताल के कारण सेवा से हटाये गये नैमित्तिक रेल श्रमिकों के मामलों की पुनरीक्षा

1236. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5000 से अधिक नैमित्तिक रेल कर्मचारी मई, 1974 की हड़ताल में सम्मिलित होने के कारण अभी भी सेवा से बाहर है ;

(ख) क्या इन मामलों की पुनरीक्षा अभी भी जारी है अथवा पूरी कर ली गई है; और

(ग) उन्हें कब तक वहाल किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) और (ग) उननैमित्तिक श्रमिकों एवजियों के मामलों की समीक्षा की जा रही है जो अभी तक बेकार है। उनको फिर से काम पर लगाना अनिवार्यतः अस्थयी निर्माण कार्यों और उनके लिए श्रमिकों की आवश्यकता पर निर्भर करता है ।

Proposal to construct Overbridge at Nibola Crossing.

***1237. Shri G.C. Dixit:** Willthe **Minister of Railways** be pleased to state whether Government proposedto construct an overbridge at Nibola crossing between Asirgarh Roadand Burhanpur on Central Railway?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Buta Singh): No.

Railway Lines in Chhatisgarh Region of Madhya Pradesh

***1238. Shri G.C. Dixit:** Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether a railway line is proposed to be laid soon in Chhatisgarh region of Madhya Pradesh; and

(b)if so , by what time?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (*a*)and (*b*): Final Location Survey for the construction of a Broad Gauge raliwayline from Dhalli- Rajhara to Jagdalpur, has already been completed and the reports are underexamination. It has been revealed by the Survey Report that project of length 241 kms. will cost Rs. 46 crores and yield a return of 7·84% (D. C. F.) with steam traction and 7.97% (D. C. F.) with Diesel traction. A decision regardingthe construction of this line will be taken after the reports are examined and depending upon the availability of funds.

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड द्वारा अर्जित लाभ

1239. **श्री वयालार रवि : :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावनकोर लिमिटेड उद्योग मण्डल के कार्यकरण में सुधार हुआ है ; और

(ख) यदि हां,तो कितना ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) एफ० ए० सी० टी० के दो संयंत्रों के पूरे उत्पादन कार्य निष्पादन में वर्ष के दौरान सुधार नीचे दिया गया है:—

उद्योग मण्डल	अप्रल दिसम्बर 1975	अप्रैल दिसम्बर 1974
	पूर्ण अंकों में	(मी० टन में)
अमोनियम सल्फेट	88000	64000
अमोनियम फास्फेट 16:20	50200	46300
अमोनियम फास्फेट 20:20	21800	16900
सुपर फास्फेट	11400	17500
को चीन : यूरिया	1,05,900	53300

सुपर फास्फेट का उत्पादन कम मांग के कारण सीमित करना पड़ा था।

उत्पादन में वृद्धि के बावजूद फैक्ट को, कच्चे माल की लागत में वृद्धि और अन्तिम बिक्री मूल्यों में कमी के कारण हानि हुई है। वित्तीय वर्ष के अन्त में लेखों को अन्तिम रूप देने के बाद ही हानि की ठीक मात्रा का मूल्यांकन किया जा सकता है।

वरकाला रेलवे स्टेशन, केरल

1240. श्री वयालार रवि : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के वरकाला रेलवे स्टेशन पर आज भी यात्रियों के लिए कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस स्टेशन पर सब प्रकार की मूल सुविधायें जैसे प्रतीक्षालय, बैंच, रोशनी का उचित प्रबन्ध, पीने के पानी की सप्लाई, सफाई व्यवस्था युक्त शौचालय, बुकिंग कार्यालय, साफ-सुथरे फर्शवाले ऊंचे प्लेटफार्म उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वरकाला स्टेशन पर, ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय, छतदार प्लेटफार्म पार्सल कार्यला, यात्रियों के लिए छतदार स्थान, परिचलन क्षेत्र आदि की भी व्यवस्था है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गत तीन वर्षों के दौरान खोली गई कम्पनियां

1241. श्री वयालार रवि : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कुल कितनी नई कम्पनियां खोली गई ; और

(ख) उनमें से कितनी कम्पनियों ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख). गत तीन वर्षों अर्थात 1972–73, 1973–74 और 1974–75 में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत शेयरों द्वारा लिमिटेड कम्पनियों की संख्या निम्न प्रकार दी जाती है:—

वर्ष	पंजीकृत कम्पनियों की संख्या
1972–73 .	2860
1973–74 .	3777
1974–75	3699

इन कम्पनियोंमें से सभी, किन्तु तीन जिन्होंने कथित अवधि में कार्य करना बन्द कर दिया था, अवधि समाप्ति अर्थात् 31–3–1975 तक कार्यरत थीं ।

रसायन उद्योगों के क्षेत्र में आन्ध्र प्रदेश का विकास

1242. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू योजना अवधि में आंध्र प्रदेश के लिये कितने नये रसायन उद्योग अलाट किये गये ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रखी जायेगी ।

आँध्र प्रदेश द्वारा एथिल अल्कोहल की माँग

1243. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार फालतू उत्पादन वाले राज्यों में से एथिल एल्कोहल लेकर उसे उद्योगों के लिये आंध्र प्रदेश को देने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : एथिल अल्कोहल का अधिकता वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को आवंटन केन्द्रसरकार द्वारा केन्द्रीय शीरा बोर्ड की कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है । समिति ने दिनांक 27–11–75 को हुई अपनी बैठकमें आंध्र प्रदेश में आई० डी० पी० एल० के सिन्थेटिक औषध संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिये तमिलनाडु से 200मिलियन लिटर अल्कोहल और कर्नाटक से 0.5 मिलियन लिटर का आवंटन करने की सिफारिश की है ।

कास्टिक सोडे की कमी

1244. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने उद्योगों के राज्य निदेशकों के माध्यम से सोडा ऐश वितरित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परकेन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ;

(ग) क्या देश भर में कास्टिक सोडा की भारी कमी है ; और

(घ) यदि हां, तो कास्टिक सोडे का उत्पादन बढ़ाने और मूल्य निर्धारित करने के लिये कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). कास्टिक सोडे की कमी की अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं हुई । तथापि, सरकार उत्पादन प्रवाह पर निगरानी रख रही है । सरकार का कास्टिकसोडे के मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है । उद्योग को प्रतिनिधित्व करने वाले अलकाली निर्माताओं के संगठन ने इसके चुने हुये सदस्यों को कास्टिक सोडा निर्धारित विक्रय मूल्य पर देने की सिफारिश की ।

डी० एम० टी० की कमी

1245. श्री डी० डी० देसाई: क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डी० एम०टी० की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी): (क) और (ख).डी० एम० टी० की मांग अक्तूबर, 1975 से उत्पादनऔर सप्लाई से अधिक है । पेराजालीन की, जो डी० एम० टी० के उत्पादन के लिए कच्चा मालहै,डी० एम० टी० के घरेलू उत्पादन में वृद्धि के लिये आयात द्वारा उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । देशी उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए डी० एम० टी० के आयात की भी योजना है ।

वफादार रेलवे कर्मचारियों के बेटे/बेटियों की नियुक्ति

1246. श्री एस० एम० सिद्दय्या : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वफादार रेलवे कर्मचारियों के कितने बेटे और बेटियों को रेलवे के प्रत्येक डिवीजन में 1 जनवरी, 1976 तक नियुक्त किया गया है ; और

(ख) क्या इन नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित प्रतिशतता का पूर्ण ध्यान रखा गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से अहमदाबाद/बड़ौदा को स्थानान्तरित करना

1247. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारकाविचार पश्चिम रेलवे के मुख्याल यकोबम्बईसे गुजरात में अहमदाबाद अथवा बड़ौदा को स्थानान्तरित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीबूटासिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कापडवंज और मोडासा के बीच रेलवे लाइन का निर्माण

1248. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या **रेल** मंत्री यहबतानेकीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में साबरकांठा जिले की जनता को रेल संचार की सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कापड़वंजऔर मोडासा के बीचऔर उसके आगे रेलवे लाइन बनाने और उसका विस्तार करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). नडियाद-कपड़वंज छोटी लाइन को बड़ी लाइनमें बदलनेऔर उसे मोडसा तक बढ़ाने अथवा इसके विकल्प के रूप में शामलाजी रोड से मोडसा और कपडवंज तक मीटर लाइन के निर्माण के लिये टोह इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं । अभी सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर लिये जाने के बाद तथानिधि के उपलब्ध हो जाने पर इस परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया जाएगा ।

इंगलिश इलक्ट्रिक कम्पनी

1249. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंग्लिश इलक्ट्रिक कम्पनी अपने रजिस्टर्ड कार्यालय को कलकत्ता से तमिलनाडु स्थानांतरित कर रही है ।

(ख) क्या कम्पनी के कर्मचारियों मेंइस पर रोष है क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल में रोजगार के अवसरोंमें कमी होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामलेमें सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचारहै ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) इस कम्पनी ने, कम्पनी विधि बोर्ड के समक्ष, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 के अन्तर्गत इसके पंजीकृत कार्यालय के, कलकत्ता से तमिलनाडु को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव की पुष्टि के लिये, अभी तक कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कर्मचारियों की एसोसिएशन ने कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के, कलकत्ता से तमिलनाडु को स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिये हैं ।

(ग) कम्पनी विधि बोर्ड (बेंच), कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत किये जाने पर, कम्पनी विधि बोर्ड (बेंच) नियम, 1975 के अनुसार मामले पर विचार करेगा ।

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलो का निपटान

1250. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री वसन्त साठे :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में इससमय कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) क्या लम्बित मामलों की संख्या में गत तीन वर्षो में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है;

(ग) लम्बित मामलों का शीघ्र निपटारा किये जाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या इन मामलों को शीघ्र निपटाने के बारे में परामर्श देने के लिए कोई समिति गठित कीगई है ; और

(ङ) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं और उनपर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) सिक्किम उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य उच्च न्यायालय के बारे में 30-6-75 को जो स्थिति थी, उसके अनुसार जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10238/76]

(ख) मामलें संस्थित किए जाने में और उसके फलस्वरुप लम्बित मामलो की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) लम्बित मामलों की संख्या में कमी करने केलिए किए गए विभिन्न उपायों को बताने वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10238/76]]

(घ) और (ङ) उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की सभी तरह से छानबीन करने के लिए और उपचारात्मक उपायों के सुझाव देने के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में, 1969 में, एक अनौपचारिक समिति गठित की गई

थी। समिति ने बकाया मामलों की संख्या घटाने और न्याय प्रदान करने में विलम्ब कम करने के लिये अनेक सिफारिशें कीं। सिफारिशें मूल रूप से तीन दिशाओं में की गई थी:—

(i) ऐसे विलम्ब को कम करना जो उच्च न्यायालयों द्वारा सुनवाई के लिए कार्यवाही किए जाने के पूर्व होता है ;

(ii) ऐसे मामलों को कतिपय वर्गों में छांटना जो वर्तमान प्रणाली में उच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं और उन्हें अन्य न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा विचारणीय बनाना;

(iii) यह सुनिश्चित करते हुए कि पक्षकारों को अपने अपने मामले प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर दिया गया है, मामलों की वास्तविक सुनवाई में लगने वाला समय घटाया जाना चाहिए।

समिति की ऐसी सिफारिशें जो पूर्णतः प्रशासनिक प्रकृति की हैं और जिनसे नियम, विधि या कानून में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दी गई है। कतिपय ऐसी सिफारिशों की ओर, जो कानून या विधि के संशोधनों से संबंधित है संबंधित मंत्रालयों और विभागों का ध्यान पहले ही आकर्षित किया जा चुका है। इनमें से कुछ सिफारिशों को संसद में विचाराधीन सिविल प्रक्रिया संहिता विधेयक में सम्मिलित कर दिया गया है। कुछ सिफारिशों पर निर्णय उस समय लिये जाएंगे जब उन विनिर्दिष्ट विधियों में, जिनसे उनका संबंध है, संशोधन किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा-शर्तें

1251. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीशों की केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा सहकारी उपक्रम अथवा सरकारी कम्पनियों जिसमें आयोग भी शामिल है, के अन्तर्गत नियुक्तियां न करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों में सुधार करने के उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी हां। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में संशोधन करने के लिए तथा उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 में संशोधन करने के लिए दो विधेयक तारीख 8-5-75 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए हैं।

मतदान आयु कम करने के बारे में निर्णय

1252. **श्री एम० कल्याणसुंदरम्:**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार मतदान का अधिकार 18 वर्ष की आयु में देने के निर्णय को कब तक अंतिम रूप देगी;

(ख) विश्व में उन देशों के नाम क्या हैं जहां मतदान का अधिकार 18 वर्ष अथवा 18 वर्ष की आयु से कम वाले व्यक्तियों को प्राप्त है ; और

(ग) इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० वी० ए० सईद मुहम्मद) :

(क) और (ग) सरकार को इस संबंध में किसी निश्चय पर पहुंचने में अभी कुछ और समय लगेगा क्योंकि इसके पूर्व ऐसी कुछ कठिनाइयो का भी ध्यान रखना होगा, जो अन्य बातों के साथ ही, निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि हो जाने और परिणामत: उनके लिए आवश्यक निर्वाचन व्यवस्थाओं आदि के कारण उठ सकती है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित देशों में 18 वर्ष की आयु के लोग मत देते के लिए अर्ह है:—

अल्बानिया, बुल्गेरिया, सीलोन, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, इक्वेडोर, ब्रिटेन, हंगरी, पोलैंड, इजराइल, इटली, लाओस, मैक्सिको, उत्तर कोरिया, पेरागुये, रुमानिया, सेल्वाडोर, सोमालिया, सोवियत संघ, सुडान संयुक्त राज्य अमेरिका (केवल संघीय निर्वाचनों के लिए), वेनेजुएला, वियतनाम और यूगोस्लाविया।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक संयंत्र पर नियंत्रण

1253. **श्री शंकर राव सावल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मे उर्वरकों के उत्पादन और वितरण पर भारतीय उर्वरक निगम द्वारा किस स्वरुप का नियंत्रण रखा जाता है ; और

(ख) कौन कौन से उर्वरक संयंत्र इसके सीधे नियंत्रण में है और गत तीन वर्षों के दौरान उनमें कितना उत्पादन हुआ ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :

(क) और (ख):भारतीय उर्वरक निगम के नियन्त्रणाधीन उर्वरक संयंत्र और इन संयंत्रों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान उर्वरक के उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

000' मी० टन एन 2

संयंत्र	उत्पादन		
	1972-73	1973-74	1974-75
सिन्द्री	66.3	69.6	67.1
नंगल	53.7	61.9	40.6
ट्राम्बे	69.8	64.5	66.6
नामरुप	34.8	36.2	40.0
गोरखपुर	69.3	64.2	72.8
दुर्गापुर	..	..	11.4*
योग	293.9	296.4	298.5

*दुर्गापुर संयंत्र में वाणीज्यिक उत्पादन 1-10-74 से आरम्भ हुआ था। उपर्युक्त अंकित उत्पादन 1-10-74 से 31-3-75 की अवधि के लिए है।

जब कि फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया अपने उपर्युक्त उल्लिखित संयंत्रों में उत्पादन सम्बन्धित पूरे सारे पहलूओं पर नियंत्रण करते हैं और इन संयंत्रो द्वारा निर्मित उर्वरक आवश्यक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय द्वारा राज्य-वार आवंटन के अनुसार वितरित किए जाते हैं।

विद्युत्-चालित यात्री डिब्बों का अनुरक्षण

1254. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्व रेलवे के सियालदह तथा हावड़ा डिवीजनों तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर-हावड़ा डिवीजनों में विद्युतचालित यात्री डिब्बों की अनुरक्षण की शोचनीय स्थिति की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इन डिब्बों की मरम्मत के लिए और इनकी फिटिंग जैसे पंखे तथा बल्ब की चोरी से बचाव के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :

संभवत: आशय उप-नगरीय सवारी डिब्बों में उपलब्ध सुविधाओं में कमी से है। यदि ऐसा है तो उत्तर इस प्रकार है :-

(क) जी हां, और

(ख) सुविधाओं में त्रुटी और कमी मुख्यत: पूर्व रेलवे पर हैं जो शरारती तत्वों की गतिविधियों के कारण है। कार शेडों और कारखानों में बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बों/उपस्करों की मरम्मत और उनके अनुरक्षण के लिए सभी सम्भव उपाय किए गए हैं। चोरी रोकने और सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं जैसे रेलवे सुरक्षा दल द्वारा गाड़ियों की मार्ग रक्षा, यार्डों, चोरी का माल खरीदने वालों के गोदामों और उनकी दूकानों पर अचानक छापा, बिजली गाड़ी के सवारी डिब्बो और कार शेडों पर कड़ा पहरा, आंसुका के अन्तर्गत अपराधियों की धर-पकड़ के लिए राज्य पुलिस, खुफिया विभाग आदि से सम्पर्क।

एकाधिकार तथा निर्बन्धनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा पेट्रोल विक्रेताओं को चेतावनी

1255. श्री एस० एम० बनर्जी: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बंधनात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने पैट्रोल विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि वे अतिरिक्त दर न लें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) : हां, श्रीमान जी। एकाधिकार एवं निर्बंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने, पैट्रोल डीलर्स एसोसियेशन, बम्बई के अध्यक्ष (उत्तरवादी सं० 1) तथा इस संस्था के अवैतनिक सचिव (उत्तरवादी सं० 2) तथा अन्यों के विरुद्ध उन्हें किसी सेवा अथवा प्रासंगिक प्रभार अथवा उनके द्वारा नकद आधार पर बेची गई पैट्रोल के मूल्य से भिन्न तथा अलग से पुकारे जाने वाले नाम से कोई अन्य प्रभार ग्रहण करने से निषेध तथा नियन्त्रित करते हुए, अप्रैल, 1974 में की गई जांच कार्यवाहियों पर, 19 नवम्बर, 1975 को एक आदेश पारित किया था। आयोग के आदेश के सम्बन्धित उद्धरण सदन केपटलपरप्रस्तुत हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10239/76)

Declaration of Ticket Checking Staff as Running staff

1256. Shri Bhola Manjhi:
Shri Ramavatar Shastri: Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(*a*) whether Indian Railway Act is the only hurdle in declaring the ticket checking staff working in Indian railways as running staff in accordance with the nature of their work; and

(*b*) if so, whether Government propose to declare ticket checking staff as running staff by amending the said Act?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh):

(*a*)and (*b*): The Act does not contain any provision in this respect. Staff who are directly in charge of and responsible for the movement of trains have been classified as Running Staff *vide* Rule 507 of the Indian Railway Establishment Code, Volume I. Since Ticket Checking Staff do not satisfy this criterion, it is not feasible to classifiy them as running Staff.

Filling up of posts of T. T. Es.

†**1257. Shri Bhola Manjhi:** Willthe **Minister of Railways** be pleased tostate:

(*a*) the number of T. T. E. posts sanctioned forsleeper coaches on the North Eastern Railand

(*b*) whether there is no T. T.E. to examine most of the sleeper coaches due to their short strength despite the posting of L.R.T. Cs. against their posts?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh)

(*a*) and (*b*): The sanctioned strength of T. T. Es. for sleeper coaches is 178 and these posts are being operated. It is not correct that most of the sleeper coaches are unmanned. However, the requirement of staff in this category is being reviewed.

निर्माणाधीन उर्वरक परियोजनाएं तथा उर्वरकों की आवश्यकता

1258. श्री टुना उराँव :
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक उर्वरकों की कितनी आवश्यकता होगी और प्रत्येक एकक द्वारा इस समय कितना उत्पादन किया जा रहा है, प्रत्येक की क्षमता क्या है और कितनी क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ख) इस समय कितनी उर्वरक परियोजनायें निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में कोई विलम्ब है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्थिति को सुधारने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) एक विवरण पत्र परिशिष्ट I संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10240/76]

(ख) एक विवरण परिशिष्ट II संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 10240/76]

(ग), (घ) और (ङ): कार्यान्वियनाधीन कुछ उर्वरक प्रायोजनाओं के पूर्ण होने में निम्न-लिखित मुख्य कारणो से विलम्ब हुआ:—

(क) देशीय तथा आयातित उपकरणों के सप्लाई में विलम्ब।

(ख) विनिर्माण ठेकेदारों द्वारा विलम्ब ।

(ग) प्रथम बार कुछ आधुनिक उपकरणों के स्वदेशीयकरण के निर्माण में खराबी ।

(घ) समय पर विनिर्माण तथा ढांचेगत मदों की अनुपलब्धता ।

(ङ) आयातित मदों सहित उपकरणों के नाजुक मदों में खराबी प्रायोजना के कार्या-चयन की प्रगति की अच्छी तरह देख-रेख की जाती है जिससे खराबी होने के कारणों का पता लगाया जा सके तथा सुधारात्मक उपाय किये जा सकें ।

आयात के लिये उपकरणों की सूची तथा विदेशी मुद्रा देने के लिये भी एक पद्धति प्रारम्भ की गई है जिससे विलम्ब न हो।

बिलासपुर के निकट दुर्घटना के कारण एक गार्ड की मृत्यु

1259. **श्री हरी सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के बिलासपुर–शहडोल सेक्शन पर बिलासपुर (म० प्र०) से नौ किलोमीटर दूर 1 जनवरी, 1976 को माल गाड़ी के एक गार्ड को उस समय मृत्यु हो गई थी, जब उक्त गाड़ी बिना जुड़े मालडिब्बों से टकरा गई थी; और

(ख) मृत गार्ड के परिवार को क्या मुआवजा या सुविधायें दी गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मृत कर्मचारी के आश्रितों को 500 रुपये का भुगतान किया गया है। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में ड्रिल्लिंग

1260. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में गत तीन वर्षों में पहले किये गये सर्वेक्षण के आधार पर किन-किन स्थानों पर ड्रिल्लिंग कार्य किया गया; और

(ख) प्रत्येक संरचना से सम्बन्धी सम्भावनायें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख). तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने असम में लकवा, गलेकि, बड़होला, अमगुरी, देर गांव, चरोलि, मरैनी और जोरहाट, गोपिनाथ किल्ला, गारो (पहाड़िया) त्रिपुरा में बरापुरा और पश्चिम बंगाल में बकुलतला में व्यधन कार्य किया। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग इस समय रुद्रसागर, लकवा और गलेकि से प्रतिदिन लगभग 3200 मी० टन की दर से तेल का उत्पादन कर रहा है। बड़होला, अमगुरी और चरोलि में तेल का पता चला। और गैस का बारामुरा में पता चला है देर गांव संरचना का अभी अन्तिम रूप से परीक्षण किया जाना है। मरैनी में व्यधन किया गया कुआं शुष्क मिला। जोरहाट, गोपिनाथ किल्ला और बकुलतला में वयधन/उत्पादन परीक्षण कार्य अभी पूरे किये जाने हैं। तदुपरान्त ही उसके परिणामों की जानकारी हो सकेगी।

आयल इण्डिया लि० ने असम में नाहरकटिया, मोरन, सण्टी, जयपुर, लंगकासी, कैथल-गुरी, जोरजन, तेंगरवाट, नामचिक, जेलोनी में, और अरुणाचल प्रदेश में निगरु में व्यधन कार्य किया। आयल इण्डिया लि० इस समय अपने नाहरकटिया और मोरन आदि क्षेत्र से प्रतिदिन लगभग 308 मिलियन मी० टन की दर से तेल का उत्पादन कर रही है। व्यधन/उत्पादन परीक्षण कार्यों से तेंगखान क्षेत्र में इओसीन फ़ोर्मेशन में हाइड्रोकार्बन्स की सम्भावनाओं के और प्रमाण मिले हैं। और निगरु क्षेत्र में कम गहराई पर हाइड्रोकार्बन्स के मिलने के भी प्रमाण मिले हैं।

डिगबोई तेल शोधक कारखाने का क्षेत्र

1261. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिगबोई तेल शोधक कारखाने के तेल क्षेत्र में तेल भंडार समाप्ति पर है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र के पुनः सक्रीय करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अनसारी): (क) और (ख). डिग्बोई तेल क्षेत्र में 85 वर्षों से अशोधित तेल तथा प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। यद्यपि उत्पादन में गिरावट आ रही है किन्तु क्षेत्र में आगामी कुछ वर्षों में भी पेट्रोलियम का उत्पादन जारी रहेगा। दुबारा प्राप्ति तथा उत्पादन प्रोत्साहन तकनीक को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

मई, 1974 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के सेवा-व्यवधान को "देय छुट्टियां" माना जाना

1262. **श्री चन्द्र शेखर सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की रेल हड़ताल में भाग लेने वाले कुछ रेल कर्मचारी सेवा से बर्खास्त/बर्खास्त कर दिये गये थे और उन्हें पुनः सेवा में लिये जाने पर उनकी कार्य से अनुपस्थिति की अवधि को निलम्बन माना गया था और उन्हें निलम्बन भत्ता दिया गया था;

(ख) क्या उनके मामले में, जिन्हें सेवा से नहीं हटाया गया किन्तु जिनका सेवा व्यवधान माफ़ कर दिया गया था, विचाराधीन अवधि को 'अकार्य दिन' (छाइज नान) माना गया है; और

(ग) क्या ऐसे (मई, 1974 के) हड़तालियों की अनुपस्थिति को देय छुट्टियां माने जाने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

आपात स्थिति के दौरान अनिवर्वत : सेवा-निवृत्त किये गये, निलंबित किये गये या सेवा से हटाये गये दिल्ली न्यायालयों के मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश

1263. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों के कुछ मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन न करने और/या रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार जैसे विभिन्न आरोपों के कारण आपात स्थिति के दौरान अनिवार्यत: सेवा-निवृत्त किये गये, निलंबित किये गये या सेवा से हटाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स द्वारा औषधियों तथा रंगों के मूल्य सम्बन्धी ढांचा युक्तिसंगत बनाना

1264. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स ने औषधियों तथा रंगों के मध्यवर्ती पदार्थों के मल्य ढांचे को युक्तिसंगत बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों के मूल्य प्राय: कम हो गये हैं; और

(ग) क्या मूल्य में यह कमी अन्तिम उत्पादों के उपभोक्ताओं को दी जायेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स द्वारा औषधों, रंजक-पदार्थों तथा रबड़ रसायनों के लिये मध्यवर्ती पदार्थों के मूल्य ढांचे को युक्ति-संगत बनाया गया है।

(ख) मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के फ़लस्वरूप इन मध्यवर्ती पदार्थों के कुल मूल्य में लगभग 9.5 प्रतिशत की कमी होगी।

(ग) अन्तिम उत्पादों पर (अर्थात् उपभोक्ताओं को) इस कमी का प्रभाव उनकी कुल उत्पादन लागत तथा प्रपुंज सामग्री के निवेश पर निर्भर है जिनके उत्पादन के लिये ये मध्यवर्ती प्रयोग में लाये जाते हैं। वर्तमान में केवल औषधों पर ही मूल्य नियंत्रण है।

अशोधित तेल का आयात

1265. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्षों में अशोधित तेल का आयात वर्तमान स्तर के बराबर रखा जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी): (क) और (ख) : वर्ष 1975–76 के दौरान 13.95 मिलियन मी० टन की मात्रा का आयात किये जाने की आशा की जाती है। आगामी वर्ष में अनिवार्य उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका अनिवार्य न्यूनतम स्तर पर आयात किये जाने का प्रभाव है।

अहमदाबाद और दिल्ली के बीच 'जयन्ती जनता' का चलाया जाना

1266. **श्री डी० डी० देसाई:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और दिल्ली के बीच "जयन्ती जनता" चलाई जाने वाली है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) 31/32 दिल्ली-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस गाड़ियों को 26-1-74 से जयंती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के रूप में बदल दिया गया है और उनमें डीजल इंजन लगाये जा रहे हैं। इन गाड़ियों में काफी आरक्षित जगहों की व्यवस्था है और बिस्तर सप्लाई करने की सुविधा तथा खान-पान सेवा की भी व्यवस्था उपलब्ध है।

महाराष्ट्र में रेल लाइनों का कार्यक्रम

1267. **श्री धामनकर**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नई रेल लाइनों के निर्माण/वर्तमान लाइनों के सुधार सम्बन्धी स्वीकृत कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) इन योजनाओं के लिए वर्ष 1975-76 के लिये क्या उपबन्ध किया गया है; और

(ग) इन योजनाओं को पूरा करने सम्बन्धी समयावलि क्या है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क), (ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10241/76]

गैस एजेंटों की नियुक्ति

1268. **श्री धामनकर**: क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 में कितने गैस एजेंट काम कर रहे थे और वर्ष 1975-76 में कितने नये एजेंट, राज्यवार, नियुक्त किये गये; और

(ख) इस अवधि में कितनी एजेंसियां बेरोजगार इंजीनियरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों और भूतपूर्व सैनिकों को अलाट की गईं?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी): (क) 1974-75 के अन्त तक देश में कार्यरत एल०पी०जी० वितरकों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

आई ओ सी . . .	298	
एच पी सी . . .	108	
काल्टेक्स . . .	15	(उनके दो रियात पाने वाले मैसर्स इस्टकोस्ट गैस कम्पनी और मैसर्स डोमिस्टिक गैस प्राइवेट लि० सहित।
बर्माशैल . . .	58	(1-1-1975 के अनुसार) 1975 में एक विक्रेता ने इस्तीफा दे दिया।

1975–76 के दौरान नई एल पी जी वितरक एजेंसियों की संख्या नीचे दी गई है :—

आई ओ सी	
देहली (संघीय क्षेत्र)	9
उत्तर प्रदेश	6
पंजाब	2
मध्य प्रदेश	4
राजस्थान	2
पश्चिम बंगाल	10
असम	1
बिहार	4
उड़ीसा	1
मेघालय	1
गुजरात	7
तामिल नाडु	12
आन्ध्र प्रदेश	4
करनाटक	3
केरल	3
सिक्किम	1
	70

वर्ष 1975–76 के दौरान एच पी सी तथा काल्टैक्स द्वारा कोई नये एच पी सी एजेंट नियुक्त नहीं किये गये थे।

(ख) 1975–76 के दौरान ऐसे श्रेणियों द्वारा आई ओ सी की एल पी जी एजेंसियां निम्न प्रकार प्रारम्भ की गई :—

बेरोजगार स्नातक/इंजीनियर	—
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	8
रक्षा श्रेणी	40

बर्मा शैल ने समस्त एजेंसियों को वाणिज्यिक बातों के आधार पर नियुक्त किया है।

पेट्रोल पम्पों पर औषधियों और फिजिशियनों की सेवायें उपलब्ध कराने की योजना

1269. **श्री धामनकर:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में पेट्रोल पम्पों पर आम लोगों के लिये औषधियां और फिजिशियनों की सेवायें उपलब्ध कराने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी): (क) और (ख). इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० और इण्डोबर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि० ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपने बहुत से पेट्रोल पम्पों को अन्ततः बहु-उद्देश्यीय ग्रामीण वितरण केन्द्रों में बदलने का एक कार्यक्रम बनाया है। विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त ये केन्द्र ग्रामीण जनता द्वारा अपेक्षित अनेक वस्तुओं और सेवाओं जैसे प्रमाणित बीज उर्वरक और कृषि सम्बन्धी कच्चा माल, और कन्ट्रोल का कपड़ा, आय घरेलू औषधें, साबुन, वनस्पति और खाना बनाने वाला तेल, (सील बन्द डिब्बों में) साइकिल के टायर और ट्यूब, ट्रैक्टर के पुर्जे, टौर्च के शैल्स आदि आवश्यक वस्तुओं को भी बेचेंगे। कुछ केन्द्रों पर अल्पकालिक आधार पर चिकित्सकों की सेवायें भी उपलब्ध करायी जा रही हैं।

रानीगंज, पश्चिम बंगाल में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

1270. **श्री शंकर नारायण सिंह देव:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क), (ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार ने उस राज्य में रानीगंज क्षेत्र में कोयले पर आधारित सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के बारे में कोई ब्यौरा नहीं मिला था। राज्य सरकार को सूचित किया गया है कि साधन स्थिति पांचवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त उर्वरक क्षमता का निर्माण करने की अनुमति नहीं देती है।

डिवीजनों (उत्तर रेलवे) में स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के ड्यूटी रोस्टरों का लगाया जाना

1271. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मंत्री मियांभाई न्यायाधिकरण प्रतिवेदन को क्रियान्वित न करने के बारे में 19 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 1027 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन और अन्य डिवीजनों में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों के नये ड्यूटी रोस्टर जारी नहीं किये गये हैं; और

(ख) आर०एल०टी० केआधार पर समयोपरि भत्ते का भुगतान न करने के क्या कारण हैं और आरएल०टी० के आधार पर समयोपरि भत्ते का भुगतान कब तक शुरू हो जायगा और स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के ड्यूटी-रोस्टर कब तक जारीहो जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीबूटा सिंह) :(क) स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों केरोस्टरों में अधिकरण के निर्णय के अनुसार संशोधन किया जा रहा है और आशा है कि फरवरी, 1976 के अंत तक संशोधित रोस्टरों को चालू कर दिया जायेगा।

(ख) रेल श्रम अधिकरण, 1969 केअधिनिर्णय के अनुसार समयोपरि भत्ते का भुगतान रोस्टरों के संशोधन के साथ सम्बन्धित है और संशोधित रोस्टर लागू होने पर इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी। लेकिन समयोपरि भत्ता 1-8-1974 से पूर्व व्याप्ति सहित देय होगा।

वफादार कर्मचारियों को दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि

1272. **श्री राजदेव सिंह:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 को सामान्य हड़ताल के पश्चात् रेलवे के वफादार कर्मचारियों को दी गई अग्रिम वेतन वृद्धि को स्थायी वेतन वृद्धि के रूप में बदल दिया गया है ,

(ख) क्या कुछ कर्मचारियों को उनकी वफादारी के लिए केवल 50 रुपये अथवा 100 रुपये की राशि पारितोषिक के रूप में दी गई है, और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जिन कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धि दी गई थी उन्हें वेतनक्रम में अगली वेतन-वृद्धि सामान्य तारीख पर, अर्थात् उसी तारीख को मिलेगी जिस पर उन्हें सामान्य वेतनवृद्धि उस हालत में मिलती यदि उन्होंने अग्रिम वेतन वृद्धि न ली होती न कि अग्रिम वेतन वृद्धि मिलने की तारीख के एक वर्ष बाद ।

(ख) और (ग) निर्धारित सिद्धान्त के अनुसार वफादार कर्मचारी निर्धारित लाभों अर्थात् पुत्रों/पुत्रियों के लिये नौकरी, सेवाकाल की वृद्धि/पुनर्नियुक्ति, अग्रिम वेतनवृद्धि, नकद इनाम और कठिन ड्यूटी भत्ता में से केवल एक ही लाभ प्राप्त करने के लिये हकदार थे। इस नीति के अनुसार प्रत्येक मामले के गुण-दोषों के आधार पर अलग-अलग कर्मचारियों को अलग-अलग पुरस्कार दिये गये ।

दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र

1273. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्गापुर उर्वरक संयंत्र के कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : दुर्गापुर संयंत्र जिसने अक्तूबर, 1973 में उत्पादन आरम्भ किया था, उसे कई यांत्रिक बाधाओं और संयंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं उदाहरणतः बाइवारफील्ड पानी, सिन्थेटिक गैस कम्प्रेशर आदि का सामना करना पड़ा था। इसी कारण अब तक सन्तोषजनक स्तर पर स्थिर संचालन नहीं हो पाया है। उर्वरकसंयंत्र जिसे

मैसर्स दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से बिजली मिलती है, उसमें बारबार बिजली के बन्द होने/खराबी और बिजली सप्लाई पद्धति में कम वोल्टेज के कारण संयंत्र के कार्य में धीमी गति और निपुणता पर गहरा प्रभाव पड़ा है ।

विभिन्न यांत्रिक खामियों और अन्य समस्याओं के पूरा करने में मैसर्स डेस्कीमोंट जो इस प्रायोजना की डिजाइन आदि में निकट रूप से सम्बन्धित है, उन्होंने इस प्रायोजना का एक सम्पूर्ण सर्वेक्षण किया । इस सम्पूर्ण सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उपयुक्त सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ताकि इस संयंत्र को सन्तोषपूर्ण स्तर पर चालू किया जा सके । इसके अतिरिक्त विद्युत् प्रणाली आने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार से विचार विमर्श किया जा रहा है ।

कुछ मरम्मत कार्य पूरा करने के पश्चात् संयंत्र अभी चालू हुआ है और यह इस समय लगभग 30 प्रतिशत क्षमता पर कार्य कर रहा है ।

मुरादनगर और गाजियाबाद के बीच दुहरी लाइन

1274. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुरादनगर और गाजियाबाद के बीच निकट भविष्य में दुहरी लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो दुहरी लाइन बिछाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां ।

(ख) कोई लक्ष्य तिथि निश्चित नहीं की गई है, परन्तु इस पर लगभग तीन वर्ष लगेंगे बशर्ते कि पर्याप्त धन राशि उपलब्ध होती रही ।

गाजियाबाद–नई दिल्ली रेल मार्ग का विद्युतीकरण

1275. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गाजियाबाद और नई दिल्ली के बीच रेल-मार्ग का विद्युतीकरण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इस कार्य को पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). गाजियाबाद-नई दिल्ली खण्ड के विद्युतीकरण का काम पहले से ही टूंडला-दिल्ली खण्ड का विद्युतीकरण योजना के भाग के रूप में प्रगति पर है । 31–12–1975 तक टूंडला-दिल्ली खण्ड के विद्युतीकरण के काम में 67 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

(ग) दिसम्बर, 1976 ।

गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने

1276. **श्री एच० एन० मुकर्जी:**
श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में गैस पर आधारित उर्वरक कारखाने लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या बम्बई हाई के तट-दूरक्षेत्र में और बंगाल की खाड़ी से उपलब्ध होने वाली प्रत्याशित गैस का उपयोग करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्रीपी० सी० सेठी): (क) से (ग) हमारे अपतटीय क्षेत्रों से सम्भाव्यित उपलब्ध गैस इस प्रकार के गैस प्राप्त होने के वास्तविक क्षेत्र तथा आर्थिक दोहनी तथा वे स्थान जहां से गैस की उर्वरक सम्भरण सामग्री के रूप में लाया जा सके, के बारे में पर्याप्त आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। अतः अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के आयोजना में सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग किये जाने वाले गैस के सम्बन्ध में अभी ठोस निर्णय नहीं किया जा सकता। तथापि इस आधार पर बाम्बे हाई से सम्भावित सम्बद्ध गैस के वर्तमान मूल्यांकन से सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय उर्वरक लिमिटेड के ट्राम्बे संयंत्र का विस्तार (ट्राम्बे V) गैस पर आधारित होना चाहिये। जब तक गैस सम्भरण सामग्री के रूप में प्रयोग हेतु उपलब्ध नहीं होता तब तक प्रारम्भ में संयंत्र नेप्था पर आधारित होगा।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी

1277. **श्री जगन्नाथ मिश्र:** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल की सीमित सप्लाई तथा उस का अधिक मूल्य होने के कारण वाराणसी स्थित डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के बन्द होने का खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). यह सही नहीं है कि डीजल की सीमित सप्लाई और अधिक कीमत के कारण डीजल रेल इंजन कारखाना बन्द किया जा रहा है। तथ्य यह है कि डीजल इंजन के उत्पादन के लिए 1975–76 के दौरान निधि की कमी, के कारण रेलों पर इंजनों का उत्पादन कम और सीमित संख्या में किया गया था। फिर भी, डीजल रेल इंजन कारखाने की उपलब्ध क्षमता के उपयोग को ध्यान में रख कर उत्पादन को बढ़ाने के लिये जोरदार प्रयास किये गये थे, जो इसप्रकार हैं :—

(i) इस्पात कारखानों के लिये डब्ल्यू० डी० एस 6 किस्म के भारी डीजल शन्टरों का उत्पादन ;

(ii) तंजानिया को डीजल रेल इंजनों का निर्यात ;

(iii) अणु शक्ति आयोग के लिए डीजल जनित्र सैटों का उत्पादनों ;

(iv) 16 और 6 सिलेंडर वाले इजनों के सामान्य उत्पादन की बजाय 12 सिलेंडरों वाले डीजल इंजनों का उत्पादन । 12 सिलेंडर वाले इन इंजनों का उपयोग पुराने डीज़ल रेल इजनों को पुनः पावर पैकिंग के लिए किया जाएगा ।

(v) रेलों को अनुरक्षण के लिए पुर्जों की सप्लाई में वृद्धि करना ताकि आयात कम किया जा सके ।

उपर्युक्त उपायों से डीजल रेल इंजन कारखाने की उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग होने की सम्भावना है ।

मई, 1974 की रेलवे हड़ताल के दौरान वफादारी से काम करने वाले रेल कर्मचारियों के पुत्रों/पुत्रियों को रोजगार

1278. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 की रेलवे हड़ताल के अवसर पर तत्कालीन रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने यह घोषणा की थी कि बफादार रेल कर्मचारियों के पुत्रों और पुत्रियों को रेलवे विभाग में रोजगार दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम और ईसाइयों की पृथक्-पृथक् संख्या क्या है ;

(ग) क्या रेलवे में बफादार कर्मचारियो के पुत्रों और पुत्रियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी नियुक्त किया गया ;

(घ) क्या श्रेणी एक और श्रेणी दो के राजपत्रित रेल अधिकारियों (जो हड़ताल पर नहीं थे) के पुत्रों और पुत्रियों को भी नियुक्त किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने जिस जांच का वायदा किया था उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) फरवरी, 1974 में तत्कालीन रेल मंत्री स्व० श्री ललित नारायण मिश्र ने निम्नलिखित घोषणा की थी : "यह भी विनिश्चय किया गया है कि सेवा-अवधि बढ़ा कर, पुरस्कार और उल्लेखनीय सेवा के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियां देकर निष्ठावान कर्मचारियों की सेवाओं को सम्मानित किया जाये और निष्ठावान कर्मचारियो के बच्चों और आश्रितों को रेल सेवा में लेने के बारे में प्रशासनिक नियमों के अधीन अनुकूल विचार किया जाए ।"

(ख) 31 अक्तूबर, 1975 तक कुल 10275 नियुक्तियां की गयी थीं जिनमें अनुसूचित जाति के 1380 उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति के 175 उम्मीदवार, 687 मुसलमान, 401 ईसाई और 66 अन्य अल्प संख्यक जातियों के उम्मीदवार हैं ।

(ग) से (ङ). हिदायतें यह थीं कि एक वफादार कर्मचारी के केवल एक ही आश्रित को नियुक्त किया जाय । आश्रित का अभिप्राय सामान्यतः पुत्र या पुत्री से है । जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उन पर विचार किया जा रहा है ।

पटना के रेल कर्मचारियों को बाढ़-राहत के रूप में दी जाने वाली ऋण राशि

1279. **श्री रामावतार शास्त्री:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने बाढ़ राहत के लिए 500 रुपये की अग्रिम राशि उस समय निर्धारित की थी जब बाजार मूल्य तथा कर्मचारियों के वेतन मान बहुत कम थे ; और

(ख) क्या बाजार मूल्य, वेतनमान तथा सरकारी के विभिन्न विभागों द्वारा मंजूर की गई बाढ़-राहत राशि को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार बाढ़-राहत राशि का पुनरीक्षण करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जिनमें रेल कमचारी भी शामिल हैं, वित्त मंत्रालय, द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के आधार पर बाढ़ अग्रिम की राशि मंजूर की जाती है । वित्त मंत्रालय अग्रिम की राशि निर्धारित करते समय सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखता है । इस समय सरकार 500 रुपये की अधिकतम राशि में कोई वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार नहीं कर रही है ।

महाराष्ट्र में रेलवे लाइनों पर ऊपरी पुलों का निर्माण

1280. **श्री शंकरराव सावन्त:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 में दिसम्बर, 1975 तक रेलवे लाइनों पर निर्मित ऊपरी पुलों के निर्माण का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय निर्माणाधीन ऊपरी पुलों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन पर कितना खर्च आयेगा ; और

(घ) उनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) 1973–74, 1974–75 और 1975–76 (दिसम्बर, 1975 तक) के दौरान महाराष्ट्र में निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण किया गया है :—

वर्ष	वर्तमान समपारों के बदले, लागत में हिस्सा बांटने के आधार पर	निक्षेप शर्तों के आधार पर
1973–74 . . .	कोई नहीं	कोई नहीं
1974–75 . . .	कोई नहीं	1 (भलकापुर)
1975–76 . . .	(बसमथ)	1 (कोल्हापुर)

इसके अलावा, पुणे-मिरज आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में लोणंद में एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया गया था ।

(ख) इस समय निम्नलिखित ऊपरी सड़क पुलों का निर्माण हो रहा है वास्तविक रूप से काम प्रगति पर है :—

(1) वर्तमान समपारों के बदले, लागत में हिस्सा बांटने के आधार पर :—

(1) पालथर में ऊपले सड़क पुल ।

(2) दहानु रोड में ऊपरी सड़क पुल ।

(3) मिरज में ऊपरी सड़क पुल ।

(4) चिंचवड़ में ऊपरी सड़क पुल ।

(5) मुलन्द में ऊपरी सड़क पुल ।

(6) लोनावला में ऊपरी सड़क पुल :

(7) अंकाई में ऊपरी सड़क पुल ।

(ii) निक्षेप शर्तों के आधार पर :—

1. चान्दा फोर्ट के समीप ऊपरी सड़क पुल ।

2. घाटकोपर में ऊपरी सड़क पुल ।

नोट :—इसके अतिरिक्त, छः ऊपरी सड़क पुलों अर्थात् शहाड़, अहमदनगर, पाचोरा, वडला रोड, इगतपुरी और खरडी में, के निर्माण का अनुमोदन भी कर दिया गया है और आशा है कि इनका निर्माण जल्दी ही शुरू हो जाएगा । आसनगांव, पडार्ली, उम्बेरमाली और डीम्बीवली में ऊपरी सड़क पुलों के लिये अनुमानों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

पुणे-मिरज आमान-परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में करांड में भी एक ऊपरी सड़क पुल का निर्माण किया जा रहा है ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में जिन निर्माण-का कार्यों उल्लेख किया गया है, उनकी कुल अनुमानित लागत (केवल रेलवे का हिस्सा) लगभग 106 लाख रुपये है । इसमें निक्षेप निर्माण-कार्यों तथा आमान-परिवर्तन परियोजनाओं के भाग के रूप में निर्मित ऊपरी सड़क पुलों एवं उन निर्माण कार्यों की, जिनके लिये अनुमानों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है, लागत शामिल नहीं है ।

(घ) इन निर्माण कार्यों की प्रगति धन की उपलब्धता पर निर्भर है, इसलिये फिलहाल, उनके पूरा होने का समय बता सकना सम्भव नहीं है ।

उर्वरक और औषध उद्योगों में विदेशी अंश-पूंजी

1281. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरक और औषध उद्योग से सम्बन्धित उद्योगों, फर्मों और कम्पनियों में विदेशी अंश पूंजी के बारे में अद्यतन स्थिति और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : औषध और भेषज उद्योग पर समिति की रिपोर्ट अध्याय 1 के परिशिष्ठ 11 एवं 5 में भारत में कार्य कर रहे औषध यूनिटों को विदेशी कम्पनियों के हितों की सीमा का उल्लेख है। रिपोर्ट की एक प्रति 8 मई, 1975 को सभा के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

26-1-1976 को तारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर में एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया गया था जिसमें उर्वरक उद्योग में विदेशी पूंजी सांझेदारी की सीमा बताई गई थी।

विजयवाड़ा-मद्रास लाइन का विद्युतीकरण

1282. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजयवाड़ा-मद्रास लाइन का विद्युतीकरण कार्य किस स्थिति में है ;

(ख) क्या यह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मार्च, 1976 तक पूरा हो जाएगा ; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के अनुसार विद्युतीकरण-कार्य एक ओर काजीपेट तक (मद्रास-दिल्ली ट्रंक मार्ग) और दूसरी ओर वाल्टेयर (मद्रास कलकत्ता मार्ग) तक बढ़ाया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 20 दिसम्बर, 1975 तक विजय-वाडा-मद्रास लाइन पर विद्युतीकरण के काम में 20 प्रतिशत प्रगति हुई है।

(ख) जी नहीं। इसे पूरा करने का लक्ष्य बदल कर 1977-78 कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

वेल्ड की गई रेल पटरियों के कारण ईंधन की खपत में बचत (इलाहाबाद डिवीजन)

1283. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद डिवीजन में वैल्ड की गई लम्बी रेल पटरियों के कारण ईंधन की खपत में बचत हुई थी ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इलाहाबाद डिवीजन की दृष्टि से समस्त देश में पटरियों पर वही व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) लम्बी दूरी तक झली हुई पटरियों से कर्षण बाधा में कमी होती है और इससे कुछ सीमा तक ईंधन की खपत में बचत करने में सहायता मिलती है ।

(ख) जी हां । भारतीय रेलवे पर उत्तरोत्तर लम्बी दूरी तक झली गई पटरियां बिछाने का विचार है ।

भारत द्वारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से तेल का आयात

1284. **श्रीमती पार्वती कृष्णन:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974–75 और 1975–76 में भारत को पैट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन से कुल कितनी मात्रा में तेल का आयात करना पड़ा ;

(ख) सरकार को विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितनी धनराशि देनी पड़ी, और विदेशी मुद्रा रिजर्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख). सूचना नीचे दी गई है:—

वर्ष	मात्रा मिलियन मीटरी टन
1974–75	13.99
1975–76	9.09

(ख) सूचना नीचे दी गई है मूल्य (करोड़ रुपयों में) अस्थायी :

1974–75	917.71
1975–76	659.86
(अप्रैल-नवम्बर)	..

(ग) आयात बिल में किसी प्रकार की वृद्धि हो जाने से देश के बकाया भुगतानों पर और जिसके परिणामस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आरक्षित निधि पर भी प्रभाव पड़ता है । 1974–75 के लिये आयात बिल में बहुत वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आरक्षण निधि पर प्रभाव पड़ा है । अत: विदेशी मुद्रा सम्बन्धी निधि आरक्षण पर केवल तेल के आयात बिल में वृद्धि के प्रभाव को अलग करना सम्भव नहीं है ।

तेल का आयात करने के बारे में कुछ अरब देशों से करार

1285. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी:** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में कुल कितनी मात्रा तथा कुल कितनी कीमत के तेल का आयात किया गया ;

(ख) क्या अधिक मात्रा में उचित मूल्य पर तेल प्राप्त करने के लिए ईराक, ईरान, कुवैत और मिस्र के साथ कोई समझौता किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) वर्ष 1976–77 में विदेशों से लगभग कितना तेल आयात करने की आवश्यकता होगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी): (क) सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कच्चे तेल की मात्रा	मूल्य
	(मिलियन मी० टन)	(रुपये करोड़ों में)
1973–74 . . .	13.87	416.38
1974–75 . . .	13.99*	917.71*

*अनन्तिम

(ख) और (ग):—1976 के दौरान ईराक और ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई के लिए समझौता किया जा रहा है। भारत और मिश्र के बीच 1976 के लिए हुये व्यापार समझौते के अन्तर्गत कच्चे तेल को उन मदों में से एक पाया गया है जिस पर भारत द्वारा आयात किये जाने के लिये विचार किया जा सका है। फिलहाल कुवैत से कच्चे तेल के आयात का कोई प्रभाव नहीं है।

(घ) 1976–77 के दौरान तेल की आयात की मात्रा के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वैगन खाली किया जाना

1286. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वैगनखाली करने में लिये जाने वाले समय सम्बन्धी स्थिति में कोई सुधार हुआ है ; और

(ख) वैगनों को कम से कम समय रोके जाने का सुनिश्चय करने हेतु प्रक्रिया को और अधिक सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जाएगी।

यातायात में पुनः वृद्धि करने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय रेलों द्वारा आरम्भ की गई योजनायें

1287. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में जो यातायात रेल परिवहन के स्थान पर सड़क परिवहन द्वारा होने लगा था उसको पुनः रेल परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न रेलवे जोनों द्वारा क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक रेलवे ने कोई योजनायें आरम्भ की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उनका क्या परिणाम निकला तथा विशेषकर उत्तर रेलवे ने इस सम्बन्ध में क्या कार्य किये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) यातायात को सड़क परिवहन से अपनी ओर लाने के लिए रेलों द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये रेलों ने अनेक ग्राहक-परक सेवायें शुरू की हैं

(ख) जी हां ।

(ग) यातायात को आकर्षित करने के लिए रेलों द्वारा जो विशेष कदम उठाये गये/ योजनायें शुरू की गयी हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(i) व्यापार और उद्योग के साथ निकट सम्पर्क कायम करना ।

(ii) कंटेनर सामान को घर-घर जाकर लेना और उसकी सुपुर्दगी देना, माल और पार्सलों में फ्रेट फार्वर्डर योजना (घर से घर तक सेवा की एक अन्य किस्म) स्ट्रीट संग्रहण और सुपुर्दगी सेवायें, चलती-फिरती बुकिंग सेवायें शुरू करना और जो क्षेत्र रेलों द्वारा सेवित नहीं हैं वहां आउट-एजेंसियां खोलना ।

(iii) तेज परिवहन की व्यवस्था करने के लिए मुख्य ट्रंक मार्गों पर सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाना, जिनका परिवहन समय गारंटी शुदा होता है ।

(iv) महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केन्द्रों के बीच द्रुत परिवहन सेवा शुरू करना । इस योजना के अन्तर्गत नाम मात्र का अधिप्रभार लेकर रेलें यह जिम्मेदारी लेती हैं कि माल निश्चित लक्ष्य के समय के भीतर सुपुर्द कर दिया जाएगा । यदि माल की निश्चित परिवहन समय के भीतर सुपुर्दगी न हो पाये, तो यह अधिप्रभार वापस कर दिया जाता है ।

(v) अधिक लाभ पहुंचाने वाली वस्तुओं को, जिनके सड़क यातायात की ओर चले जाने की सम्भावना है परिचालनिक प्रतिबन्धों और कोटा सीमाओं की परिधि से यथा सम्भव छूट देना ।

(vi) प्रत्येक रेलवे महत्वपूर्ण माल गोदामों को, जहां तक सम्भव हो, सभी प्रकार के यातायात के लिए परिचालनिक सीमाओं से मुक्त घोषित करना ।

(vii) यातायात को आकर्षित करने के उद्देश्य से, एक विशिष्ट स्टेशन से अन्य विशिष्ट स्टेशन तक के लिए विशेष दरें निर्धारित करना, जो सामान्य भाड़ा दरों से कम हों।

(viii) दावों को रोकने और खो जाने वाले या क्षतिग्रस्त होने वाले माल के लिए किए गए दावों के शीघ्र निपटारे के उद्देश्य से, दावा निरोधक संगठन को कारगर बनाना और उसमें कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना।

(ix) 36 वस्तुओं को माल डिब्बा रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त करना।

(x) अधिक द्रुतगामी परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से ब्लाक रेकों का तरजीही आधार पर संचलन करना।"

जहां तक उत्तर रेलवे का सम्बन्ध है इस रेलवे ने निम्नलिखित विशिष्ट सेवायें शुरू की हैं :—

सेवा	उपलब्ध संख्या
1. कंटेनर	3
2. माल में फ्रेट फार्वर्डर	12
3. पार्सलों में फ्रेट फार्वर्डर	3

यह रेलवे अमृतसर और बम्बई के बीच सप्ताह में एक बार निर्यात विशेष गाड़ियां भी चला रही है जिनमें माल की ढुलाई रिकार्ड समय में की जाती हैं।

कृषि तथा उद्योगों के लिये पेट्रोलियम उत्पाद

1288. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी:** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उद्योग तथा परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अगले वर्ष की आवश्यकता के लिये पर्याप्त मात्रा में पैट्रोलियम उत्पादों का भंडार सुनिश्चित कराने के लिये सरकार द्वारा कदम उठाये गये हैं ;

(ख) इस समय देशीय उत्पादन से पैट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता किस सीमा तक पूरी होती है; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के लिये उत्पादन सम्बन्धी योजनायें क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी): (क) विशेषकर महत्वपूर्ण क्षेत्र की अनिवार्य मांगों को पूरा करने के लिए पैट्रोलियम उत्पादों का भंडार सुनिश्चित कराने के लिये सारे प्रयास जारी रहेंगे।

(ख) इस समय, देश की कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 2/3 भाग आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है और 1/3 भाग आन्तरिक उत्पादों से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिशोधित पैट्रोलियम उत्पादों, जिनकी देश में कमी होती है, का विद्यमान मांगों को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है।

(ग) यह अनुमान लगाया गया है कि 1978—79 में कच्चे तेल का देशीय उत्पादन लगभग 14.00 मिलियन मी० टन तक बढ़ जाएगा जब कि इस समय लगभग 8.35 मिलियन मी० टन है ।

जनता साबुन का उत्पादन

1289. **श्री राज देव सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारतीय मानक संस्था नहाने के लिये हाल में आई० एस० आई० विशिष्ट विवरण निर्धारित कर रही है ;

(ख) क्या इण्डियन सोप एण्ड टायलेटरी मेकर्स एसोसिएशन के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप कुछ मात्रा को छोड़कर, टैलो का आयात बन्द कर दिया गया है जिससे कुछ विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या टैलों के स्थान पर उपयोग में लाने के लिये किसी उपयुक्त वस्तु का पता लगाया गया है तथा यह जानने के लिये उसकी उपयुक्त जांच कर ली गई है कि उसमें त्वचा को हानि पहुंचाने वाला कोई तत्व नहीं है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी): (क) जी हां ।

(ख) जी हां, आर० ई० पी० लाइसेंसों के सिवाय साबुन उद्योग के संगठित क्षेत्रों के लिए चर्बी का आयात बन्द किया गया है ।

(ग) साबुन उद्योग चर्बी के स्थान पर आवश्यक शोधन आदि के पश्चात् अलग अल्प महत्व वाले तेलों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है । ऐसे साबुन से त्वचा को हानि पहुंचाने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली ।

पंजाब को भट्टी के तेल तथा डीजल तेल की सप्लाई

1290. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब को गत छः महीनों के दौरान कुल कितनी मात्रा में भट्टी के तेल डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल की सप्लाई की गई ; और

(ख) क्या वर्ष 1975 के दौरान की गई सप्लाई की तुलना में इन पदार्थों की सप्लाई में कोई वृद्धि की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जेड० आर० अन्सारी) : (क) और (ख) मिट्टी के तेल के सिवाय, पैट्रोलियम उत्पादों का राज्य-वार आधार पर कोई कोटा नहीं दिया गया है । जनवरी से जून 1975 में 45795 मी० टन की गई सप्लाई की तुलना में पंजाब को की गई मिट्टी के तेल की सप्लाई गत छः महीनों में अर्थात् जुलाई से दिसम्बर 1975 में 51027 मी० टन थी । अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में राज्य-वार सप्लाई के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

भारतीय तेल निगम (इन्डियन आयल कारपोरेशन) द्वारा पंजाब में उद्योगों को भट्टी के तेल की सप्लाई

1291. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योगों को गत एक वर्ष से भट्टी के तेल तथा अन्य तेल उत्पादों की सप्लाई नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या विभिन्न तेल उत्पादों का सामूहिक कोटा राज्य सरकार को दे दिया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी): (क) और (ख) जी, नहीं। 30–4–1975 तक पंजाब में लघु उद्योग क्षेत्र को भट्टी का तेल राज्य स्तर पर गठित भट्टी तेल समिति के आवंटनों के आधार पर दिया जा रहा था। 1–5–75 से आई० ओ० सी० द्वारा पंजाब में सभी उद्योगों को भट्टी का तेल बिना किसी प्रतिबन्ध के दिया जा रहा है।

(ग) मिट्टी के तेल के अतिरिक्त जिसके लिए मासिक आधार पर थोक आवंटन किया जाता है इस समय राज्य के आधार पर किसी भी पैट्रोलियम उत्पाद का आवंटन नहीं किया जा रहा है।

पंजाब को पेट्रोलियम उत्पाद का नियतन

1292. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष पंजाब में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की बहुत कमी रही है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इन पेट्रोलियम उत्पादों के अधिक नियतन के लिये अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी) : (क) गत वर्ष के दौरान पंजाब में पेट्रोल, डीजल अथवा मिट्टी के तेल की कोई अधिक कमी की सूचना नहीं दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में उद्योगों को भट्टी के तेल की सप्लाई

1293. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पंजाब में गत एक वर्ष से भट्टी के तेल तथा अन्य तेल--उत्पादों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण वहां कुछ उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी): (क) जी नहीं, इस मंत्रालय की जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में तेल की खोज

1294. श्री पी० गंगा देव: क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने हाल ही में ब्रह्मपुत्रक्षेत्र में तेल के लिये खुदाई हेतु जांच आरम्भ की है ;

(ख) उक्त जांच कार्य में क्या प्रगति हुई है और उसके अब तक क्या परिणाम निकले है; और

(ग) दिसम्बर, 1975 तक कुल कितने कुएं खोदे जा चुके है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जैड० आर० अन्सारी): (क) 1953 में ब्रह्मपुत्र घाटी में नाहर कटिया पर तेल का पता लगाया गया था। आयल इण्डिया के कार्य प्रारम्भ से ही इन खोजों पर केन्द्रित है।

(ख) ब्रह्मपुत्र घाटी में अपने खोजकार्य से कम्पनी ने 1975 के अन्त तक 235.51 मिलियन मी० टन कच्चेतेल का उत्पादन किया है। अपनी प्रचलन प्रक्रिया के दौरान कम्पनी में इस क्षेत्र में कच्चे तेल के अतिरिक्त पण्डोरा का भी पता लगाया है जिससे 1-1-75 को किये गये मूल्यांकन के आधार पर कच्चे तेल की कुल प्रति प्राप्ति (सिद्ध सांकेतिक) 72.7 मिलियन मी० टन होने की सम्भावना हो गई है।

(ग) अब तक खोदे गये कुओं की कुल संख्या 356 है।

दरभंगा स्टेशन पर डिस्टिल्ड वाटर के पार्सलों में धोखाधड़ी

1295. श्री भोगेन्द्र झा: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे (समस्तीपुर डिवीजन) के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बड़ी धोखाधड़ी का पता लगा था जहां से रेलवे पार्सल के माध्यम से आगरा फोर्ट को डिस्टिल्ड वाटर के स्थान पर पत्थर और ईंट के टुकड़े भेजे गये थे; और

(ख) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां, 19-9-1975 को दरभंगा से आगरा फोर्ट के लिये 14 बक्से बुक किये गये थे और यह घोषणा की गई थी कि उनमें इंजैक्शनों का पानी है। संदेह होने पर जब उन बक्सों को खोला गया तो उनमें डिस्टिल्ड वाटर वाली खाली शीशियां और प्रत्येक बक्से में 6 ईंटें मिलीं।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस दरभंगा ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिस पर अब मुकदमा चलाया गया है और मामला न्यायाधीन है। एक और अभियुक्त फरार है।

एक ही प्रकार की चल-ट्रालियां

1296. **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री मूल चन्द डागा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर के खोमचे वालों को एक विशिष्ट प्रकार की समान रूपी चल-ट्रालियां रखने को कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उन ट्रालियों की लागत सहित अन्य तथ्य क्या है ;

(ग) क्या छोटे स्टेशनों पर थोड़ी सी बिक्री वाले विक्रेताओं के लिए इतनी मूल्यवान ट्रालियां रखना कठिन हो गया है और पाली (पश्चिम रेलवे) तथा अन्य छोटे स्टेशनों की ओर से वर्तमानट्रालियां ही रखने की अनुमति देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं: और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे की भूमि (पूर्वोत्तर रेलवे) को अनधिकार कब्जे से मुक्त कराना

1297. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन में खजौली तथा अन्य स्टेशनों सहित देश भर में अनधिकृत रूप से कब्जे में ली गई रेलवे की भूमि के खालीकराने सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या जयनगर और अन्य रेलव स्टेशनों पर गरीब दुकानदार उन्हें अतिरिक्त भूमि दिये जाने के बारेमें अभ्यावेदन देते रहे है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें इस बात की मंजूरी देने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) समूची भारतीय रेलों पर हाल ही में भूमि पर लगभग 34200 अनधिकृत कब्जों को हटाया गया । इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अन्तर्गत खजौली तथा अन्य स्टेशन भी शामिल हैं।

(ख) और (ग). सम्भवतः आशय पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर मंडल के जयनगर तथा अन्य स्टेशनों से है। यदि आशय यही है तो गरीब दुकानदारों की ओर से पूर्वोत्तर रेल प्रशासन को ऐसे कोई अभ्यावेदन नहीं मिल हैं ।

टकरु आयोग का प्रतिवेदन

1298. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया बरौनी पाइप लाइन जांच के बारे में सरकार को टकरू आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, और क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है; और

(ग) इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). रिपोर्ट विचाराधीन है और जांच अधिनियम के आयोग के उपबन्धों के अनुसार उस पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित उसे लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा जैसे ही आयोग के निष्कर्षों पर सरकार का अन्तिम निर्णय हो।

हावड़ा–आमटा ब्राड गेज लाइन के निर्माण के लिये भूमि का अर्जन

1299. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-आमटा ब्राड गेज लाइन के लिये पटरी बिछाने हेतु समूचे मार्ग पर भूमि अर्जित कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। पहले चरण में 16.60 किलोमीटर दूरी के लिये मांगी गयी 271.652 एकड़ भूमि में से अभी तक 235.75 एकड़ भूमि का कब्जा मिला है।

विशेषाधिकार का प्रश्न

Question of Privilege

Kumari Maniben Patel ((Sabarkantha) : Mr. Speaker, I wish to raise a question of privilege under Rule 222 in the House.

On the 12th December, 1975 at 4 p.m., when I offered Satyagraha in Chandni Chowk, Delhi I was arrested and taken to Kashmiri Gate Police Station. After I was made to sit there for 3 hours, the police took me to my residence and released me there. Information to this effect is neither published in any Lok Sabha Bulletin nor is it given to the House. It appears that the police did not send any intimation to the Sperker about my arrest and release. since this is a case of breach of my privilege as a Member, the matter should be referred to the Privileges Committee.

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा और सही स्थिति का पता लगाऊंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मद्रास उर्वरक लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेद, 1974-75 तथा समीक्षा, हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 तथा समीक्षा राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 तथा समीक्षा उर्वरक तथा रसायन, ट्रावनकोर, लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 1974-75 तथा समीक्षा।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :--

(एक) (क) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मनाली, मद्रास के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) मद्रास उर्वरक लिमिटेड, मनाली, मद्रास का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10223/76]

(दो) (क) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10224/76]

(तीन) (क) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०-10225/76]

(चार) (क) उर्वरक तथा रसायन, ट्रावनकोर लिमिटेड, के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) उर्वरक तथा रसायन, ट्रावनकोर लिमिटेड, का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी०--10226/76]

परिसीमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद): मैं परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में सां० आ० 12 (ङ) जो दिनांक 3 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 13 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(दो) राजस्थान राज्य के सम्बन्ध में सां० आ० 13 (ङ) जो दिनांक 3 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 44 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(तीन) आंध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में सां० आ० 16(ङ) जो दिनांक 5 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 32 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(चार) मेघालय राज्य के सम्बन्ध में सां० आ० 17(ङ) जो दिनांक 5 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 फ़रवरी, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 35 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(पांच) मणिपुर राज्य के सम्बन्ध में सां० आ० 26(ङ) जो दिनांक 6 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 18 अक्तूबर, 1973 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 7 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(छः) आसाम राज्य के सम्बन्ध में सां० आ० 27(ङ) जो दिनांक 6 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिनके द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1975 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 36 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(सात) उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में सां० आ० 29(ङ) जो दिनांक 8 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा परिसीमन आयोग के दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 के आदेश संख्या 9 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

(आठ) मध्य प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में सां० आ० 34(ङ) जो दिनांक 9 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर, 1974 के परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 29 में कतिपय शुद्धियां की गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10227/76]

इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 1972—73

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): मैं इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन* को सभा पटल पर रखने में हुए

*प्रतिवेदन 27—8—1974 को लोक सभा पटल पर रखा गया था।

विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10228/76]

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 1972—73

पाइराइटस, फ़ोसफ़ेटस एण्ड केमीकल लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 1972—73

उर्वरक और रसायन, ट्रावनकोर लिमिटेड, वार्षिक प्रतिवेदन, 1972—73

हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लिमिटेड वार्षिक प्रतिवेदन, 1974—75 तथा समीक्षा

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मॉझी) : मैं **निम्नलिखित को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1972—73 का वार्षिक प्रतिवेदन ;

(दो) पाइराइटस, फ़ोसफ़ेटस एण्ड केमीकल लिमिटेड, देहरी-आन-सोन, जिला रोहतास (बिहार) का वर्ष 1972—73 का वार्षिक प्रतिवेदन ; और

(तीन) उर्वरक और रसायन, ट्रावनकोर लिमिटेड, का वर्ष 1972—73 का वार्षिक प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10229/76]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एण्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पूना का वर्ष 1974—75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—10230/76]

भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) रेल रेंड टैरिफ़ (पहला संशोधन) नियम, 1976, जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 93 में प्रकाशित हुए थे।

**प्रतिवेदन 27—8—1974 को लोक सभा पटल पर रखे गये थे।

(दो) रेल रेड टैरिफ़ (दूसरा संशोधन) नियम, 1976, जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा सां० नि० 92 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10231/76]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1972-73

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री(श्री डी० पी० यादव): मैं विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-10232/76]

सदस्य की रिहाई
RELEASE OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय: मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे अधीक्षक, जेल, दिल्ली से दिनांक 24 जनवरी, 1976 का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है:—

"आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द, श्रीमती वी० आर० सिन्धिया, संसद सदस्य को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के आदेश पर 23-1-76 को एक महीने के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया है।"

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES

17वाँ प्रतिवेदन

श्री एन० के० पी० साल्वे (बेतूल) : मैं विशेषाधिकार समिति का 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

23वाँ प्रतिवेदन

श्री एस० एन० सिद्दय्या (चामराजनगर): मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 23वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

190वाँ प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व): मैं भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार(रक्षा सेवाएं)--रक्षा तथा रक्षा उत्पादन विभाग—में सम्मिलित कुछ पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति के 146वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 190वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में प्रस्ताव

श्री एन० के० पी० साल्वे: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 5 अगस्त 1974 को पटना में श्री ईश्वर चौधरी संसद सदस्य को हथकड़ी लगाए जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 5 अगस्त, 1974 को पटना में श्री ईश्वर चौधरी, संसद सदस्य को हथकड़ी लगाए जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

विदेश मंत्री द्वारा हाल की नेपाल यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS RECENT VISIT TO NEPAL

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : नेपाल के विदेश मंत्री, महामान्य श्री आर्याल के निमंत्रण पर मैंने 19 से 22 जनवरी 1976 तक नेपाल की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान मैंने नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज से भी भेंट की। महामहिम की सरकार के प्रधान मंत्री, कृषि एवं सिचाई मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के साथ मैंने विचार-विमर्श किया। विदेश मंत्री के साथ मेरी व्यापक बातचीत हुई।

ये विचार-विमर्श द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में आपसी हित के बहुत से विषयों पर हुए। ये निसंकोच और मित्रता के वातावरण में हुए जोकि भारत और नेपाल के बीच विद्यमान निकट संबंधों की अपनी विशेषता है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, नेपाल के साथ हमारे संबधों का आधार भूगोल, इतिहास और संस्कृति है। फिरभी, यह आवश्यक है कि हम सतर्क रहें ताकि हमारे बीच किसी प्रकार की कोई गलतफहमी न पैदा होने पाये, न कोईकर पाये। सभी स्तरों पर निरंतर निःसंकोच और मुक्त बातचीत की प्रक्रिया के द्वारा इसका सुनिश्चय किया जा सकता है जिससे कि एक-दूसरे के

दृष्टिकोण को, हितों और चिंताओं को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। नेपाल के विदेश मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ अपनी बातचीत में आपसी निर्भरता का तथा समसामयिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में अपने संबंधोंकी निरंतर समीक्षा करते रहने की आवश्यकता का मैंने बराबर ध्यान रखा। समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग के मजबूत संबंध विकसित करना हमारी विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत है।

इस समय नेपाल के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग का हमारा कार्यक्रम है जिस पर निरंतर अमल हो रहा है। अपनी यात्रा के दौरान हमने आपसी मित्रता की ओर अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सहयोग के क्षेत्र का विस्तार करने के उपायों और तरीकों पर विचार-विमर्श किया। द्विपक्षीय हित के दूसरे मामलों के अलावा हमने बाढ़-नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत-उत्पादन के क्षेत्रों में दोनों देशों के लाभ के लिए नदी जल की गहन क्षमता को संयुक्त रूप से काम में लाने के प्रश्न पर भी विचार-विमर्श हुआ। इस दिशा में बहुत कार्य किया जा सकता है। जहां तक हमारा सवाल है, हमने अपनी इस उत्कट इच्छा की पुनरुक्ति की है कि हम देवीघाट तथा उन दूसरी परियोजनाओं पर शीघ्रता के साथ काम करना चाहते हैं जिनके बारे में पहले सहमति हो चुकी है और जो क्रियान्वयन के लिए तैयार है। बातचीत के परिणामस्वरूप हमने एक संयुक्त दृष्टिकोण विकसित किया है जिसमें यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न परियोजनाओं को क्या प्राथमिकताएं देनी है, उनके क्रियान्वयन का क्या तरीका होगा और उसमें कितना समय लगेगा। मैं इस बात का खासतौर पर उल्लेख करना चाहूंगा कि दोनों पक्षों ने वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत करनाली परियोजना पर काम जारी रखना स्वीकार कर लिया है और यह भी कि पंचेश्वर बांध परियोजना और राप्ती बाढ़ नियंत्रण परियोजना की संयुक्त जांच-पड़ताल का काम जितनी जल्दी हो सकेगा शुरू किया जाएगा। हमने ऐसे अन्य बहुत-से मामलों पर भी मित्रता और समझ-बूझ की भावना के साथ विचार-विमर्श किया जिनका हम दोनों में से किसी के साथ संबंध हो।

गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के नाते और इस वर्ष कोलम्बो में होने वाले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन को मद्देनजर रखते हुए हमने परिवर्तनशील विश्व पर्यावरण में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की भूमिका पर तथा इस आंदोलन को मजबूत करने और इसे विभाजन तथा इसके सिद्धांतों को शिथिल होने से बचाने की आवश्यकता पर विचार-विमर्श किया।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, हम अपने क्षेत्र में स्थायी शांति और सहयोग का ढांचा तैयार करने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। इस संदर्भ में, हमारी अपनी स्थिरता, शांति और प्रगति के लिए हमारे पड़ोसियों की स्थिरता, शांति और प्रगति बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमें नेपाल को आर्थिक सहयोग देने का सुअवसर मिला। हम भविष्य में भी यथाशक्ति अपना आर्थिक सहयोग देते रहेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मुझे नेपाल के विकास के सुंदर प्रयासों की कुछ झलक देखने को मिली जोकि नेपाल के महामहिम महाराजाधिराज वीरेन्द्र के नेतृत्व में किए जा रहे हैं मुझे इस बात की बहुत आशा है कि इस विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हम भारत और नेपाल की सरकारों और दोनों देशों की जनता के बीच मित्रतापूर्ण संबंध और परस्पर लाभदायक सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकेंगे।

संसदीय कार्यवाहियाँ (प्रकाशन संरक्षण) निरसन विधयक

PARLIAMENTARY PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) REPEAL BILL

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1956 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव करता हूं।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधान से देश की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी और कारगर ढंग से कार्य करने वाला संसद बहुत कमजोर हो जायेगा। हम बन्धुआ संसद नहीं चाहते। लोगों को पता चलना चाहिए कि संसद में क्या रहा हो है।

संसदीय की कार्यवाही का विश्वसनीय संवाद देना हमारे कार्य के लिए अत्यावश्यक है। हम यह नहीं समझ पाते कि सरकार ने संसद को इस तरह से बन्धित करना कैसे आवश्यक समझा है कि संसद की कार्यवाही का देश को पता न चले।

हमें सेंसर की कार्य-प्रणाली की जानकारी है। हमें यह भी पता है कि सेंसर अधिकारी किस प्रकार मन्त्रियों और प्रधान मन्त्री के वक्तव्यों को काट कर छोटा कर देते हैं। यह गतिविधि बहुत बढ़ गयी है। इसमें सरकार का क्या उद्देश्य है?

यदि संसद को इस तरह बांध दिया जाए और यदि संसदीय कार्यवाहियां देश के भागों में भेजनी बन्द कर दी जायें तो आपात स्थिति का सम्पूर्ण उद्देश्य और तत्सम्बन्धी सभी आदेश निष्फल और निरर्थक हो जायेंगे जो सरकार को नहीं करना चाहिए।

श्री विद्याचरण शुक्ल: खेद है कि माननीय सदस्य ने इस विधेयक के सम्बन्ध में अनेक ऐसी बातें कही हैं जो वास्तव में विधेयक में नहीं हैं। यह विधेयक सदस्यों के कार्य में कोई रुकावट नहीं डालेगा। सभी समाचार पत्र संसद की सही सही कार्यवाही छाप सकते हैं। एक मात्र अन्तर इतना किया गया है कि जो कुछ वे छापें वह देश के सामान्य विधान के अनुकूल हो। संसद में बोलते समय संसद सदस्यों के साथ साथ समाचार पत्रों, प्रकाशकों, सम्पादकों और मुद्रकों को जो संरक्षण प्राप्त था वह समाप्त किया जा रहा है।

सदस्य इस बात से निश्चिन्त रहें कि संसद के कार्यकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही समाचार छापने की स्वतन्त्रता के विशेषाधिकार पर कोई असर पड़ेगा। मात्र इतना है कि कोई भी सम्पादक, मुद्रक अथवा प्रकाशक कुछ छापता है तो उस उसकी कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कानूनी रूप से वह उसके लिये उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): यदि सभा में बिरला, टाटा या जयपुरिया बन्धुओं के नामों का उल्लेख किया जाता है या उन तस्करों के, जिनकी विरोधी पक्ष या सरकारी पक्ष के कुछ लोगों से सांठगांठ है, नाम सदन में लिये जाते हैं तो क्या प्रेस द्वारा वे नाम प्रकाशित किये जायेंगे?

श्री विद्याचरण शुक्ल: यहां पर जिन व्यक्तियों के नामों का उल्लेख किया जायेगा, वे सब समाचारपत्रों में प्रकाशित किये जा सकते हैं। परन्तु यदि वे लोग, जिनका उल्लेख किया गया है, यह समझें कि उन्हें बदनाम किया गया है तो वे न्यायालय में जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि समाचारपत्रों को उनके नाम प्रकाशित करने से रोका गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1956 को निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संसदीय कार्यवाहियाँ (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण

STATEMENT RE. PARLIAMENTAY PROCEEDINGS (PROTECTION OF PUBLICATION) REPEAL ORDINANCE, 1975

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन संरक्षण) निरसन अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण विधेयक

PREVENTION OF PUBLICATION OF OBJECTIONABLE MATTER BILL

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराध को उद्दीप्त करने वाली तथा अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव पेश किया गया:

"कि अपराध का उद्दीपन करने वाली तथा अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरी समझ में नहीं आता कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का औचित्य क्या है? माना कि सरकार कुछ प्रतिक्रियावादी शक्ति के प्रतिनिधियों के कुछ वक्तव्यों से बचना चाहती है, परन्तु यह स्पष्ट है कि हमारे देश में चाहे सशस्त्र सेनाहो, पुलिस हो या संगठित क्षेत्र में श्रमजीवी वर्ग के लोग गलत बात पर ध्यान नहीं देंगे। इस विधेयक का उपयोग मामूली से कारणोंसे ही व्यापारी वर्ग, मजदूर संघों और संगठित क्षेत्र के विरुद्ध किया जायेगा। किसी भी बात को आपत्तिजनक कहा जा सकता है और उस के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये। यदि सरकार कुछ बातों से बचना चाहती है तो श्रमजीवी पत्रकारों और सम्बन्धित मजदूर संघों से परामर्श किया जाना चाहिये था। यदि ऐसा किया जाता तो इस विधेयक का रूप कुछ और होता।

मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं कि कम से कम इस विधेयक को चर्चा के लिए एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और पत्रकारों और अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को समिति के समक्ष आकार आपत्तिजनक सामग्री की परिभाषा हेतु अपने सुझाव देने का अवसर दिया जाये ।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को या तो वापस ले लें या इसे निलम्बित रखें या प्रवर समिति को सौंपने का निर्णय दें । हम निश्चयही अच्छे सुझाव देंगे जिससे विधेयक में सुधार होगा । परन्तु यदि सरकार समाचारपत्रों और देश के लोगों के अधिकारों को समाप्त करने पर तुली हुई है तो हम इसका डट कर विरोध करेंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल: माननीय सदस्य ने यह समझा है कि यह वधेयक श्रमजीवी पत्रकारों और लोगों के विरुद्ध है। वास्तव में यह विधेयक उन लोगों के विरुद्ध है, जो दिन रात श्रम जीवी पत्रकारों के हितों के विरुद्ध काम करते रहते हैं । यह उन सब लोगों के लिए है जो आये दिन पत्रकारिता के सिद्धातों का उलंघन करते हैं और जिन्होंने पत्रकारिता के सर्वमानय सिद्धातों का उल्लघन नहीं किया है उन्हें इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जिन आपत्तिजनक मामलों की यहां सूची बनाई गई है उन्हें संसद द्वारा पारित विभिन्न हिंयमों के अन्तर्गत पहले ही अपराध माना गया है । अब तो हम केवल उनकी ठीक ढग से सूची बना रहे हैं।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपना सम्भव नहीं है। अध्यादेश होने के नाते संसद को इसे एक निश्चित अवधि के भीतर अनुमोदित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अपराध का उद्दीपन करने वाली तथा अन्य आक्षेपणीय सामग्री के मुद्रण और प्रकाशन के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

STATEMENT RE. PREVENTION OF PUBLICATION OF OBJECTIONABLE MATTER ORDINANCE, 1975.

श्री विद्याचरण शुक्ल: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

आक्षपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश, 1975 के बारे में विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं आक्षेपणीय सामग्री प्रकाशन निवारण अध्यादेश, 1975 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता ।

उद्ग्रहण चीनी समान कीमत निधि विधेयक
LEAVY SUGAR PRICE EQUALISATION FUND BILL

श्री जगजीवन राम की ओर से कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): मैं प्रस्ताव करता हूं कि उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत सारे भारत में सुनिश्चित करने के लिए जनसाधारण के हित में एक निधि की स्थापना का और उससे सम्बोधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उद्ग्रहण चीनी की समान कीमत सारे भारत में सुनिश्चित करने के लिए जनसाधारण के हित में एक निधि की स्थापना का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयो का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

श्री शाहनवाज खां । मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक
BONDED LABOUR SYSTEM (ABOLITION) BILL

अध्यक्ष महोदय: सभा अब श्री रघुनाथ रेड्डी द्वारा 23 जनवरी, 1976 को पेश किये गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करता है :

"कि जनता के दुर्बल वर्गों का आर्थिक और शारीरिक शोषण निवारित करने की दृष्टि से बन्धित श्रम पद्धति के उत्सादन का और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : बन्धक श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूं । बन्धनमुक्ति के तुरन्त बाद बन्धक श्रमिक को जिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उन पर सरकार ने विचार किया है। बन्धक श्रमिक के पास नतो कृषि कार्य के लिए साधन होंगे और न ही उसे किसी प्रकार के ऋण की सुविधा होगी और न ही उसके पास व्यवसायिक दक्षता होगी जिसके आधार पर वह स्वतंत्ररूप से जीवकोपार्जन कर सकेगा और शायद शहरी श्रम मंत्री भी उसे स्वीकार न करे। लाभप्रद धन्धे में लगने के बाद भी उसे शुरु में कोई आय नहीं होगी अतः उसे इस अवधि के दौरान जीवन निर्वाह के लिए कुछ राज सहायता देनी पड़ेगी । राज्य सरकारों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करते समय केन्द्र सरकार ने इन समस्याओं के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया है। श्रम मंत्रालय ने इस विधेयक के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों की गतिविधियों में समन्वय लाने की निष्पक्ष भूमिका निभाई है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दियाहै कि धारा की व्याख्या में कुछ और नाम जोड़े जाने चाहियें थे। व्याख्या तोकेवल उदाहरणस्वरूप दी गई थी अतः वह व्यापक नहीं हो सकती थी। हमारा उद्देश्य न्यायालयों के समक्ष विधान मंडल का इरादा स्पष्ट करनाहै। जो नाम हमने चुनेथे वे ऋण बन्धक और बेगार श्रमिकों के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन उदाहरणों से न्यायालयों को बन्धित श्रम पद्धित की व्याख्या करने में सहायता मिलेगी। देश में कई प्रकार के बन्धुआ श्रमिक हैं और उन सबकी विस्तृत गणना करना असम्भवहै और यदि इस सम्बन्ध में प्रयास भी किया जाये तो यह मामले को जटिल ही बनायेगा।

कुछ माननीय सदस्योंने ग्रामीण निर्धनों को संगठित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के संगठन के अभावसे जो समस्याएं उत्पन्न होतीहैं उनसे भी सरकार भली भांति अवगत है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय तथा राष्ट्रीय श्रम संस्था कृषि श्रमिक द्वारा सामूहिक सम्पणनके लिए समुचित वातावरण तैयार करने के लिए कदम उठा रही है। कार्मिक संघ संगठनों को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिये।

कुछ सदस्योंने कहा है कि कुछ राज्य सरकारों ने इस बात को गलत बताया है कि उनके यहां बन्धित श्रम पद्धति नहीं है। देश में बन्धित श्रम पद्धित का व्यापक रूपसे सर्वेक्षण नहीं किया गयाहै। किन्तु हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहेहैं कि वे इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण करें और उन क्षेत्रो का पता लगायें जहां पर यह पद्धति अब भी विद्यमान है।

श्रम मंत्रियों के सम्मेलनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त से यह अनुरोध करनेका निर्णय किया गया कि वह विभिन्न राज्योंमें बन्धुआ श्रमिकों के बारे में पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करनेहेतु अपने संगठन कोकाम में लाये और यह पता करे कि यह पद्धति उन क्षेत्रोंमें किस हद तक विद्यमान है और साथ इस समस्या काहल करनेके लिये राज्य सरकार को सुझाव भी दे। मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जमतियों के आयुक्त ने यह अनुरोध स्वीकार कर लियाहै। यह समस्या काफी गम्भीरहै। इससमस्या का समाधान केवल विधान बनाने से नहीं हो सकेगा। यह तभी सम्भव हो सकेगा जबकि मानव में सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के प्रति जागृति पैदा होगी।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दियाहै कि विधेयकमें निर्धारित सजा बढ़ा दी जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की दाण्डिक कार्यवाही से मूलभूत परिवर्तन नहीं आ सकता। इसके अतिरिक्त शायद अधिक दण्ड की व्यवस्था अन्य सांविधियों के दाण्डिक उपबन्धोंके अनुकूल न हो सके।

कुछ सदस्य यह चाहते हैं कि सम्पत्ति को पुनः उपलब्ध कराने और ऐसे ही अन्य मामलोंके बारेमें एक समय-सीमा बांध दी जाये। हम इन संशोधनों को नहीं मान सकते क्योंकि कठोर समय सीमा लागू करनेकी न्यायालय मनमानी कार्यवाही मानेंगे और हमें प्रक्रिया सम्बन्धी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा क्योंकि हो सकता है कि सुझाईगयी समय सीमा में वह काम पूरा न किया जा सके।

राज्य और केन्द्र स्तर पर सतर्कता समितियां बनाने सम्बन्धी संशोधनों का सुझाव दिया गया है। यह मान भी लिया जाये कि राज्य और केन्द्र स्तर पर समितियों बनाई

जाती हैं तो भी वे कभी कभी बैठेंगी। इसको लागू करने में तुरन्त कार्यवाही सब डिवीजनल समितियां या जिला समितयां हो कर सकती हैं।

एक संशोधन में यह उपबन्ध किया गया है कि बन्धुआ मजदूरों को काम पर लगाने के लिए उपाय करना राज्यों के लिए आवश्यक है। सावधानी से इस सम्बन्ध में विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय किया है ऐसी किसी धारा का रखा जाना आवश्यक नहीं है। बन्धुआ मजदूरों को फिर से काम देने के लिए अनेकों वित्तीय संस्थाएं आगे आयेंगे। संसद ने विधेयक में यह बात स्पष्ट प से व्यक्त की है। अतः रूस सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी कार्यवाही करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है यह :

"कि जनता के दुर्बल वर्गों का आर्थिक और शारीरिक शोषण निवारित करने की दृष्टि से बन्धित श्रम पद्धिति के उत्सादन का और उससे सम्बंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं।

खण्ड 2

Clause 2

श्री एम० कतामुतु (नागपट्टिनम) : मैं संशोधन संख्या 13 पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): मैं संशोधन संख्या 30 पेश करता हूं।

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर) : मैं संशोधन संख्या 61, 62, 63, 64, 65, 66 और 68 पेश करता हूं।

श्री एम० कतामुतु: मंत्री महोदय ने बताया है कि वह बन्धित श्रम पद्धति के कुछ और नाम सूची में जोड़ेंगे ताकि इसे व्यापक बनाया जाये क्योंकि ऐसा न होने से न्यायालों को इसकी व्याख्या करने में कठिनाई होगी। अधिनियम में नाम होने से वह केस को रद्द कर देंगे। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि संशोधन में उल्लिखित सभी नामों को सूची में शामिल किया जाये या और देश के किसी भाग में ऐसी अन्य पद्धतियां शब्द जोड़े जायें।

Shri Ramavatar Shastri : In Bihar there are a number of bondedlabour system like Hari-Begari, Halwahi and Kamigauri, but they do not find a place in the list given in the Bill. If their name are not included in the list, this system will continue to exist in some form or other Hence my amendment be adopted.

श्री एस० एम० सिद्दय्या: बन्धित श्रमिकों की सूची में कई नाम शामिल किये गये हैं। मैंने सुझाव दिया है कि "बेगार" नाम भी शामिल किया जाये क्योंकि यह महाराष्ट्र में

विद्यमान है। संविधान के अनुच्छेद 23 में भी 'बेगार का निषेध है'। आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में गोठी विद्यमान हैं। बन्धुआ मजदूर पद्धति की सूची में 31 नाम शामिल किये गये हैं। मैं चाहता हूं कि 11 नाम सूची में जोड़े जायें। अत: मेरा सुझाव है कि मेरे द्वारा पेश किये गये सभी संशोधन स्वीकार किये जायें और वे सभी नाम शामिल किये जायें ताकि सूची को व्यापक बनाया जाये।

श्री रघुनाथ रेड्डी: जैसाकि मैंने बताया है कि सूची को व्यापक नहीं बनाया जा सकता। हमने यह सूची कानूनी कार्यवाही के लिए दी है। इस विधान में उदाहरण की तुलना में परिभाषा अधिक महत्वपूर्ण है। परिभाषा किसी अन्य विवरण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम इसमें कुछ और जोड़ देते हैं तो भी कुछ अन्य पद्धतियां हो सकती हैं जिसके बारे में हमें अभी कोई जानकारी नहीं हो।

जैसाकि मैंने पहले कहा महत्वपूर्ण परिभाषा है नाकि परिकल्पना। अत: मैं माननीय सेदस्यों से सहमत नहीं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा खण्ड 2 के सभी संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराजनगर): मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत आ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

खण्ड 6

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 6 पर विचार करेंगे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अपने संशोधन संख्या 31, 32, 33, 34, 35 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 से 35 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 31 to 35 were put and negative.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्य यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 36 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 36 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 37, 38 और 39 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 37, 38 तथा 39 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 37 to 39 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

नया खण्ड 9क

श्री एम० कतामुतु: मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 14 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 40 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 11 was added to the will.

खण्ड 12

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 41 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 41 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 was added to the Bill.

नया खण्ड 12क

श्री एम० कतामुतु : मैं संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम): मैं नए खण्ड 12क के लिए संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 और 18 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 15 and 18 were put and negatived.

खण्ड 13

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 13 पर विचार करेंगे।

श्री एम० कतामुतु मैं संशोधन संख्या 16 और 17 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री बी० वेत्त : मैं संशोधन संख्या 19 और 20 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 42 से 45 पेश करता हूं ।

These four amendments relate to Vigilance Committee which would see that the practice of bonded labour has actually been abolished or not.

In the district level, Vigilance Committee there should be one Member of Parliament, one Member of State Legislature and two representatives of the organised agricultural workers elected by secret ballot. This would make the Committee more effective.

Similarly in the sub-division level Vigilance Committee, a member of State Legislature and one member of District Board or the Panchayat Parishad should be included.

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : सर्तकता समिति में जिलेमें रहने वाली अनुसूचित जातियों और जनजातियों के तीन सदस्य होंगे। इनको कृषि मजदूरों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। परन्तु गुप्त मतदान की बात व्यवहार्य नहीं है ।

विधान मण्डल तथा संसद सदस्यों को सम्बद्ध करने के लिये हम प्रत्येक राज्य स्तर पर एक संवीक्षा समिति स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। ऐसा काम संविधि में व्यवस्था करने की बजाय प्रशासनिक स्तर पर किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16, 17, 19, 20 और 42 से 45 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 16, 17, 19, 20 and 42 to 45 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14

Clause 14

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 14 को लेते हैं ।

श्री एस० एम० सिद्दय्या: मैं संशोधन संख्या 60 और 94 पेश करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 46 पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 46, 60 और 94 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 46, 60 and 94 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 14 was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 15 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 15 was added to the Bill.

खण्ड 16

Clause 16

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 16 को लेते हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 47 और 48 पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 47 और 48 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 47 and 48 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 16 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17

Clause 17

श्री रामेश्वर शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 49 और 50 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 49 और 50 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 49 and 50 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 17 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 17 was added to the Bill.

खण्ड 18

Clause 18

श्री बीरेन दत्त: मैं संशोधन संख्या 21, 22, 23 और 24 पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 52 और 53 पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 21, 22, 23, 24, 52 और 53 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The Amendment Nos. 21, 22, 23, 24, 52 and 53 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 18 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 18 was added to the Bill.

खण्ड 19

Clause 19

श्री बीरेन दत्त : मैं संशोधन संख्या 25, 26, 27, और 28 पेश करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 54, 55 और 56 पेश करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25, 26, 27, 28, 54, 55 और 56 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 25, 26, 27, 28, 54, 55 and 56 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 19 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 19 was added to the Bill.

खण्ड 20

Clause 20

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 57 पेश करता हूं।

The purport of my amendment is that if any officer of the State Government or any member of the Vigilance Committee abets or helps the Commission of any offence under this Act, he should be punishable with twice the rate of punishment as is provided for the offence which has been abetted.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 57 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 20 का विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड 21 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22

Clause 22

श्री रामावतार शास्त्री: मैं संशोधन संख्या 58 पेश करता हूं।

श्री एस० एम० सिद्दया: मैं संशोधन संख्या 95 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा दोनों संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Both the amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 22 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22 was added to the Bill.

खण्ड 23 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 23 was added to the Bill.

खण्ड 24

Clause 24

श्री बीरेन दत्त: मैं संशोधन संख्या 29 पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment No. 29 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 24 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 24 was added to the Bill.

खण्ड 25–26 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 25-26 were added to the Bill.

नया खण्ड 26क

New Clause 26A

श्री ए० एम० सिद्धय्या: मैं संशोधन संख्या 96 पेश करता हूं।

मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों को एक समीक्षा समिति की स्थापना करने का सुझाव देने की बात मान ली है। सुझाव देने के बजाय विधेयक में इसका उपबन्ध किया जाये।

राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाये जिससे संसद् इस पर चर्चा कर सके।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendment was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 और 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 27 और 1 को विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clauses 27 and 1 were added to the Bill.

(अधिनियमन सूत्र)

(Enacting formula)

श्री रघुनाथ रेड्डीद्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 92 स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र को, संशोधन रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

The anacting Formula was amended was added to the Bill.

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Title was added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

Shri Ramavatar Shastri: Sir, I welcome the Billinspite of its loopholes.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker in the Chair

It is a bold step in the right direction. Government have dealt a severe blow on the feudal and reactionary elements which have always exploited the weaker and vulnerable Sections of our society.

The evilof bonded labourstill existsin many States. Efforts should be made to root out this evil from every corner of our country.

The Success ofthis measurelies in its implementation. Govern ment should see that it is effectively enforced.

Shri Paripoornanand Painuil (Tehri Garhwal) Mr. Deputy Speaker, I welcome this Bill. Certain difficulties are bound to crop up while implementing this measure, I would, therefore, suggest that the Minister should consult the M. Ps on thisissue.

Ifeel that unlessan active involvement of peoples representatives at grass rootlevelis there, this measure is not going to succeed.

Although the Poor people have been freed from debts of the mony-lenders and money-lenders have been eliminated from the villages, we would like to know which alternative agency has been established for providing credit to those people.

Vigilance Committees should include persons who are honest and sincere and have no vested interests.

श्री इराज्मु द सेकैरा (मारमगेाआ) : मुझे डर है अन्य विधानों को भान्ति यह विधान भी क्रियान्वित नहीं होगा।

प्रस्तावित सतर्कता समितियों को चुनाव क्षेत्र स्तरपर कांग्रेस समितियो में परिवर्तित नहीं की जानी चाहिए।

मंत्री महोदय को समय-समयपर इस सदन को विधेयक की क्रियान्विति की प्रगति के बारे मै सूचना देनी चाहिए।

श्री रघुनाथ रेड्डी: संसद् द्वारा पारित विधेयक देश के सभी भागों पर लाग होगा और इस कानून के उपबन्धों सेकोई राज्य बच नहीं सकता। विधेयक में उल्लिखित प्रत्येक अधिकारी को यह कानून लागू करना होगा।

उदाहरणार्थ श्री श्रीकिशन मोदी ने जिन 50 बंधक मजदूरों की बात कहते उन्हें हमते सूचना मिलते ही 24 घंटों के अंदर-अंदर मुक्त कर दिया तथा आवश्यक सहायता के साथ उनके घरों को भेज दिया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:--

"कि विधेयक को संशोधित रुप में पारित किया जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (संशोधन) विधेयक

Statutory resolution *re.* Disapproval of Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities (Second Amendment) Ordinance and Conservation of Foreign Exchagne and Prevention of Smuggling Activities (Amendment) Bill.

श्री इराज्मु द सेकैरा (मारमागोआ):: मैं प्रस्ताव करता हूं कि: --

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 29) का निरनुमोदन करती है।"

जिस ढंग से सरकार अध्यादेशों द्वारा राज कर रही है, वह प्रजातंत्रीय नहीं बल्कि एक फासिस्ट तरीका है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को जारी करने का क्या औचित्य है। 31 दिसम्बर, 1975 से अब तक सरकार ने कितने लोगों को नजरबंद किया है ?

अध्यादेश के अन्तर्गत नजरबन्दी एक दो वर्ष नहीं बल्कि उक्त समय तक वैध रहेगी जब तक आपात्त कालीनस्थिति रहेगी। सरकार के एक दो वर्ष तक नजरबन्दी की शक्तियां पहले ही प्राप्त थी लेकिन इसे आपात कालीनस्थिति जारी रहने तक ही नजरबन्दी की शक्तियां चाहिये। सरकार कहती है कि आपात्त कालीन स्थिति अस्थायी है। लेकिन साथ ही साथ अपने हाथ में अधिकाधिक शक्तियां ग्रहण कर रही है। इस प्रकार की नजरबन्दी असाधारण है। तस्करी की बुराई को समाप्त करने के लिये यह व्यवस्था की गयी थी। लेकिन यह अधिकार सरकार के पास अनिश्चित काल के लिये नहीं रहना चाहिये। सरकार उन लोगों के बारे में जानकारी रखती है जो तस्करी का कार्य करते हैं। लेकिन सरकार को इन लोगों को न्यायालय के सामने लाने की हिम्मत नहीं है। कारण यह है कि ये लोग उन सरकारी कर्मचारियों तथा राजनीतिज्ञों का पर्दाफाश करेंगे जिनके साथ उनके सम्पर्क रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें न्यायालय के सामने नहीं लाया जाता। इसी लिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 29) का निरनुमोदन करती है।"

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी):

मैं प्रस्ताव करता हूं:--

"विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

संसद् ने 1974 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम पास किया था। इस उपाय द्वारा तस्करी में बहुत कमी हुई है। गत 15 महीनों के दौरान प्राप्त उपलब्धियों की गति को बनाये रखने के लिये नजरबन्दी की अवधि को बढ़ाना जरुरी है। विधेयक के अन्तर्गत नजरबन्दी की अवधि साधारणत: एक वर्ष और विशेष स्थिति में दो वर्ष रखी गयी है। अत: अधिनियम की धारा 10 को संशोधित करना जरुरी समझा गया है जिसके अन्तर्गत नजरबन्दी एक अथवा दो वर्ष अथवा अपातकालीन स्थिति की अवधि तक, जैसे भी स्थिति हो, रहेगी। यह उपाय इस कारण जरुरी था कि रिहा होने के बाद तस्कर अपनी गतिविधियां फिर न शुरु कर दें तथा सरकार के प्रयत्नों को निष्फल न बना दें।

तस्करी विरोधी उपायों सम्बन्धी अनुभवों को ध्यान में रखते हुये ही हमने इस अवधि को एक दो वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की है।

इस मामले के महत्व को ध्यान में रखतेहुये ही राष्ट्रपति ने 12 दिसम्बर, 1975 के अध्यादेश जारी किया। इस विधेयक का उद्देश्य उस विधेयक का स्थान लेना है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर:** इसविधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा दिसम्बर, 1975 में जारी किये गये अध्यादेश का स्थान लेना है। इसे विधेयक के अनुसार, मूल अधिनियम की धारा 9,10 तथा 12 का संशोधन किया जाना है।

इस बात को सभी जानते हैं कि देश के बड़े बड़े एकाधिकार गृह वस्तुओं का कम बीजक या अधिक बीजक बड़ी मात्रा में बनाते हैं और इस प्रकार बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का गोलमाल कर रहे है जो अन्यथा सरकार के पास जाता है। इनएकाधिकार गृहों के विरुद्ध अपात स्थिति लागू करने के बाद क्या कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कितने तस्करों और विदेशी मुद्रा का गोलमाल करने वालों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गई, कितने मामले अदालत में चलाए गये तथा उनके क्या परिणाम निकले।

श्री हाजी मस्तान मिर्जा ने एक बार कहा था कि चुनाव के दिनों मंत्री और राजनीतिक कार्यकर्त्ता हमारे पास धन मांगने आते हैं। स्पष्ट है कि बड़े अधिकारियों की मदद के बिना तस्करी एक दिन भी नहीं चल सकती। सरकारने इन अधिकारियों, नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की जो तस्करों की मदद करते है। तथाउन्हेंक्या दण्ड दिया गया।

विदेशी मुद्रा का गोलमाल करने वालों तथा तस्करों का बहुत सा धन विदेशी बैंकों में पड़ा है। सरकारउस धन को देशमें वापिस ला कर समाजिक उत्थान के कार्यों में लगाये।

मूल अधिनियम की धारा 12 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार प्राप्तहो कि वह राज्य सरकार के आदेशों के अधीन नजरबन्द लोगों को अस्थायी तौर पर रिहा करने का आदेश दे सके। इस उपबंध के दुरुपयोग होने की सम्भावना है।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहाइच) :विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम के लागूहोने के बाद अच्छे परिणाम सामने आये हैं। यदि इन तस्करों को रिहा किया गया तो वे फिर से अपने धंधों में सक्रिय हो जायेंगे। अतः विधेयक को संशोधित करने का प्रस्ताव उचित ही है।

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based onenglish translation of the speech delivered in Bengali.

मैं मंत्री महोदय का ध्यान भारत-नेपाल सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्करी की ओर दिलाता हूं। बहराइच, गौंडा, बस्ती और गोरखपुर कुछ ऐसे जिले हैं जहां के लोग एक रात के अंदर अत्याधिक धनी हो गए हैं। सरकार को ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसका क्षेत्र बहुत सीमित है और यह विधेयक बिलकुल अविवादस्पद है तथा समय पर लाया गया है। मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तैल्लीचेरी) : यह बात स्पष्ट है कि तस्करी विरोधी उपायों के लिये हम सरकार का पूर्ण समर्थन करते हैं। तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लिये ही सरकार मूल अधिनियम को संशोधित करने जा रही है।

तस्करी में वृद्धि होती जा रही है। तस्कर लोग तस्करी के लिये नये नये उपाय कर रहे हैं। समाचार पत्रों में कहा गया है कि बोहरा समुदाय का मुखिया बड़े पैमाने पर तस्करी का काम कर रहा था और उसे कोलम्बो में गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उस पर जुर्माना लगाया गया है। पहले उसका तंजानिया, इराक तथा अन्य कई देशों के मामलों में हाथ रहा हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है।

तस्करों के पकड़े जाने के बाद बम्बई में तस्करों ने माल उतारने के नये अड्डे खोज निकाले हैं। उन्होने गोआ, दमन, दिव में अड्डे बना लिये हैं। सोना लाने के बजाय वे कपड़ा तथा अन्य ऐसी वस्तुओं की तस्करी कर रहे हैं जो जल्दी नष्ट नही होती और जिनके जरिये वह बड़े पैमाने पर तस्करी कर सकते है।

इसी प्रकार मणिपुर तथा इम्फाल में कई होटल तस्करी के अड्डे बने हुये हैं सरकार को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिये।

कहा जाता है कि 250 तस्कर अभी भी फरार हैं। कितने मामलों में सरकार ने उनकी सम्पत्ति जब्त की है। अध्यादेश जारी करने के बाद भी ऐसी क्या बात है जो सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने से रोक रही है।

यह भी कहा गया है कि सी० आई० ए० के प्रमुख धार्मिक व्यक्तियों और पुजारियों को विभिन्न माध्यमों से पैसा दे रहा है। ऐसा पैसा हमेशा विदेशी मुद्रा के रूप में आता है। सरकार को इस पर निगाह रखनी चाहिये।

Shri M. C. Daga (Pali) : I want to know whether any system for making investigations from smugglers lodged in the jails, has been evolved? How much money they have deposited in the foreign banks.

Many of the Smugglers are residing in the foreign countries. Whether these foreign countries are co-operating with us in apprehending these smugglers? What is the rule of External Affairs Ministry in the matter? How many smugglers were apprehanded and taken to India from abroad ;

May I also know whether actually smugglers have been arrested or some other persons arrested in their place?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: निरनुमोदन प्रस्ताव के प्रस्तावक ने कहा है कि अध्यादेश जारी करने का क्या औचित्य है। यदि यह अध्यादेश जारी न किया जाता तो 31 दिसम्बर, 1975 तक प्रति

दिन 300 नजरबन्दी रिहा कर दिये जाते। यदि इन नजरबन्दियों को रिहा कर दिया जाता तो इससे तस्करी विरोधी कार्य संचालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता।

31दिसम्बर, 1974 के बाद गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरुद्ध इस कानून को लागू करने का कारण संवेदनशील क्षेत्रों में तस्करी करने वाले बड़े बड़े तस्करों के विरुद्ध कुछ और समय तक कठोर कार्यवाही करना हैं।

निवारक नजरबन्दी कानून लागू करने का कारण यह है कि इन बड़े तस्करों को देश के सामान्य कानून के अन्तर्गत लाना सम्भव नहीं है। इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निवारक नजरबन्दी कानून का सहारा लेना अनिवार्य हो गया है।

24 जनवरी, 1976 तक कुल 2049 नजरबन्दी आदेश जारी किये गये, जिनमें से 294 लापता हैं। हमने अधिनियम की धारा 7 के अधीन कुछ कार्यवाही की है। इनकी सम्पत्ति कुर्क करने सम्बन्धी कार्यवाही करने के बाद लगभग 99 व्यक्तियों ने पुलिस के सामने आत्म समर्पण कर दिया है।

सम्पत्ति जब्त करने सम्बन्धी उद्देश्य के बारे में कुछ भ्रम पैदा हो गया है। यह सम्पत्ति को जब्त करना नहीं बल्कि गैर-कानूनी तरीके से बनाई गई सम्पत्ति को कुर्क करना है।

विदेशों में गये तस्करों की सम्पत्ति का भी पता लगाया जा रहा है और उसके सम्बन्ध में कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

हमने कुछ तस्करों को शादी अथवा स्वास्थ्य के कारणों से अस्थायी तौर पर रिहा किया है। इस विधेयक द्वारा हम यह देखना चाहते हैं कि क्या इन नजरबंदियों की अस्थायी रिहाई आवश्यक भी है अथवा नहीं। जिन व्यक्तियों के विरुद्ध हमें इन गतिविधियों में भाग लेने के प्रमाण मिले हैं हमने उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है। उनको जेल में डाला है। इन उपायों के परिणाम-स्वरूप कानूनी तरीकों से स्वदेश में राशि भेजने की प्रवृत्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस संबंध में मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। जनवरी से अक्तूबर, 1974 के दौरान 413 करोड़ रुपये की कुल राशि स्वदेश भेजी गई जबकि 1975 में इसी अवधि के दौरान 730 करोड़ रुपये की राशि भेजी गई। इस प्रकार कानूनी तरीकों से राशि स्वदेश भेजने में 75 प्रतिशत वृद्धि हुई। यह स्पष्ट है कि इस राशि के अधिकांश भाग का उपयोग विदेशी मुद्रा छलसाधकों और तस्करों द्वारा इन देशों से माल आयात हेतु किया जाता था। तस्कर-विरोधी कार्यों के अच्छे परिणाम निकल रहे हैं।

भारत-नेपाल सीमा पर अभी भी कुछ तस्कर गतिविधियां जारी हैं। हमने एक विशेष विभाग बनाया है और एक सीमाशुल्क समाहर्ता (निवारक) को इस क्षेत्र में तस्कर-विरोधी कार्यों पर निगरानी रखने का काम सौंपा है। हमने वहां प्रशासनिक तंत्र को भी अधिक सुचारु बनाया है। हमने इस कार्य हेतु नेपाल सरकार का भी सहयोग मांगा है और वहां की सरकार ने हमें तुरंत सहयोग दे दिया। मैं आशा करता हूं कि उन क्षेत्रों में तस्कर गतिविधियां कम हो जाएंगी।

माननीय सदस्य श्री चन्द्रप्पन ने कहा है कि मणिपुर के रास्ते द्वारा बड़े पैमाने पर विदेशी वस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति आयातित कपड़े पहने तो एक दम यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि वह तस्कर ही के हैं। हो सकता है वह कपड़े उसने सहकारी भंडार से खरीदे हों जहां कि हम जब्त की गई वस्तुएं बेचते हैं। लेकिन तस्करी की संभावना हो सकती है। क्योंकि मणिपुर बर्मा की सीमा पर स्थित है। मैं इसकी जांच करूंगा।

हमने तस्करी को रोकने के पर्याप्त उपाय किए हैं। आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध किए जाने वाले तस्कर विरोधी उपाय कोई ऐसा कार्य नहीं है जोकि एक ही बार में सारी समस्या हल कर दे। यह एक अनवरत कार्य है और यह अथक रूप से जारी रहेगा।

श्री इराज्मु द सकैरा (मारमागोआ) : इस अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव को पेश करते हुए मैंने पूछा था कि अध्यादेश किन कारणों से जारी किया गया। मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि इसका एक कारण यह है कि इन नजरबन्दियों की अवधि 31 दिसम्बर, को समाप्त हो रही थी और यदि यह अध्यादेश जारी नहीं किया जाता तो सभी नजरबन्दियों को उस दिन छोड़ देना पड़ता। किन्तु मूलधारा 9 में यह स्पष्ट है कि 31 दिसम्बर, 1975 से पहले नजरबंदी के बारे में जारी किए गए किसी भी आदेश के लिए एक वर्ष की अवधि होगी सरकार को इस तरह की अवधि को उस तिथि से पहले एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने से किसने रोका था और फिर अध्यादेश का सहारा लेने के बजाय विधेयक पेश कर दिया। अध्यादेश जारी करने की आदत बनती जा रहा है इसे रोका जाना चाहिए। अतः इस अध्यादेश को निरनुमोदित किया जाना चाहिए।

सरकार का कहना है कि उसने बड़े बड़े तस्करों को बन्द कर रखा है किन्तु उनके वेतनभोगी ऐजेन्टों का क्या किया है। पिछले छह महीनों से तस्करों के विरुद्ध एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया है। सरकार को अवश्य ही इस ओर ध्यान देना चाहिए। उन लोगों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

गुजरात सरकार पर आए दिन आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर प्रतिपक्षी दल की सरकार है यदि गुजरात तट पर तस्करी के कार्यों में वृद्धि हो रही है तो आप सीमा शुल्क विभाग के लोगों की खबर लो जोकि केन्द्रीय सरकार के अधीन है आप कृपया गुजरात सरकार पर आरोप लगाइए यदि सरकार इन नजरबन्दियों को पैरोल पर रिहा करने की शक्ति लेने का प्रस्ताव करती है तो मैं सरकार के साथ सहमत हूं। लेकिन हम इस सदन में यह आश्वासन चाहते हैं कि इस पैरोल का राज्य सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए किसी भी स्थिति में उपयोग नहीं किया जाएगा।

इस विधेयक को आपात स्थिति के साथ नजोड़ा जाए बल्कि इस इस सरकार की निर्वाचित अवधि तक ही रखा जाए जोकि 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो रही है क्योंकि तब सरकार का नए सिरे से जनमत प्राप्त करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री इराज्मु-द-सकैरा का संकल्प मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 29) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है *कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motios was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 तथा 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 5 तथा 1 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 5 and I were added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1 :—

Twenty sixth(छब्बीस) के स्थान पर Twenty sevente (सत्ताइस) पुर:स्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 1 पंक्ति 1 :—

Twenty sixth (छब्बीस) के स्थान पर Twenty seventh (सत्ताइस) पुर:स्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Enacting formula as amended and the title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अनुदानों की अनुपूरक माँगें (नागालैंड), 1975–76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (NAGALAND) 1975-76

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1975–76 के लिए निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक माँगें (नागालैंड) मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

The following supplementary Demands for Grants, Nagaland for 1975-76 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
6	भू-राजस्व, स्टाम्प और पंजीकरण	25,000	—
9	मोटर गाड़ियों पर कर . . .	51,000	—
12	सिविल सचिवालय . . .	13,16,000	—
13	जिल प्रशासन विशेष कल्याण स्कीम और आदिवासी परिषद् . . .	6,79,000	—
15	शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने पर विशेष व्यय जिसमें पेंशन तथा उपदान अंशदान भी शामिल है	1,28,40,000	—
16	ग्राम गार्ड	2,70,000	—
17	सिविल पुलिस तथा फायर सर्विस यूनिट .	1,52,15,000	8,00,000
20	सर्तकता आयोग	80,000	—
22	नागालैंड गृह . . .	97,000	—
24	राज्य लाटरी . . .	2,65,000	—
26	शिक्षा	1,00,86,000	—
28	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	15,53,000	—
34	समाज कल्याण	13,48,000	—
36	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और समुदाय सेवाएं .	35,95,000	—
38	सहकारिता	2,37,000	15,84,000

		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
44	अनाज पूर्ति योजना . . .	—	1,00,29,000
47	उद्योग	10,45,000	—
49	विद्युत परियोजनाएं . . .	19,60,000	—
50	सड़क परिवहन	11,50,000	—
52	आवास ऋण और सरकारी कर्मचारियों को ऋण	—	1,50,000
55	जल पूर्ति योजनाएं . . .	74,82,000	—

नागालैंड विनियोग विधेयक, 1976

NAGALAND APPROPRIATION BILL 1976

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): मैं प्रस्ताव करती हूं "कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं। मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

20. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** प्रस्ताव करेंगी "कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3 The Schedule Clause 1 the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पांडिचेरी), 1975-76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (PONDICHERRY) 1975-76.

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब अनुदानों की अनुपूरक मांगे (पांडिचेरी) 1975-76 पर चर्चा तथा मतदान करेगी।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्थम:** (तिरुनिवेली) उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने दल की ओर से पांडेचेरी के अनुदानों की अनुपूरक मांगों के संबंध में दो चार शब्द कहना चाहता हूं।

इन अनुपूरक मांगों में पांडेचेरी पत्तन विकास के लिए केवल 12,000 रुपये की अल्प धनराशि की मांग की गई है। आश्चर्य होता है कि इतनी अल्प धनराशि से सरकार पांडेचेरी पत्तन विकास के लिए क्या कुछ कर सकेगी। इसी प्रकार अनुपूरक मांगों में 59,000 रुपये की राशि की मांग की गई है। सरकार इतनी कम राशि से पांडेचेरी राज्य का औद्योगिक विकास कैसे कर सकती है।

पांडेचेरी में औद्योगिक विकास की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। यहां की औद्योगिक प्रगति केवल करविन्द आश्रम की औद्योगिक प्रगति तक सीमित रही है। अरविन्द आश्रम पांडेचेरी की

***तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर**

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अपेक्षा औद्योगिक रूप से अधिक विकसित है किन्तु यह आपत्तजनक है कि सरकारी धन अरविन्द आश्रम के उद्योगों पर व्यय किया जाए।

पांडेचेरी में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों के साथ घोर अन्याय किया जा रहा पांडेचेरी राज्य में हरिजन वर्षों से न्यूनतम मंजूरी की मांग करते आ रहे हैं। 6रुपये प्रति दिन की दर से मंजूरी की मांग। अभी तक स्वीकार नहीं की गई है। उन्हें न्यूनतम मजदूरी देने के लिए अभी तक कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। वहां हरिजनों को न्यूनतम मज़दूरी दिलाने के लिए कानूनी सहायता दी जानी चाहिए और उनकी प्रतिदिन की मज़दूरी की दर बढ़ाने के लिए विधायी कदम उठाए जाने चाहिएं।

अनुपूरक अनुदानों में सार्वजनिक कार्यों के लिए 4.61 लाख रूपये की राशि मांगी गई है जबकि पुलिस के लिए 12.66 लाख रूपये की राशिमांगी गई है 4.61 लाख रूपये की राशि से सरकार क्या सार्वजनिक कार्य करेगी। पांडेचेरी में जल निकासी के प्रश्न पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। यद्यपि वहां जल निकासी योजना दो साल पहले शुरु की गई थी फिर भी इसके कोई महत्वपूर्ण परिणाम नही निकले।

वहां भारत मिल बन्द करा दिए जाने के कारण 300 कर्मचारी बेरोज़गार हो गए हैं। इस मिल को पुन खोलने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं इस बात की बड़ी अफवाह है कि अरूविले सी० आई० ए० की गतिविधियों का अड्डा बन रहा है। सरकार को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औस्ग्राम) उपाध्यक्ष महोदय पांडेचेरी में काफी अरसे से राष्ट्रपति शासन लागू है। पांडेचेरी के लोग चाहते है कि वहां यथासंभव शीघ्र एक निर्वाचित सरकार बने। मैं जानना चाहता हूँ कि वहां चुनाव कब कराए जा रहे है। जहां तक विकास कार्यक्रम का संबंध है पांडेचेरी एक पिछड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। वहां के लोक निर्माण कार्यक्रमों के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि पांडेचेरी का विकास हो। पांडेचेरी का मुख्य उद्योग कपड़ा उद्योग है और इसे व्यापारिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है हजारों कर्मचारियों की छंटनी करके ज़बरी छुट्टी कर दी गई है। अब वहां राष्ट्रपति शासन है इसलिए केन्द्रीय सरकार को सभी ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि वहां वस्त्र उद्योग को बनाया जा सके और हजारों कर्मचारियों को घंटनी या भुखमरी से बचाया जा सके और हज़ारों कर्मचारियों की छंटनी या भुखमरी से बचाया जा सके। सरकार को पांडेचेरी के विकास के लिए अधिक धन का आंवटन करना चाहिए। वहां जल्दी चुनाव कराने को घोषणा भी की जानी चाहिए।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): यह तो बताना कठिन है कि वहां चुनाव कब तक होंगे। यह तो स्थिति पर निर्भर करता है। 20 सूत्री कार्यक्रम से वहां विकास कार्य आगे बढ़ रहा हैऔर पांडिचेरी प्रशासन इस कार्यक्रम को यथासंभव शीघ्रता से कार्यान्वित कर रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित अनुदानों की अनुपूरक माँगें (पाँडिचेरी), 1975-76 मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई।

The following supplementary demands for grant (Pondicherry) 1975-76 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
4	न्याय प्रशासन	1,59,000	—
6	राजस्व	5,47,000	—
7	बिक्री कर	99,000	—
8	गाड़ियों पर कर	31,000	—
9	सचिवालय	1,66,000	—
10	जिला प्रशासन	79,000	2,90,000
11	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	1,91,000	—
12	पुलिस	12,66,000	—
13	जेलें	1,23,000	—
14	लेखन सामग्री और मुद्रण . . .	1,14,000	—
15	विविध प्रशासनिक सामान्य सेवाएं . .	14,000	—
16	सेवानिवृत्ति फायदे . .	14,49,000	—
17	लोक निर्माण	4,61,000	11,52,000
18	शिक्षा	57,66,000	5,000
19	चिकित्सा .	66,33,000	—
20	सूचना और प्रचार . .	92,000	—
21	श्रम और रोजगार . .	2,81,000	—
22	समाज कल्याण . .	11,69,000	—
23	सहकारिता	88,000	3,78,000

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
25	कृषि	3,77,000	—
26	पशु पालन	—	1,40,000
28	सामुदायिक विकास . . .	4,83,000	—
29	उद्योग	—	59,000
30	खादय और पोषण . .	88,000	—
31	विद्युत	4,83,000	12,88,000
32	पत्तन और नौ-चालन . . .	12,000	—

पॉण्डिचेरी विनियोग विधेयक, 1976
PONDICHERRY APPROPRIATION BILL, 1976

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं "कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये पांण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करते वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं

"मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1975–76 की सेवाओं के लिये पाण्डिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 2 और 3 अनुसूची खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the schedule, Clause 1 the enacting formula and the title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी: मैं प्रस्ताव करती हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड (रिफ्रैक्टरी संयंत्र का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक

ASSAM SILLIMANITE LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF REFRACTORY PLANT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम रिफ्रैक्टरी संयंत्र के सम्बन्ध में आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार करेंगे।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव): मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि रिफ्रैक्टरी संयंत्र के सम्बन्ध में आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड को उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत जनवरी, 1960 में 1,46,000 टन प्रति वर्ष की कुल उत्पादन क्षमता के लिए एक रिफ्रैक्टरी संयंत्र स्थापित करनेहेतु लाइसेंस प्रदानकिया गया था। इससंयंत्र कोयहउत्पादनदो चरणोंमें पूरा करना है। प्रथम चरण में इसका लक्ष्य 29,000टन तथा दूसरे चरण में 17,000 टन का उत्पादन करना है।

डिजाइन तैयार करने, रिफ्रैक्टरी संयंत्र को चालू करने, भारतीय लोगों को तकनीकी जानकारी तथा विशेष प्रशिक्षण देने के लिए इस कम्पनी ने पश्चिम जर्मनी की एक फर्म के साथ तकनीकी सहयोग का समझौता किया । संयंत्र तथा तकनीकी का आयात भी पश्चिम जर्मनी से किया गया है और उसके मूल्य का भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋण में से किया गया है। किन्तु दुर्भाग्यवश अभी कम्पनी ने उसका प्रथम चरण भी पूरा नहीं किया है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण कार्य रुक गया है। जनवरी, 1960 में दिए गए लाइसेंसों के बाद पिछले 15 वर्षों में वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं किया गया है। भली प्रकारसे कार्य न करने परयहसंयंत्र 28 जून, 1972 को बन्द करदिया गया जिससे 200 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इसकी देनदारी बहुत है और इसकी सम्पत्ति गिरवी पड़ी है। प्रबन्धकों के पास फिर से उत्पादन शुरू करने के लिए आवश्यक वित्त नहीं है। इन परिस्थितियों में सरकार ने औद्योगिक अधिनियम के अन्तर्गत 3 वर्ष के लिए इसका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया और बाद में इसे 2 नवम्बर, 1976 तक बढ़ा दिया गया।

आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड को हाथ में लेने के पीछे सरकार का उद्देश्य उपलब्ध उपकरणों का उपयोग कर रिफ्रैक्टरी का उत्पादन बढ़ाना और इस प्रकार के परिवर्तन करना है जिससे उच्च कोटी का 30,000 मी० टन एलुमिना और विशेष प्रकार की रिफ्रैक्टरी का निर्माण सुनिश्चित हो सके। इससे अधिक लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे इस प्रकार रिफ्रैक्टरी का आयात काफी हद तक कम होगा। फिर हम संयंत्र को भलीभांति और लाभकारी ढंग से चलाना चाहते हैं और कर्मचारियों को अन्य उपक्रमों के समान सुविधाए देना चाहते हैं।

अतः कम्पनी को 107.17 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्णय किया गया। इसके अतिरिक्त कम्पनी को प्रति माह 2,500 रुपये की दर से 2 नवम्बर, 1972 से मुआवजा भी दिया जायेगा।

कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये विधेयक में कर्मचारियों की भविष्य निधि, पेंशन और अन्य निधि तथा बकाया राशि के भुगतान को सर्वोपरिप्राथमिकता दिए जाने उपबन्ध किया जाना है। हम विधेयक में कर्मचारियों के दावों को उच्च प्राथमिकतादेने का उपलब्ध कर रहे है। और आयुक्त द्वारा किये जाने वाले भुगतानोंमें कम्पनी की सम्पत्ति में से सबसे पहले इनका भुगतान होगा।

दूसरी प्राथमिकता ऋण दाताओं को दी जायेगी। सरकार के प्रबन्ध कालमें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 45 लाख टन रुपये मुख्यत कार्य पूंजीके रूप में दिए। यह दायित्व सरकार ने उठाया। सरकार द्वारा प्रबन्ध अपने हाथ मेंलेते के बाद कर्मचारियों के वेतन और अन्य राशियों की अदायगी का दायित्व भी सरकारने अपने ऊपर ले लिया है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि इस संयंत्र की एक कम्पनी बनाई जाये।इस कम्पनी ने सरकारी पैसे का ही नहीं वरन् अंशधारियों के पैसे का भी

गोलमाल किया है। किन्तु कम्पनी के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही करने की बजाय सरकार उसे 2,000 रुपये की दर से प्रति माह मुआवजा देते जा रही है। सरकार बर्न एंड कम्पनी के रिफ्रैक्टरी संयंत्र का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं करती? वे भी उसी तरह गोल-माल कर रहे हैं किन्तु उनके विरुद्ध किसी तरह की भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रबन्धक कर्मचारियों, अंशधारियों तथा अन्य लोगों के साथ धोखा बाजी न करे। हम यह जानना चाहते है कि इससंयंत्र को पूरी तरह चालू करने में कितना समय लगेगा? मंत्री महोदय ने इस कार्य को कई चरणों में करने का कार्यक्रम अपनाया है। किन्तु हम चाहते हैं कि वह इसके लिए समय बद्ध कार्यक्रम के अनुसार कार्य करें। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि देश अनेकानेक रिफ्रैक्टरियां में से कितनी रिफ्रैक्टरियों को सरकार अपने हाथ में लेगी और कितनी निजी क्षेत्र में रहेंगी? बर्न एंड कम्पनी सहित रिफ्रैक्टरियो के मालिकों के विरुद्ध कठोर कदम उठाये जाने चाहिएं।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad): This Bill to take over Assam Sillimanite Ltd. is a welcome measure. This Company has been acquired under the Industrial Development and Regulation Act in November. 1972 and it had been under the management of Hindustan Steel Ltd. This Company has not done anything even to complete the first phase of their production Plan. Government have now completed the first stage and they have set up a good standard in according first priority to the settlement of workers dues.

The amount of Compensation to be paid to Company as proposed in the Bill, is on the high side. It would have been better if Government would have taken the Assam Sillimanite Ltd. in to to instead of only providing for transfer and acquisition of refractory plant. This company has misused the money of Shareholders. Government Should have taken over even those sillimanite mines which are in Assam and Bihar.

This company could not complete even the first phase of their production programme till 1972 while it was granted licence in June. 1960. It had not even maintained any account for the period 1960 to 1968 and still it is taking loans from Banks and State Government. The Minister should state who are their creditors and what steps have been taken by Government to take over Sillimanite mines in Meghalaya.

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : मैं इस विधेयक का, जिसके द्वारा आसाम सिलीमेनाइट लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, पूर्ण समर्थन करता हूं। इस रिफ्रैक्टरी के अधिग्रहण से सरकार रिफ्रैक्टरियों के उत्पादन हेतु कोई कार्यक्रम बनाएगी और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण अपनायेगी। कम्पनी को दिया जाने वाला मुआवजा यद्यपि अधिक है, फिर भी हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि रिफ्रैक्टरियों के आयात पर हमें अधिक धन व्यय करना पड़ेगा।

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए]

(Shri Vasant Sathe in the Chair.)

अतः केवल खानों का अधिग्रहण ही नहीं किया जाना चाहिए अपितु कुछ किस्म की होल्डिंग कम्पनियां भी बनाई जानी चाहिए जो कि केनाइट खानों का भी अधिग्रहण कर सकें क्योंकि हाई एल्युमिना रिफ्रैक्टरियों के लिए केनाइट और सिलीमेनाइट आधार भूत कच्चो सामग्री है। हमें केनाइट और सिलीमेनाइट के निर्यात को रोकना होगा क्योंकि यह दुलर्भ आधार भूत सामग्री है। विदेशी मुद्रा कमाने के लालच में भी हमें इसका निर्यात नहीं करना चाहिए।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर): केन्द्रीय सरकार द्वारा रिफ्रैक्टरी संयंत्र का प्रबन्ध पहले तीन वर्षों के लिए और तदुपरांत एक वर्ष के लिए अपने हाथ में लिया गया। समझ में नहीं आता कि सरकार ने सीधे ही इस कम्पनी का अधिग्रहण क्यों नहीं कर लिया जबकि उस समय यह स्पष्ट हो गया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र का पहले वाला प्रबन्धक वर्ग संयंत्र दूसरे चरण को ठीक समय पर पूरा करने में असफल रहा। इस अनावश्यक विलम्ब के क्या कारण हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र में अब केवल एक इस्पात संयंत्र रह गया है। उसे भी सरकार को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए।

संविधान में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है कि यदि सरकार किसी संयंत्र को राष्ट्रीय हित में अपने अधिकार में लेती है तो उसे मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं। सरकार सांकेतिक राशि के रूप में एक रुपया दे सकती है। समझ में नहीं आता कि इस कम्पनी को 1,53,00,000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं।

रिफ्रैक्टरी संयंत्र में समुचित सुधार तथा उसके दूसरे चरण को पूरा करने के लिए 6 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और यदि दूसरे चरण को शीघ्र पूरा न किया गया तो फिर इस पर व्यय 6 करोड़ से भी अधिक होगा। क्योंकि निर्माण लागत विभिन्न कारणों से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है विधेयक में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि विधयक अनियमित कर लिया जाये तो इस पर किसी भी किस्म का आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय होने की संभावना नहीं है। कोई भी ऐसे संयंत्रों के खर्च के बारे गारंटी नहीं दे सकता। रिफ्रैक्टरी के दूसरे चरण के लिए 6 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि में सरकार को वृद्धि करनी पड़ेगी।

विधेयक में वेतन पर एक आयुक्त नियुक्त करने का उपबन्ध किया गया है। इस हेतु 10,000 रुपये प्रति माह की व्यवस्था की गई है। मंत्री महोदय हमें बताएं कि इतना धन कहां से आयेगा।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Mr. Chairman, M/s. Assam Sillimanite Limited. to whom a licence was granted to set up a refractory plant has failed to erect the plant. Only a pilot refractory plant was started but even this was closed down by the Company throwing more than two hundred workers out of employment. The Minister should tell the House the criteria which were kept in view while giving a licence to such a company which has let down the country.

Since the Refractory Plant has been taken out by the Central Government. it has been functioning well, for which the Minister deserves congratulations. It is heartening to note that the Bill contains provisions which safeguard the interests of workers and officials who are engaged in the task of production.

The Bill proposes some compensation to be given to the Company. Such a company which has harmed the interests of the country should not be given compensation. Apart from this the Bill also provides for payment of 4 per cent interest on the amount due to the company. No Compensation or interest need be paid to the company. As a matter of fact the Government will need a lot of money for the proper functioning of the Refractory Plant.

The provision for the appointment of a Commissioner to protect the interests of workers is welcome. The workers would be in a position to put forth their grievances before the Commissioner. I wholeheartedly welcome the Bill as it will help the country in increasing its steel production.

Shri Damodar Panday (Hazaribagh) The mining lease was given to the company so that it could set up a refractory plant and run it properly. If the mining lease is left with the company it would be a great injustice to the country and the refractory plant which has been taken over. The mining lease should also be taken over.

It is gratifying that the Bill contains certain provisions to protect the interests of workers. But there is no provision relating to the period of service of employees before the take-over. The service after the take-over should be treated in continuation of the service before the take-over.

The Provident Fund money of the workers due from the company has not been made the first charge. The workers would be put to great loss on this account. A provision should be made to make the Provident Fund money as a first charge.

Private companies take loans worth crores of rupees from Banks and other Government institutions to set up a factory or a plant. They make use of this money for purposes other than those for which it is meant. They mismanage the units and then Government have to take over those units and pay compensation to them. The Government should give a serious thought to the question of take-over of the assets of such companies, who amass wealth through illegal means. A provision should be made in the Bill to take-over the ill-gotten wealth from the management of the Assam Sillimenite Company.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) The Bill makes a provision for payment of compensation and interest to the company. This will amount to rewarding the company for its misdeeds. No compensation or interest should be paid to the company.

There should not be any break in the service of the employees. Their service after the take-over should be treated in cotinuation of their earlier service. The period for which the refractory plant was closed down should not be treated as a break in the service of the employees.

The provident fund and other dues of the workers should be paid out of the compensation money. It is essential to safeguard the interests of the workers.

The company has acted against the interests of the country. It should be suitably punished.

[श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए
Shri Ishaque Sanbhali *In the chair.*]

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad): The Government had to take over this company because it was mis-managed. As a result of the take-over, the Government would not only be paying compensation to the company but would also take the responsibility for liabilities of the company. An inquiry should be made to find out as to who was responsible for the mismanagement of the company.

The company has swallowed even the Provident Fund of the workers. The Minister should tell the House as to what action is proposed to be taken in this regard.

As regards the question of payment of compensation to the company, the Government should first pay off the liabilities out of compensation money. If any amountis left after meeting the expenditure on liabilities that should be paid to the company. If the liabilities are more than the compensation money, the company should be asked to pay the excess money to meet those liabilities.

The Minister of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav): There is great need of refractories for our steel plants. It will be Government's endeavour to produce refractories in our own country according to our requirements. We will continue our efforts to set up more and more refractory plants in the public sector.

It has been asked as to why the Government is not nationalising the company. Perhaps the real position is not being understood. The Government is completely taking over the plant which will be run in the public sector.

It has been said that a big amount is being paid. The fact is this that major portion of this money will go to the Bihar Government and nationalised banks. OutofRs. 107·17 lakhs we are going to pay Rs. 7 lakhs 3 thousands to workers. First priority will be given to the dues of workers. We have to pay to workers their salaries, provident fund and other dues. The second

[Shri Chandrajit Yadav]

priority will be to the secured loans. Rs. 70 lakhs 15 thousands will be given to the Punjab National Bank, Rs. 6·21 lakhs to the State Bank of India and Rs. 23 lakhs 78 thousands to Bihar Government. Only Rs. 1 lakh will be paid to the management in the form of compen sation.

It has been asked as to why mines are not being taken over. Mines are the property of State Governments and they give them on lease. The lease of the mine which has been given to the company, has been cancelled and it has now been given to the Hindustan Steels for 20 years. We have not taken over those machines of the company which we do not require No. compensation is being paid for this.

We have paid all attention to protect the interest of workers. An effort has also been made to improve the pay scales of workers. It will be the endeavour of Government to provide all necessary facilities to workers, who are helping the country in increasing production.

With these words I hope that the House will pass this Bill.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार): यह अफ़वाह है कि सम्बन्धित व्यक्तियोंने पहले ही यह घोटाला सोचा हुआ था और सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा बहुत अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है या नहीं?

श्री चन्द्रजीत यादव: जो राशि हम दे रहे हैं वह वास्तव में मुआवजा नहीं है। पहली प्राथमिकता मजदूरों को देय राशि को दी जायेगी और यह लगभग 7 लाख रुपये है। हमें मजदूरोंको उनकी भविष्य निधि, वेतन और अन्य भुगतान करना है। दूसरी चीज 'सिक्योर्ड ऋण' की है जिस के बारे में मैंने आंकड़े दे दिये हैं। कुछ ऋण अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के हैं।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि रिफैक्ट्री संयंत्र के संबंध में आसाम सिलिमेनाइट लिमिटेड के अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने और उनसे सम्बद्ध या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय: अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। खण्ड 2 से 8 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 9

Clause 9

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10 और 11

Clauses 10 and 11

सभापति महोदय : खण्ड 10 और 11 पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 और 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

खण्ड 12

Clause 12

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was dopted.

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12 was added to the Bill.

खण्ड 13

Clause 13

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13 was added to the Bill.

खण्ड 14 और 15 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 14 and 15 were added to the Bill.

खण्ड 16

Clause 16

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motionwas adopted.

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 16 was added to the Bill.

खण्ड 17 से 30 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 17 to 30 were added to the Bill.

खण्ड 1

Clause 1

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक म जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

The Enacting Formula.

सभापति महोदय : इस पर एक सरकारी संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 5--"छब्बीसवें" [Twenty Sixth] के स्थान पर "सताइसवें" [Twenty Seventh] प्रतिस्थापित किया जाये । (29) (चन्द्रजीत यादव)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion wasadopted.

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

The Enacting Formula,as amended, was added to the Bill.

प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दिल्ली भाटक नियंत्रण अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. DISAPPROVAL OF DELHI RENT CONTROL ORDINANCE AND DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 24) का निरनुमोदन करती है ।".

सरकार ने उद्देश्य और कारण सम्बन्धी वक्तव्य में यह दावा किया है कि कुछ लोगों को, जिन्हें वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत मकान से निकालने के सम्बन्ध में कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी,

अब कुछ सुरक्षा प्रदान की जा रही है । लोग लम्बे अरसे से इसकी मांग कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किरायेदार की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों सहित उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को मकान से निकाला जा सकता है । किरायेदार की मृत्यु के बाद उन्हें मकान में रहने का कोई अधिकार नहीं है । खण्ड 2 में कुछ ऐसी श्रेणी के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो मृतक के साथ हुए किराये के करार के समाप्त होने पर भी उसी मकान में रह सकते हैं, बशर्ते कि वे उसकी मृत्यु तक उस मकान में रह रहे थे। इस संशोधित विधेयक का विरोध करने का मेरा कारण यह है कि इसमें जिन संरक्षणों का उपबन्ध किये जाने का दावा किया गया है, वे कुछ उपबन्धों से समाप्त हो जाते हैं और अन्त में किरायेदार की बजाय लाभ मालिक मकान को ही होगा ।

देश के सभी महानगरों में आवास समस्या गम्भीर हो गई है । आवास की कमी के कारण मालिक मकान मनमानी शर्तें लगा रहे हैं । ऐसे किसी भी विधेयक पर देश के नगरों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखे बिना विचार नहीं किया जा सकता । सरकार को उन सैंकड़ों किरायेदारों की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए जो पूर्णतः मकान मालिकों की दया पर निर्भर है तथा उनके सामने सभी शर्तों को मानने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं है ।

विधेयक के स्पष्टीकरण 2 में कहा गया है कि यदि अभिधृति की समाप्ति के पश्चात् उत्तराधिकार द्वारा कब्जा बनाए रखने का अधिकार अर्जित करने वाला व्यक्ति मृत व्यक्ति की मृत्यु की तारीख को उस पर आर्थिक रूप से आश्रित नहीं था । तो ऐसा उत्तराधिकारी एक वर्ष की सीमित अवधि के लिये ऐसा अधिकार अर्जित करेगा और उस अवधि की समाप्ति अथवा उस की मृत्यु हो जाने पर इनमें से जो भी पहले हो अभिधृति की समाप्ति के पश्चात् कब्जा बनाए रखने का ऐसे उत्तराधिकारी का अधिकार निर्वापित हो जायेगा ।

इस का क्या अर्थ हुआ? यदि मैं किरायेदार हूं और मेरी मृत्यु हो जाती है; तो मेरी विधवा को, यदि वह कहीं नौकरी करती है, मेरे पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं समझा जायेगा तथा मेरे मृत्यु के एक वर्ष बाद उसका कब्जा रखने का अधिकार समाप्त हो जाएगा । दिल्ली में ऐसे बहुत से मामले हैं जिन में पति पत्नी दोनों कमाते हैं। ऐसे भी मामले है, जिनमें पति, जिस के नाम में किरायानामा है कोई आय नहीं होती । मगर उस की पत्नी कमाती हो/यदि पति-पत्नी में से कोई जीवित न रहे, तो बेटा कमाने वाला हो सकता है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार-जीवित पति या पत्नी अथवा पुत्र का मकान को रखने का अधिकार एक वर्ष के बाद समाप्त हो जायेगा और एक वर्ष के बाद उन्हें बिना किसी कसूर के निकाल दिया जायेगा । यह अनुचित है ।

विधेयक का दूसरा भाग भूस्वामी के अधिकारों से सम्बन्धित है । विधेयक के उद्देश्य और कारण सम्बन्धी विवरण में यह बताया गया है कि मकान मालिक को अपने उपयोग के लिये मकान की आवश्यकता होने पर उसे खाली कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए । मालिक मकान की आवश्यकता कुछ मामलों में उचित हो सकती है, जैसाकि यदि केन्द्रीय सरकार ने किसी कर्मचारी को आवास दे रखा है और उस का दिल्ली में मकान है, तो केन्द्रीय सरकार उसे

सरकारी आवास खाली करने को कह सकती है। ऐसी हालत में उसे मकान खाली कराने का वैध अधिकार है जो उस ने अन्य व्यक्ति को किराये पर दे रखा है । यह उपबन्ध एक प्रकार से सरकार ने केवल अपनी सुविधा के लिए किया है । सरकार चाहती है कि सरकारी मकान खाली हो जायें। परन्तु इस बात पर मानवीय दृष्टि से विचार नहीं किया गया कि उन व्यक्तियों का क्या होगा, जो सरकारी कर्मचारियों के मकानों में किराये पर रह रहे हैं।

उद्देश्य और कारण सम्बन्धी विवरण में व्यक्तिगत आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। विधेयक में केन्द्रीय सरकार के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों का, जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं, उल्लेख किये जाने के अतिरिक्त और किसी मकान मालिक का उल्लेख नहीं किया गया है। उस सामान्य मामले में क्या होगा जहां मालिक मकान सदभाविक आवश्यकता का बहाना करता है जबकि वास्तव में उस का उद्देश्य कोई और होता है। हो सकता है कि मालिक मकान अपने मकान, को खाली कराने के बाद कुछ समय के लिए दिखावे के रूप मे उस में रहने के बाद फ़िर उसे अधिक किराये पर किसी अन्य व्यक्ति को दे दे । विधेयक में व्यक्तिगत आवश्यकता की कोई व्याख्या नहीं है ।

विधेयक की तीसरी अनुसूची के अनुसार उक्त अनुसूची में उल्लिखित समन भेजे जाने के 15 दिन के अन्दर नियंत्रक के सामने किरायेदार को पेश होने को कहा गया है तथा ऐसा करने में असफ़ल रहने पर प्रार्थी उस मकान के खाली कराने का आदेश प्राप्त कर सकता है । यह बहुत ही अनुचित उपबन्ध है। मान लो किरायेदार दिल्ली में नहीं है, वह किसी कार्यवश अथवा छुटटी पर दिल्ली से बाहर गया है और नियंत्रक के सामने पेश नहीं हो सकता । ऐसी स्थिति में मकान मालिक मकान खाली कराने का आदेश प्राप्त कर सकता है। यह उपबन्ध बहुत कड़ा है। किरायेदार को नियंत्रक के समक्ष पेश होने के लिए समुचित समय दिया जाना चाहिए।

सरकार दिल्ली नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने के लिए कई वर्षों के बाद विधेयक लाई है। हम आशा करते हैं कि सरकार एक व्यापक विधेयक लायेगी, जिससे साधारण मध्य श्रेणी तथा निम्नश्रेणी के किरायेदारों को राहत मिलेगी । परन्तु वर्तमान विधेयक में किरायेदारों को कोई राहत नही दी गई है। विधेयक के सारे उपबन्ध मालिक मकानों के पक्ष में हैं। इस लिए मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है, कि विधेयक का निरनुमोदन किया जाये।

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत): मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 को संशोधित करने का प्रश्न काफ़ी समय से विचाराधीन था । सरकार संसद के अगले सत्र में इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। फ़िलहाल मृत कानूनी किरायेदारों के उत्तराधिकारियों के कुछ वर्गों को किरायेदारी का अधिकार प्रदान करने, ताकि उन्हें मालिक मकानों की बेदखली से बचाया

जा सके और इस मामले में जब कि मालिक मकान को उस आवास की अवश्यकता अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए हो, किरायेदार के बेदखल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु तथा 9 सितम्बर, 1975 के इस सरकारी निर्णय को ध्यान में रखकर कि जिस व्यक्ति के पास अपना मकान हो उसे सरकारी आवास 31 दिसम्बर, तक खाली करना होगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर सरकार ने विचार किया कि ऐसी परिस्थितियों में अधिनियम में तत्काल संशोधन करने की अवश्कता है। इस मामले में दिल्ली में संसद सदस्यों के साथ भी बातचीत की गई तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस मामले पर तत्काल विचार किया जाए, ताकि उनलोगों को राहत दिलाई जा सके, जिन के विरुद्ध न्यायालयों में बेदखली सम्बन्धी कार्यवाही चल रही है।

चूंकि संसद का सत्र नहीं हो रहा था, इस लिए 1 दिसम्बर, 1975 को दिल्ली भाटक नियंत्रण संशोधन अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य अध्यादेश का स्थान लेना है।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में, विचार किया जाये।"

***श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** (ग्रौस ग्राम) : सभापति महोदय मैं दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1976 का विरोध करता हूं तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त के संकल्प का पूर्ण समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि यदि वर्तमान विधेयक का नाम बदल कर दिल्ली किराया वृद्धि तथा किरायेदार बेदखली विधेयक रखा जाए, तो अधिक बेहतर होगा, क्योंकि यह विधेयक किरायेदारों के हितों के विरुद्ध है। इस से केवल मकान मालिक लाभान्वित होंगे। मुझे खेद है कि सरकार किरायेदारों के हितों की रक्षा करने की बजाये, मकान मालिकों की हित सिद्धि कर रही है। यह विधेयक सर्वथा अनुचित है। अतः मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और एक व्यापक विधेयक पेश करें, जिस केद्वारा किरायेदारों के हितों की रक्षा हो सके।

इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि यदि मृत किरायेदार के उत्तराधिकारी की अपनी आय है, तो उसे एक वर्ष के अन्दर मकान से बेदखल किया जा सकता है। देश के सब बड़े नगरों में, जिन में दिल्ली भी शामिल है, आवास की समस्या बहुत गम्भीर है। इस उपबन्ध से कमजोर वर्ग के हजारों रोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। विधेयक में यह भी उपबन्ध किया गया है कि सरकारी कर्मचारी को अपना व्यक्तिगत मकान तत्काल खाली कराने में सरकार सहायता देगी। इस उपबन्ध के परिणामस्व प हजारों लोगों को इस समय जहां रह रहे हैं, वहां से हटा दिये जायेंगे। उन्हें अन्यत्र जगह देने के प्रश्न पर कोई विचार नहीं किया गया है।

विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि सम्न जारी करने के 15 दिनों के अन्दर किरायेदार नियंत्रक के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो एकतरफ़ा निर्णय दे दिया जायेगा। और उसे उस मकान से बेदखल कर दिया जायेगा। यह उपबन्ध अनुचित है। सरकार एक

*मूल बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

ओर तो 20 सूत्री कार्यक्रम के दौरान कमजोर वर्गों की सहायता का दावा कर रही है और दूसरीओर ऐसे उपबन्ध कर रही है जो कमजोर वर्गों के हितों के विरुद्ध है। इस लिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह विधेयक को वापस ले लें ।

Shri Shashi Bhushan : (South Delhi): The hon. Minister has himself admitted that it is not a comprehenisve billand the Government proposes to bring a comprehensive billin the next session. If that so, what was the necessity of bringing this truncated bill ? There are lakhs oftenants in Delhi, who have been waiting for longtime that Government would bring the billfor safeguarding their interests. But the present bill is against their interests andit would have been appropriate ifthe title ofthe Bill is changed to Landlords Benefit Bill.

The position is that Government accommodation is allotted to the son or daughter of a Government servant on compassionate grounds, in case a Government servant in possession of Government accommodation dies while in service and his son or duaghter is in Government employment. It is surprising that Government allots accommodation to the successors of their tenants but the tenants of private landlords are being deprived oftheir tenancy rights in case the successor of the tenant happens to be in employment. Moreover there are hardly four to five thousand Government employees in Delhi for whomthis Billhas been brought here, but thousands of other landlords in Delhi willtake benefit of this legislation.

There is no provision in the Billto punish the landlords who get their premises evicted and then rent them out on higher rent again. It will be better if an affidavit is obtained from the landlord that he willhimself live in the premises. Landlords who misuse this facility should be arrested under MISA. There is no provision to this effect in the Bill. The bill does not serve the interests oftenants. It shouldeither be referred to Select Committee or withdrawn so that a comprehensive measure could be brought here. The measure is agairst the 20-point programme announced by the Prime Minister. There is no necessity ofthis Billat present.

Shri Ishaque Sambhli (Amroha): Iamin fullagreement with the points made by my hon. friend Shri Inderjit Gupta, but I do not want to take the time of the House. by repeating them. It is surprising that this Billhas been brought by my hon. friend Shri H. K. L. Bhagat. who is considered as a most progressive person. The billis pro-landlords and anti-tenants. It will not be wrong to say that this Billis a bill for landlords and a conspiracy of D.D.A. and the landlords against the tenants. There is no sense in reducing the period allowed to a tenant even after the eviction from six months to two months. Under the amending Bill,the maximum period allowed to heirs of a tenant to continue has been reduced to one year. It is not fair.

Thereis no provision in the bill for imposing ceiling on rent. The bill does not protect the interests of smalltenants, whose number runs intolakhs and who are in great difficulty. It is against theirinterests. This bill should be withdrawn and protection should be given to those who will be evicted under this ordinance.

I support the Resolution moved by Shri Inderjit Gupta.

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी (जालौर) : दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक दिल्ली भाटक नियंत्रण, अधिनियम 1958 का संशोधन करने के लिए लाया गया है। हाल में यह निर्णय किया गया था कि उन सरकारी कर्मचारियों को जिनके दिल्ली में अपने मकान हैं, सरकारी मकान खाली कर देने चाहिएं और अपने मकानों में चला जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसी सीमित उद्देश्य के लिए यह विधेयक लाया गया है ।

श्री शशि भूषण तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत सराहनीय बातें कहीं हैं तथा उनके कथन का खण्डन करना सम्भव नहीं हैं। वस्तुत : इस अधिनियम में कि किरायेदार की मृत्यु होने

पर उस केउत्तराधिकारियों के अधिकार की रक्षा करना है। मूल दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि किरायेदार की मृत्यु के बाद उस के उत्तराधिकारियों को स्वयं ही किरायादारी अधिकार प्राप्त हो जायेगा, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया कि किरायदार की मृत्यु के बाद उस के उत्तराधिकारियों को किरायेदारी का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के इस प्रभावको दूर करने के लिए यह विधेयक लाया गया है।

इस विधेयक में इस आशय का एक उपबन्ध है कि यदि अश्रित आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, केवल तभी उसे किरायेदारी का अधिकार प्राप्तहोगा। परन्तु प्रश्न यह है कि 'आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर' 'शब्दावलीकाअर्थ क्या है? यदि किसी किरायेदार की मासिक आय 1000 रुपए हैतथा उसके उत्तराधिकारी की मासिक आय केवल 200 रुपये है, तोउस किरायेदार की मृत्यु हो जाने पर उस के उत्तराधिकारी को आर्थिकरूपसे आत्मनिर्भर न समझा जायेगा और उसे किरायेदारी के अधिकार प्राप्त नहींहोगे। परन्तुक्या इतनी कम आय वाले के लिए यह संभव है कि वहअन्यत्र मकान किरायेपर ले सकें। अतः इसविधेयक से उन वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं हो सकती, जिन कीप्राप्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को खण्डित किया गया है। इस मामले में व्यापक रूप से कुछ किया जाना चाहिए।

विधेयक में कहा गया है कि चूंकि कुछ अधिकारियों को अब सरकारी आवास छोड़ कर अपने मकानों में जाना है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है। जिससेवे अपने मकान जल्दी खाली करा सकें। अबचूंकि विधेयक में एक विशेष तबदीली की जा रही है इसलिए इस बात का निर्णय लियाजाना चाहिए कि आगे उन सरकारी कर्मचारियों को जिनके अपने मकान हैं,सरकारी क्वाटर नहींदिए जायेंगे औरसरकारी क्वार्टर केवलउन्हीं लोगों को मिलेंग, जिनके पास अपने मकान नहीं हैं।

बिधेयक में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। परन्तु इन आमूल परिवर्तनों के लाने के लिए हमें थोड़ी उदारता से काम लेनाचाहिए। 15 दिन के भीतर प्रमाण पत्र अथवा विवरण देना संभव नहीं है। इन मामलों की जांच की जानी चाहिए। इस योजना को क्रियान्वित करते समय हमें मानवीयदृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मंत्री महोदय को इन सब बातों को ध्यान में रख कर एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बैतूल) :हमारी समझमेंयह बात नहींआती कि यदिकिसी किरायेदार के बच्चे और पत्नी तथा अन्य लोग उनकी मृत्यु के बाद आर्थिकदृष्टि से उस परनिर्भर नहींहोंगे तो उनकी किरायेदारी कानूनी तौरपर समाप्त कर दी जायेगी। आज किरायेदार की मत्यु के पश्चात् उसके बच्चे कम से कम पांच या दस वर्षों तक मुकदमा तोचला सकते हैं और तब तक वे कहीं न कहीं कोई मकान ढूंढ लेते हैं। अब ऐसा उपबंध है कि वे एक वर्ष की अवधि के पश्चात् अतिक्रमणकर्ता समझे जायेंगे। सरकार यह उपबंध कर सकती थी कि भाटक पर पुनर्विचार करके या कुछ अन्य शर्तों को ध्यान में रखकर किरायेदारी उत्तराधिकारी के हाथ में अनवरत रूप से रहे। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक किरायेदारों के साथ घोर अन्याय होगा।

प्रस्तावित धारा 14क अवश्य ही भेदभावपूर्ण सिद्ध होगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जिन सरकारी कर्मचारियों का अपना मकान भी है और उन्हें सरकारी क्वाटर भी प्राप्त हैं, वे दोनों पर अधिकार न जमाये बैठ। अत: जिन्होंने अपने मकान किराये पर दे रखे हैं और सरकारी क्वाटरों में रह रहे हैं, उन पर यह विधान लागू होना चाहिये। किन्तु उन अधिकांश गरीब लोगों का क्या होगा जो सरकारी मकानों में रह रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि सरकारी कर्मचारी से कहा जाये कि वह बाजार दर पर किराया दे और मकान अपने ही पास रहने दे। उसे यह कह देना चाहिये कि यदि वह बाजार दर पर किराया नहीं देना चाहता तो वह मकान खाली कर दे और अन्यत्र कहीं रह ले।

Shri Shivnath Singh (Jhunhunu): The Government has rightly decided that Government Officers having their own houses should vacate the Government acccmmcdation. Such Officers have routedtheir houses on very high rent whereas they have to pay comparatively meagre rent forthe government accommodation theyare occupying. Therefore, it is a decision in the right direction.

This Billhas provided for four category of family members who can live in the house in order of precedence after the death ofthe tenant. This provision is very controversial andshould not be there in the Bill.

It will be unfortunate if we try to protect government officers, especially those who have rented their houses.

Shri Shashi Bhushan: I oppose the facilities given under this bill to the house-owners for getting the vacation of the houses.

Shri M. C.Daga (Pali): We should try to understand the purpose of the Bill. There is a provision for the eviction of government servant. Ithink that this provision should remain andthe High Courts can also gointo the aspects referred to by Shri Inderjit Gupta.

I think that this bill should also be applied to the M.Ps. and Ministers. They have also rented their houses. Many Ministers and M.Ps. have rented their own houses and are living in the government accommodation. The Minister for Parliamentary Affairs should pay necessary attention towards this. They have also sublet the accommodation under their occupation.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon): There should be no general remark like that.

उन्हें यदि किसी विशेष संसद् सदस्य के बारे में जानकारी है, तो उन्हें कहना चाहिये। यह कहना बहुत गलत है कि संसद् सदस्य अपने क्वाटरों को बाहर जाने पर किराये पर दे देते हैं।

Shri M. C. Daga: Being the chairman ofthe House Committee, hon. member should not try to defend himself.

Shri R. S. Pandey: I have not sublet many house.

यदि कोई ठोस सूचना न हो तो संसद् सदस्यों को बेईमान न समझें।

Shri. M G. Dagga: What I meant is that all those who sublet their servant quarters and garrages should not be allowed to do so.

Shri R. S. Pandey: The Bill has provided for the vacation of government accommodation by those who have rented their own house. Spirit of that Bill is applicable but government should not at the same time harass the tenantslivingin the houses of the Government employees. Eviction of those tenants should not have been provided in this Bill. The only thing government

should have done was toasksuch government servants to vacate government accommodation. They had been charging high rents for their houses and paying comparatively very meagre rent for the government accommodation under their occupation.

It is also providedin the billthat house owner can evict the tenant in case he does not receive the notice or the same is not served on him within 15 days. Itis clearinjustice.

This bill seems to have been brought forward hurriedly and Bill seems to have been thrusted upon the hon. Minister who has a soft corner for the poor.

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : जिन माननीय सदस्यों ने दिल्ली के किरायेदारों के लिये सहानुभूति प्रकट की है, मैं उनका आभारी हूं। सरकार भी दिल्ली के किरायेदारों के हितों के प्रति पूर्णत: सहानुभूति रखती है।

केवल वैधानिक किरायेदारों पर ही यह विधेयक लागू होगा, इकरारनामे के आधार पर बने किरायेदारों पर नहीं होगा। यह धारणा कि इस विधेयक से मकान मालिकों को सहायता मिलेगी, गलत है। यह विधेयक किसी किरायेदार के वारिसों को संरक्षण देने की दिशा में एक कदम है।

यह विधेयक उन मामलों पर भी लागू होगा जहां किरायेदार के विरुद्ध कुर्की पास हो गई हैलेकिन उसने कब्जा नहीं दिया है तो वह किरायेदार अदालत में जाकर कब्जा मांग सकता है। इसतरहइससेबहुतसेलोगोंकोलाभ होगा। इस विधेयक में एकबातबहुत विचित्र है। कुछ परिस्थितियों में पुत्रबधु को भी यह सुविधा दी गई है जो किसी और कानून में नहीं है।

यहभी कहा गया है कि अदालतों में 60,000 मामलेविचाराधीन पड़े हैं और इस अध्यादेश केजारीहोने केबाद तोहजारों किरायेदार पहलेही बेदखल कर दिए गए हैं। यहबात सही नहीं है। विभिन्न न्यायाधिकरणोंमें 31 अक्तूबर, 1975 तक बेदखली के कुल 4,659 मामले अनिर्णीत थे। भाटक नियंत्रण न्यायाधिकरण के पास इस तिथि तक कुल 1,182 मामले अनिर्णीत पड़े थे।

विधेयक न तो सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध बनाया गया है और न ही इससे सरकार को कोई लाभ होने वाला है। इस विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत खाली कराया गया प्रत्येक मकान दूसरे सरकारी कर्मचारी को आवंटित किया जायेगा जो सरकारी क्वाटर के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा मेंथा। एक सरकारी कर्मचारीसेखालीकराये गए मकान से दूसरे सरकारी कर्मचारी को लाभ होगा। इससे एक मामले में कुछ कठिनाई आ सकती है लेकिन दूसरेकर्मचारी के लिए सुविधाजनक भी हो सकता है।

इस मामले में आखिरी निर्णय न्यायालयका ही होगा। यहबात ध्यान में रखनी होगी कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा सेवानिवृत्त कर्मचारियों केमाकन उन्हें नहीं मिल रहे हैं। सेना में सेवाकरने वाले कर्मचारी हैं जो वापस घर आ जाते हैं। वह अपनामकानखालीकराना चाहते हैं लेकिन उन्हें वर्षों तक अपने मकान नहीं मिलतेहैं। अत: यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें कोई वास्तविक अनिवार्यता नहीं है। ऐसे वास्तविक कठिनाई केमामले हैं जहां माकन मालिकों कोअपने लिए मकान चाहिए।

सरकार दिल्ली में आवास की समस्या के प्रति पूर्णत: जागरूक है। सरकार ने आपात-स्थिति की घोषणा के बाद 40 वर्ग मीटर तथा 80 वर्ग मीटर के 12,000सस्तेप्लाट पहले ही

आवंटित कर दिए गए हैं। इसकेअतिरिक्त इस वर्ष 8,000 प्लाट आंवटित किए जायेंगे। आगामी वर्ष 20,000 प्लाट आंवटित करने का विचार है। इसका तात्पर्य यह है कि आपात स्थिति के बाद दो वर्षों में 80,000 आवासीय मकान आंवटित किए जायेंगे। 4,000 से 6,000 क्वार्टर तो पहले ही आंवटित कर दिए गए हैं। हमने 5 लाख लोगों के रहने के लिए एक लाख मकान बनाने की योजना बनाई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : इस विधेयक का मसौदा जल्दबाजी में बनाया गया है और यह अपूर्ण है।

समझा जाता है कि यदि एक बार यह विधेयक पास हो गया तो वे सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिनके अपने मकान है सरकारीक्वार्टर छोड़ने के लिएबाधित हो जायेंगे। यह तो केवल देयअधिकार हुआ और उसे सरकारी क्वार्टर खाली कराने के लिएविशेष अथवा सामान्य आदेश तो सरकार ही पास करेगी। यह शंका की गई है कि सरकार ने यह उपबंध क्रियान्वित किया तो इसमें मनमानी करने और अनेक प्रकार के दबाव डालने का अवसर मिलेगा।

असंख्य साधारण और निष्ठावान कर्मचारियों के माकान मालिकों के चुंगल से बचने के लिए दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में छोटे छोटे पक्के मकान बनाये हैं। प्रधान मंत्री ने 1971 में एक चुनाव जल्से में भाषण देते हुए उन लोगों से कहा था कि इन मकानों को नियमित कर दिया जायेगा लेकिन अब इन पक्के मकानों को रात के अंधेरे में गिराया जा रहा है। इन लोगों को ट्रकों में ले जाकरदूरवीरान जंगल में 25 वर्ग गज के प्लाटों में फैंका जा रहा है।

व्यापक विधेयक का लाया जाना आवश्यक है। वर्तमानविधेयक से दिल्ली की इस वास्तविक समस्या का हल नहीं होगा।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 1 दिसम्बर, 1975 को प्रख्यापित दिल्ली भाटक निभन्त्रण (संशोधन) अध्यादेश 1975 (1975 का अध्यादेश संख्या 24) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion wos negatived.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम 1958 पर राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है

"कि खंड 2 से 8 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 8 were added to the Bill.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1 पर पंक्ति 1 में—"Twenty-sixth year" (छब्बीसवें वर्ष) के स्थान पर "Twenty-seventh year" (सत्ताइसवें वर्ष) शब्द प्रतिस्थापित किया जाये (संख्या 1) 1)

(एच० के० एल० भगत)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

The Enacting Formula as amended was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

The title was added to the Bill.

श्री एच० के० एल० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 28 जनवरी, 1976/8 माघ, 1897 (शक) 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, January 28, 1976/Magha 8, 1897 (Saka).

GMGIPND—LSIII—2608 LS—17-6:76—200.